Tuesday, 04 April, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / First Session]

(Fourth Lok Sabha)

Preservation Unit 6-7-92
Fumigated 04-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. II contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

लोक सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

मंगलवार , 4 अप्रैल, 1967 । 14 चैत्र , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
941	तारांकित प्रश्न संख्या 240 में श्री त्रिदिव कुमार चौधरी का नाम भी पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, मंगलवार, 4 अप्रैल, 1967/14 चैत्र, 1889 (शक)

No. 13, Tuesday, April 4, 1967/Chaitra 14, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn		
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
229. खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	..	921—926
230. खाद्यान्नों पर नियंत्रण	Control of Foodgrains	..	926—928
231. मतदाता सूची में मतपत्रों की संख्या का नोट किया जाना	Noting of number of Ballot Papers in Voters' Lists	..	928—932
232. चुनाव संबंधी व्यय के ब्योरे	Returns of Election Expenses	..	932—933
233. आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची	Voters' List in Andhra Pradesh	..	934—935
234. गो हत्या पर रोक	Ban on Cow Slaughter	..	936—937
अ० सू० प्र० संख्या			
S. N. Q. Nos.			
5. बम्बई स्टीम नेविगेशन नौका सेवा	Bombay Steam Navigation Boat Service	..	937—939
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
236. सूखाग्रस्त राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनाएं	Minor Irrigation Projects in Drought affected states	..	939
237. चाय उद्योग के लिए उर्वरक	Fertilizers for Tea Industry	..	939—940
238. भारत में चावल की कमी	Deficit of Rice in India	..	940—941

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

239. डा० धर्म तेजा के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal action against Dr. Dhnrma Teja	..	941
240. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम	Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam	..	941—942
241. राज्यों को उर्वरकों का आवंटन	Allocation of Fertilizers to States	..	942
242. सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन की व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन दल	Cooperative Fertiliser Feasibility study Team	..	942—943
243. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परिवहन सम्बन्धी गतिरोध	Transport Bottleneck in Andaman and Nicobar Islands	..	943—944
244. गेहूं तथा अन्य किस्मों के अनाज के मूल्य	Prices of Wheat and Cereals	..	944
245. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास विमान	Aeroplanes with I. A. C.	..	944—945
246. उड़ीसा से चावल की सप्लाई	Supply of rice from Orissa	..	945
247. भू-धृति पद्धति (लैंड-टेन्योर सिस्टम) में सुधार	Reforms in land Tenure System	..	945
248. विकास खंडों में अनाज का उत्पादन	Production of Foodgrains in Development Blocks	..	946
249. रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co.	..	946—947
251. कलकत्ता पत्तन	Calcutta Port	..	947
252. उपभोक्ता तथा विविध वस्तु भंडार (डिपार्टमेंट स्टोर्स)	Consumer and Department Stores	..	947—948
253. गुजरात को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Gujarat	..	948
254. व्यापार वाली फसलों का उत्पादन	Production of Commercial Crops	..	949
255. हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Airports	..	949—950
256. सड़क परिवहन	Road Transport	..	950
257. आई० ए० सी० के विमानों की उड़ान में विलम्ब	Delays in I. A. C. Flights	..	950—951
258. चीनी का उत्पादन	Production of Sugar	..	951

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

410. उड़ीसा के लिए चीनी का कोटा	Quota of Sugar for Orissa ..	952
411. 1966-67 में चावल का आयात	Imports of Rice during 1966-67 ..	952
412. उड़ीसा को ऋण	Loan to Orissa ..	952—953
413. रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता	Requirement of Chemical Fertilizers ..	953—954
414. कृषि बरमा मशीनों के पुर्जों का आयात	Import of Spare of Agricultural Drilling Machines ..	954
415. मद्रास कन्याकुमारी राजपथ पर पुल	Bridge on Madras Cape Comorin Highway ..	954
416. नये कृषि विश्वविद्यालय	New Agricultural Universities ..	955
417. महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Maharashtra ..	955
418. धर्मस्व सम्पत्ति प्रबन्ध समिति	Committee for Maintenance of Endowments Properties ..	956
419. दिल्ली में राशन में मिलने वाले पदार्थों की किस्म	Quality of Rationed Commodities supplied in Delhi ..	956
420. सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए धन का नियतन	Financial Allocation to Drought hit areas ..	956—957
421. चौथे आम चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया	Partisan Attitude of Election Commission during Fourth General Elections ..	957
422. मध्य प्रदेश में दूसरी बार सूखे की स्थिति	Second Drought in Madhya Pradesh ..	957—958
423. कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Aerodrome ..	958
424. भाण्डागार की उचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्यान्नों का खराब होना	Food Wastage due to bad Storage ..	958—959
426. बीकानेर में दूध की कमी	Shortage of Milk in Bikaner ..	959—960
427. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	Representation of the People Act, 1951 ..	961
428. मध्य प्रदेश में खंड विकास अधिकारी के पद	B. D. O's Posts in Madhya Pradesh ..	961

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

429. फरवरी, 1967 में हुए आम चुनाव	General Elections held in February, 1967 ..	961—962
430. किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान	Payment of Sugar-cane Charges to Farmers ..	962
431. सूखा ग्रस्त राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता	Assistance Sought by Drought Affected States ..	962
433. उड़ीसा में बीज फार्म	Seed Farm in Orissa ..	963
434. कोजिचम्पारा चीनी कारखाना	Kozhichampara Sugar Factory ..	963—964
435. बिहार में दुर्भिक्ष की स्थिति	Famine Conditions in Bihar ..	964—965
436. पर्यटक यातायात	Tourist Traffic	965
437. केरल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to Kerala ..	965
438. उड़ीसा को गेहूँ की सप्लाई	Wheat Supplied to Orissa ..	966
439. उड़ीसा में खेती के लिए बिजली	Electricity for Agricultural purposes in Orissa ..	966
440. मत्स्यपालन के विकास के बारे में नार्वे के साथ करार	Agreement for Development of Fisheries with Norway ..	966—967
441. सनौठ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन की बस सेवा	D. T. U. Bus service between Sanoth and Central Secretariat ..	967
442. गेहूं तथा चावल का समाहार	Procurement of Wheat and Rice ..	967—968
443. कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच जहाज में चीनी का दूषित हो जाना	Sugar Pollution in Ship between Calcutta and Port Blair ..	968
444. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में राशन व्यवस्था	Rationing in Andaman and Nicobar Islands ..	968—969
445. सहायक खाद्य पदार्थ के रूप में मछली के पाउडर से प्रोटीन	Protein from Fish Powder as Food Supplement ..	969
446. बीज निगम	Seed Corporations ..	969—970
447. खाद्यान्नों का समाहार तथा भाण्डागार की व्यवस्था	Foodgrains procurement and Storage Facilities ..	970
448. फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme ..	970—971

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

449. दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents in Delhi	971
450. बाडमेर और जेसलमेर (राजस्थान) में सीमा सड़कें	Border Roads in Barmer and Jaiselmer (Rajasthan) ..	971
451. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में बुकिंग	I. A. C. Bookings ..	971—972
452. कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग	Use of Insecticides ..	972—973
453. निर्वाचन प्रक्रिया पुस्तिका का प्राक्कथन लिखा जाना	Writing of Introduction to Election Procedure Pamphlet ..	973—974
454. मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल	Bridge over the Ganga at Mirzapur	974
455. कानपुर में दुग्ध संभरण योजना	Milk Supply Scheme in Kanpur ..	974
456. राज्यों को रासायनिक अर्वरकों का आवंटन	Allocation of Chemical Fertilizers to States ..	974—975
457. चावल मिलों की स्थापना के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता	F.A.O. Aid for Setting up of Rice Mills ..	975
458. हवाई अड्डों पर घोषणा	Announcement at Airports ..	975—976
459. गन्ने के मूल्य का भुगतान	Payment of Cane Price	976
460. बिहार-नेपाल राष्ट्रीय राजपथ	Bihar Nepal National Highway ..	976
461. चण्डीगढ़ तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं	Transport Facilities in Chandigarh and other Union Territories ..	977
462. जम्मू तथा काश्मीर में नामांकन पत्रों का अस्वीकार किया जाना	Rejection of Nomination Papers in J & K ..	977—978
463. ताइचुंग किस्म का चावल	Taichung Variety of Rice ..	978—979
464. चारे का निर्यात	Export of Cattle Feed ..	979
465. उड़ीसा में सिंचाई की व्यवस्था	Irrigation Facilities in Orissa ..	979—980
466. होटल विकास निधि	Hotel Development Fund ..	980
467. सरकारी क्षेत्र में होटल	Hotels in the Public Sector ..	980—981
468. हिल्टन होटल्स कारपोरेशन के सहयोग से एक होटल की स्थापना	Establishment of a Hotel in Collaboration with Hiltons Hotels Corporation ..	981

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
469. दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादनों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of DMS Products	..	981—982
470. कृषि इंजीनियर तथा विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ	Agricultural Engineers and Foreign Trained Agricultural Experts	..	982—983
471. कृषि में प्रयोग किए जा रहे ट्रैक्टर	Tractors in Use in Agriculture	..	983
472. बेकार पड़ी भूमि का वितरण	Distribution of Waste Land	..	983—984
473. सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपहार के रूप में रिगों का दिया जाना	Gift of Rigs for Drought Affected Areas	..	984
474. 'भूख से मुक्ति' आन्दोलन	Freedom from Hunger Campaign	..	984—985
475. स्कूटर रिक्शाओं के टैक्स	Taxes on Scooter Rickshaws	..	985
476. दांतेवाला समिति का प्रतिवेदन	Dantwala Committee Report	..	985—986
477. उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को ऋण	Loans to Sugar Mills in U. P.	..	986
478. सड़क परिवहन कराधान जाँच समिति	Road Transport Taxation Enquiry Committee	..	986—987
479. ग्रेविंग डाक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम	Graving Dock, Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam	..	987
480. कृषि प्रधान शिक्षा	Agriculture Oriented Education	..	987—988
481. हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard, Visakhapatnam		988
482. केन्द्रीय सड़क बोर्ड	Central Road Board	..	988
483. आयातित खाद्यान्नों पर राज-सहायता	Subsidy on Imported Foodgrains	..	988—989
484. राशन की दूकानों के लिये अनाज की आवश्यकता	Foodgrains requirement for Ration shops	..	989
485. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम करने पर भोजन योजना	Food for Work Scheme in Drought affected areas	..	989—990
486. पंजाब में अनाज का रखा जाना	Storage of Foodgrains in Punjab	..	990—991
487. दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह	International Tourist Week, Delhi	..	991

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
488. आई० ए० सी० का संचालन कार्य	Operational Standard of IAC ..	992
489. छोटे ट्रैक्टरों की मांग	Demand for Small Tractors ..	992
490. खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains ..	993—994
491. मछली पकड़ने के बन्दरगाह	Fishing Harbours ..	994
492. केरल के लिए चावल	Rice for Kerala ..	994—995
493. यमुना और चम्बल नदियों पर पुल	Bridges over Jamuna and Chambal Rivers ..	995
494. पंचायती राज योजना	Panchayati Raj Scheme	996
495. पासी बदरपुर अगरताला सड़क पर बरक नदी पर पुल	Bridge on River on Passi-Badarpur-Agartala Road ..	996—997
496. पारादीप पत्तन के तल की सफाई करना	Maintenance Dredging of Paradeep Port ..	997
497. भारत रूस नौवहन करार	India USSR Shipping Agreement ..	997
498. मद्रास में भूचाल	Earth Tremors in Madras ..	998
499. दिल्ली में राशन के वितरण में भेदभाव	Discrimination in Supply of Rations in Delhi ..	998
500. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वनों का साफ किया जाना	Forest Clearance in Andaman and Nicobar Islands ..	998—999
501. लिटिल अन्दमान में वनों का साफ किया जाना	Forest Clearance in Little Andaman ..	999
502. हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम सम्बन्धी जाँच समिति का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Committee on Hindustan Shipyard Visakhapatnam ..	999
503. उड़ीसा में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों का विकास	Development of Spots of Tourist Interest in Orissa ..	999—1000
504. केन्द्रीय सहकारी तथा विविध-वस्तु भंडार (डिपार्टमेंटल स्टोर)	Central Co-operative and Departmental Stores ..	1000
505. चीनी के मूल्य	Prices of Sugar ..	1000

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
506. दिल्ली में दूध की कमी	Shortage of Milk in Delhi	1000—1001
507. दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार	Extension of DMS Operations ..	1001
508. उड़ीसा में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनाएं	Deep Sea Fishing Schemes in Orissa ..	1002
509. कुओं से सिंचाई की क्षमता	Irrigation Potential through Wells	1002—1003
509-क. आम चुनावों में अनियमित उड़ानें	Unscheduled flights during General Elections	1003
509-ख. उत्तर प्रदेश और बिहार में नलकूप	Tubewells in U.P. and Bihar	1003—1004
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1004—1009
कपड़ा उद्योग में संकट	Crisis in Textile Industry ..	1004
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	1004
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	1004—1008
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	1009—1010
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1010—1015
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	1015
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	Motion of thanks on the President's Address	1015
श्री च० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	1015—1016
बख्शी गुलाम मुहम्मद	Bakshi Ghulam Mohammad	1016—1017
श्री राम कृष्ण गुप्त	Shri Ram Kishan Gupta	1018—1019
श्री आनन्द नारायण मुल्ला	Shri A. N. Mulla	1019—1021
श्री राजशेखरन	Shri Rajasekharan	1021—1023
श्री क० कृ० नायर	Shri K. K. Nayar	1023—1024
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata ..	1024
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	1024—1025
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	1026—1027
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir	1027—1029
श्री ब्रह्म प्रकाश	Shri Brahm Prakash	1029—1030
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	1030—1031
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	1031—1032

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री अंबाजागन	Shri Anbazhagan	1032—1034
श्री के० जी० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	1034—1035
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Gani Dar ..	1035
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	1035—1036
श्री राम चरण	Shri Ram Charan ..	1036
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh	1036—1037
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani	1037—1038
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani ..	1039
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	1039—1040
संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-first Amendment) Bill ..	1038
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	Laid on the Table as passed by Rajya Sabha ..	1038

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 4 **अप्रैल**, 1967/14 **चैत्र**, 1889 (**शक**)
Tuesday, April 4, 1967/ Chaitra 14, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे (पंजिम) * [**अंग्रेजी**]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्यान्नों का आयात

+
*229. **श्री सूपकार :** **श्री च० चु० देसाई :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रा० बरुआ :**
श्री मद्दी सुदर्शनम् : **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी कमी रही; और

(ख) विदेशों से कितने खाद्यान्न की सहायता प्राप्त होने के आश्वासन मिले हैं तथा चालू वर्ष में देशवार कितना खाद्यान्न पहले ही आयात किया जा चुका है ?

*सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी में शपथ ली थी।

*The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग): (क) विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के निश्चित अनुमान चालू कृषि वर्ष 1966-67 की समाप्ति के बाद जुलाई-अगस्त में किसी समय उपलब्ध होने की सम्भावना है। वर्तमान संकेतों के अनुसार 1966-67 में सारे देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन सम्भवतः 760 लाख मीटरी टन होगा। यह 1965-66 के 723 लाख मीटरी टन के उत्पादन से अधिक है लेकिन 1964-65 के 890 लाख मीटरी टन उत्पादन से बहुत ही कम है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

श्री सूपकार : हमने अनाज में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए 1971 की तिथि निर्धारित की है। 1964-65 के बढ़िया फसल वाले वर्ष में, जब उत्पादन 890 लाख टन था, हमने बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया। क्या हमने उत्पादन का कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे हम 1971 से पहले ही अनाज का आयात न करें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना के अस्थायी रूप से तैयार किये जाने का सम्बन्ध है, हमें आशा है कि 1970-71 के अन्त तक हम 12 करोड़ टन अनाज का उत्पादन कर सकेंगे।

श्री सूपकार : अनाज के हमारे आयात का देश में अनाज के उत्पादन में कमी से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन आयात का सामान्यतः संविहित और अनौपचारिक राशन-व्यवस्था वाले नगरों के क्षेत्र और संख्या से सम्बन्ध है। क्या मैं जान सकता हूं कि जब 1971 में अनाज का बिल्कुल आयात नहीं होगा, तब राशन वाले क्षेत्रों में तत्काल सहायता देने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ?

श्री शिन्दे : देश में उत्पादन बढ़ाकर और वसूली द्वारा राशन-व्यवस्था वाले नगरों की आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी।

श्री दी० चं० शर्मा : उनको उत्पादन में ही नहीं बल्कि वितरण में भी असफलता हाथ लगी है। जहां तक कस्बों, नगरों और गांवों में वितरण-व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिन्दे : वितरण की स्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब अनाज अधिक हो और कृषि उत्पादन बढ़ाकर ही किसी संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। इसका और कोई उपाय नहीं है। विनियमों, नियंत्रणों आदि को ठीक ढंग से लागू करना पड़ेगा।

श्री च० चु० देसाई : इस वर्ष अनाज की हमारी तत्काल मांग कितनी है। हमें कितना अनाज मिलने की आशा है और कमी कैसे पूरी की जायेगी ? क्या यह कमी देश में उत्पादन की अपेक्षा जोन-बन्दी के कारण अधिक हुई है ?

श्री शिन्दे : इस समय निश्चित संकेतों के अनुसार आयात द्वारा 55 लाख टन अनाज उपलब्ध होगा और यह आयातित अनाज जून-जूलाई तक काफी रहेगा । इसके बाद हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों से और अमरीका से भी अधिक अनाज प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रा० बरुआ : अमरीका द्वारा हाल में ही यह शर्त लगाये जाने के बाद कि साथी देश भी इतनी ही सहायता दें, क्या सरकार समझती है कि विदेशी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर करना वांछनीय है और यदि नहीं तो सरकार का इस बारे में क्या निश्चित दृष्टिकोण है और सरकार इस समस्या को किस प्रकार हल करेगी ?

श्री शिन्दे : यह वांछनीय नहीं है कि भविष्य में हम आयात पर निर्भर करते रहें । लेकिन दो बार पड़े सूखे और उत्पादन में कमी को देखते हुए हमें अधिक आयात करना पड़ेगा और इतना आयात करना पड़ेगा जिससे अधिक लोगों को कठिनाई न हो ।

श्री डी० एन० पाटोदिया : 1950-51 में जबकि अनाज का उत्पादन केवल 510 लाख टन था और केवल 20 लाख टन अनाज का आयात होता था तब देश में अनाज की कोई कमी नहीं थी फिर इस वर्ष 760 लाख टन का उत्पादन होने पर और 55 लाख टन का आयात होने पर कमी कैसे हो गई । क्या यह अनाज के लाने ले जाने में और भंडार व्यवस्था में हो रही बर्बादी है या यह वास्तव में अनाज उत्पादन की समस्या है ?

श्री शिन्दे : जैसा माननीय सदस्य को पता है, हमारी जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि कृषि उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है लेकिन हम बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई मांग के बराबर उत्पादन नहीं कर सके और इसीलिए मांग और पूर्ति में अन्तर है ।

श्री डी० एन० पाटोदिया : मेरा प्रश्न यह था कि जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए, प्रति-व्यक्ति उपलब्धता आज काफी अधिक है । यह अनाज की कमी की समस्या है या अनाज के लाने ले जाने और उनको स्टोरों में रखने की व्यवस्था में होने वाली बर्बादी है ।

श्री शिन्दे : माल के लाने-ले जाने, स्टोरेज आदि में भी कुछ बर्बादी होती है । लेकिन सरकार द्वारा हाल में अपनाये गये उपायों से लाने-ले जाने और स्टोरेज आदि में होने वाली बर्बादी को कम से कम कर दिया गया है । जहां तक निश्चित प्रतिशतता का सम्बन्ध है, इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री डी० एन० पाटोदिया : क्या वह हमें इस बारे में आंकड़े देंगे कि पिछले दस वर्षों में स्टोरेज में और लाने-ले जाने में अनाज की कितनी बर्बादी हुई ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक पृथक प्रश्न है ।

Shri Prem Chand Verma : May I know the quantity of foodgrains lost in Government godowns during 1966, the quantity of foodgrains available at present with them and the quantity of local purchases ? After import of foodgrains what was the deficit ?

श्री शिन्दे : ठीक तौर पर हानि का पता लगाने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए । जहां तक आयात का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष हमने 104 लाख टन का आयात किया था ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, अनाज के उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है और आयात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ? क्या उन्होंने यह हिसाब लगाकर देखा है कि जनसंख्या में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से काफी कम हुई है ?

श्री शिन्दे : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । लगभग 30-40 सदस्य प्रश्न पूछते हैं । हर रोज हम केवल तीन या चार प्रश्न ही कर पाते हैं । यदि हम इस पर इतना अधिक समय लगाते रहेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण मामले रह जायेंगे ।

Shri Abdul Ghani Dar: The Hon. Ministers should be requested to come prepared.

Shri Bibhuti Mishra: Bihar produces 44 lakh tons of foodgrains and this year the shortage is of the tune of 13 lakh tons. This year the production is expected to be lesser than 30 per cent. They are importing 55 lakh tons. I want to know as to how much quantity is proposed to be given to Bihar in view of conditions prevailing there. They give them 178 thousand tons monthly while the Bihar Government demands 3 lakh tons per month?

श्री दी० चं० शर्मा : यदि आप अलग-अलग राज्यों के बारे में प्रश्न पूछे जाने की अनुमति देंगे तो अन्य सदस्य भी अन्य राज्यों के बारे में प्रश्न पूछेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : देश में अनाज की स्थिति पर चर्चा के दौरान भी यह प्रश्न उठाया गया था लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): We have to meet the requirement of the whole country from the import we are doing. At present states are being supplied with 7.50 lakh tons per month. There is no doubt that the condition in Bihar is difficult. We have given them 1.85 lakh tons this month and we shall try to give them more if there is more procurement and the requirements of other states are lesser.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अधिकांश अनाज अमरीका से आयात किया जाता है और मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में अमरीकी गेहूं किन शर्तों पर आयात किया जायेगा । अर्थात् इस वर्ष वे हमें 20 लाख टन रियायती दर पर देंगे जिसका मतलब है कि हम उसका भुगतान रुपयों में कर सकते हैं । ऐसा तो नहीं है कि इस खेप के पूरा होने पर हमें भविष्य में आयात के लिये डालरों में भुगतान करना पड़ेगा ? यदि हां, तो इसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री जगजीवन राम : भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस समय जेनेवा में मीटिंग हो रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन उन्होंने अमरीका में एक नया कानून पास कर दिया है ।

श्री जगजीवन राम : हो सकता है। यह सब उनके साथ किये जाने वाले करार पर निर्भर करता है। इसलिए इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या स्थिति होगी। पिछली बार करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखे जाने की मांग की गई थी। मुझे बताया गया है कि उसकी एक प्रति इस वर्ष 23 फरवरी को पुस्तकालय में रखी जा चुकी है। इसलिए इसको सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे खुशी है कि करार की प्रति पुस्तकालय में रख दी गई है। लेकिन जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तब राज्य-मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि ऐसा करना जनहित में नहीं है।

श्री शिन्दे : मुझे खेद है। वास्तव में मुझे यह पता नहीं था कि वाणिज्य मंत्री ने वह पुस्तकालय में रख दी है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार को इस शिकायत के बारे में जानकारी है कि आयातित अनाज की किस्म बहुत घटिया है। इसकी किस्म सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री जगजीवन राम : मेरा अनुभव यह है कि किस्म खराब नहीं है।

Shri Abdul Ghani Dar: Has the Hon. Minister made any survey in regard to food situation in the country. If he is not prepared to give more foodgrains to the people of Bihar, will he make an appeal to them asking to take meals only once a day?

Shri Jagjivan Ram : So far as rural areas are concerned, the question is of management there and not of fast. I would like to make an appeal to the country that not a single grain be wasted.

Shri Sheo Narain : I want to know as to how much foodgrain has been given to the Eastern U. P. which is suffering from hunger and what was the quantity demanded by U. P.?

Shri Jagjivan Ram : There is no doubt that there is great difficulty in Eastern U. P. due to drought conditions. The U. P. Government is being supplied with 1.25 lakh tons of foodgrains every month. It is for the State Government to distribute in parts of the state.

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Minister has said that loss in transit and loss in storage etc. has been reduced to a considerable extent. I want to know the basis on which this loss in transit or storage is allowed. Does it involve some sort of cheating as there have been such complaints.

श्री शिन्दे : मैंने यह कहा था कि अच्छे भंडारों की व्यवस्था होने से अनाज की बर्बादी में कमी हुई है। कई गोदाम ऐसे बनाये गये हैं जिनमें चूहे नहीं जा सकते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : My question has not been answered.

Shri Jagjivan Ram : The Hon. Member is repeating one point every time. The work is done on a very large scale and I do not claim that there is no cheating.

Shri Ram Sewak Yadav : I have asked about the basis of allowing wastage.

Shri Jagjivan Ram: I do not claim that there is no cheating but if there is some specific case I am prepared to look into that.

खाद्यान्नों पर नियंत्रण

+

*230. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री पी० के० घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों की कानूनी राशन-व्यवस्था योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न शहरों तथा नगरों में खाद्यान्नों तथा खाद्य पदार्थों पर लगाये गये नियन्त्रणों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में ये नियन्त्रण सफल रहे हैं;

(ग) इन नियंत्रणों के प्रवर्तन में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या इन नियंत्रणों को कम से कम उन राज्यों में जहां खाद्यान्नों की कमी नहीं है, हटाने की कोई सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग): (क) इसका अनुमान सम्बन्धित राज्य सरकारे लगायेंगी । उनसे सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) इन नियंत्रणों का अभिप्राय पासवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से सांविधिक राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों को लाना रोकना तथा राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों में खपत को कम करना था । कुल मिलाकर प्रयास सफल रहा है ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें, जिनपर अनाचारों को मिटाने के विचार से राशनिंग विनियमों को सख्ती से लागू करने का उत्तरदायित्व है, भी इस प्रणाली के दोषों पर, यदि कोई हो तो, उनको सुधारने की दृष्टि से ध्यान दें ।

(घ) सांविधिक राशन-व्यवस्था का विस्तार सभी राज्यों के शहरों में, चाहे वे कमी वाले हों या न हों, करने का विचार है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri S. C. Samanta: May I know the names of the States where statutory rationing has been introduced and the names of the states where an attempt is being made to introduce it?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): कलकत्ता, वृहत् बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, जलपाईगुड़ी और कानपुर । इनके अतिरिक्त छोटे शहरों ,जैसे शोलापुर, विशाखापत्तनम, पूना, नागपुर आदि में भी कानूनी राशन व्यवस्था लागू की गई है ।

Shri S. C. Samanta: Are any steps being taken to bring uniformity in statutory rationing or not ; if so, details thereof?

श्री शिन्दे : मूल दृष्टिकोण यह था कि पहले चरण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कानूनी राशन-व्यवस्था लागू की जानी थी । इसके बाद दूसरे चरण में 3·10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में कानूनी राशन-व्यवस्था लागू की जानी थी । इसके बाद छोटे शहरों की बारी आयेगी । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, राशन-व्यवस्था लागू करना अधिकांशतः देशीय साधनों से अनाज उपलब्ध होने पर निर्भर करता है । जिसका अर्थ है वसूली । हम धीरे-धीरे कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि इस वर्ष अत्यधिक सूखे की स्थिति है और इसलिए वसूली पर प्रभाव पड़ा है । सभी क्षेत्रों में तुरन्त राशन-व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है ।

श्री प्र० कु० घोष : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राशन-व्यवस्था, नियंत्रणों और एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न लाने-ले जाने पर पाबन्दी के कारण खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं, क्या सरकार खाद्यान्न लाने-ले जाने और वितरण पर सभी प्रकार के नियंत्रणों को शिथिल करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शिन्दे : मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा विचार किया जा रहा है । हम समय-समय पर मुख्य मंत्रियों से परामर्श करते हैं और हम मुख्य मंत्रियों के अगले सम्मेलन में सामान्य नीति पर विचार-विमर्श करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाजरे और ज्वार के वितरण पर सरकार नियंत्रण करती है और सौराष्ट्र के कुछ भाग हैं जहां कुछ वर्गों ने तीन वर्ष से बाजरा खाने को देखा भी नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि इस अति गंभीर कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्री शिन्दे: हम सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं और कठिनाइयों की ओर भरसक ध्यान दे रहे हैं; मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि गुजरात में कुछ स्थानों के लोगों को पिछले दो वर्षों में सूखे के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है ।

Shri P. L. Barupal: Under the present rationing system, there is large variation in the prices of foodgrains in the neighbouring states, for example the price in Rajasthan is Rs. 60-65 per quintal but the price of the same is Rs. 80-90 per quintal in Punjab. What attempts are being made by Government to reduce this large variation and bring uniformity in prices so as to bring to end hoarding, black-marketing and profiteering in foodgrains?

श्री शिन्दे : विभिन्न क्षेत्रों में भावों में कुछ असमानता रही है। फालतू अनाज वाले राज्यों में स्पष्ट ही मूल्य कुछ कम हैं जबकि कमी वाले क्षेत्रों और सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में भाव कुछ अधिक हैं।

Shri Sarjoo Pandey : Many State Government have put restrictions on the movement of fodder, particularly in Bihar and U. P. the fodder, being brought is taken away by the police and the restrictions on inter-state movement are misused by the police and even small people carrying foodgrains within the state are harassed. May I know whether Government are adopting some measure to avoid harassment of small people?

श्री शिन्दे : हम माननीय सदस्य द्वारा बताई गई बातों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राशन की दुकानों को वितरण में कभी-कभी ऐसा होता है कि केवल मोटा अनाज ही दिया जाता है ? उदाहरण के लिये, यदि राशन की दुकानों को गेहूँ और माइलो के आधार पर वितरण करना होता है, तो एक सप्ताह केवल माइलो ही दिया जाता है, गेहूँ नहीं। राज्यों के बीच और राज्य में भी इस प्रकार का भेदभाव पाया गया है। क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है कि वितरण करना हो, तो कम से कम सम्यक आधार पर राशन की दुकानों के जरिये मिले-जुले खाद्यान्न दिये जायेंगे ?

श्री शिन्दे : राशन-व्यवस्था वाले शहरों में, मोटे तौर पर, खाद्यान्नों की विभिन्न किस्मों की मात्रा, जिनका राशन की दुकानों के जरिये वितरण किया जाना है, निश्चित है; हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वितरण उस आधार पर किया जाता है। यदि माननीय महिला सदस्य कोई विशेष शिकायत सरकार को बतायें, तो हम उसकी जांच करेंगे।

मतदाता सूचियों में मतपत्रों के संख्यांक का नोट किया जाना

*231. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में चौथे साधारण निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं के नामों के सामने मतपत्रों के संख्यांक लिखे गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह बात निर्वाचन विधि के विरुद्ध है, जिसके अनुसार मत-पत्र गुप्त रहना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में मतपत्र की गोपनीयता की रक्षा के लिये इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 38 के उपनियम (2) के अधीन, निर्वाचक को मतपत्र देने के समय, मतदान आफिसर उसका क्रम संख्यांक, उक्त नियमों के नियम 2 (1) के खंड (छ छ) में यथापरिभाषित 'निर्वाचक नामावलि की चिह्नित प्रति' में उस निर्वाचक सम्बन्धी प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा। इस नियम का उद्देश्य यह सम्भव बनाना है कि किसी मतदान केन्द्र में होने वाले किसी धोखे या कदाचार का पता लगाया जा सके और उसकी खोज की जा सके। किसी निर्वाचन विवाद की दशा में, जहां कतिपय मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण के आधार पर किसी निर्वाचन के परिणाम पर आपत्ति की जाती है, वहां निर्वाचक नामावलि की चिह्नित प्रति में दी गई जानकारी आवश्यक और उपयोगी होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh: Whereas we have promised a secret ballot, it does not remain secret and sanctity of elections is violated. You also know that this time ruling party tried to settle old accounts. Had there been no numbers on the ballot papers, it would not have been possible for the ruling party to take revenge. May I know the measures taken in this regard?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह कहना सच नहीं है कि इससे मतदान गुप्त नहीं रहा। वास्तव में यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संबंधित उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये निर्वाचन संचालन नियमों को गौर से देखा जाये, तो यह पता लगेगा कि मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हुई है।

Shri Yashpal Singh: Have Government considered that the elections could be conducted very well even if there had been no numbers on the ballot papers and the sanctity of elections could also be maintained? Government have not stated the reasons for indicating numbers?

श्री दा० रा० चह्वाण : इसका उद्देश्य मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ।

Shri Onkar Lal Berwa: In case of postal ballot two forms are given with two envelopes. Both envelopes bear numbers, one bearing serial number and the other bearing name as well as serial number. May I know whether all the postal ballots issued to officers have been received back; if not, do these remain secret when names and the numbers of both are printed on the envelopes?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। माननीय सदस्य को थोड़ा सा भ्रम है। मतदान पत्र मतदाताओं को दिया जाता है। एक क्रमांक होता है......

Shri Onkar Lal Berwa: On postal ballot, not on ballot paper.

अध्यक्ष महोदय : वे पोस्टल बैलट के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री दा० रा० चह्वाण : पोस्टल बैलट के बारे में भी गोपनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, I want to know how the secrecy is maintained. If the Hon. Minister has seen, let him explain. He has perhaps not seen how they are issued. Let him explain.

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूँ कि आप सन्तुष्ट न हों, परन्तु उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

Shri Tulsidas Jadhav : During the 1957 elections, voter was given a chit (ballot), which he had to put in the box. He could, however, manage to take it with him. In place of that system, now a ballot paper is issued, whose number is indicated against his name. But there is scope of impersonation, i. e. B can vote for A by impersonation. Therefore, it will be better if you obtain the signature or thumb impression against the voter's name. May I know whether it is possible or not ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गोपनीयता के बारे में है । आप कुछ और बात पूछ रहे हैं ।

डा० रानेन सेन : पहले दो चुनावों में जहां तक मुझे याद है, यह नियम नहीं बना था । तब प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र में सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छानुसार निडर होकर मतदान कर सकते थे । इस बार पता लगा कि कुछ क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छानुसार मत देने में बहुत भयभीत थे । इसका क्या कारण था । केरल में कोई सरकार नहीं थी, वहां राष्ट्रपति का शासन था । यदि ऐसा था, तो क्या सरकार जितना जल्दी हो सके ऐसे नियमों को समाप्त करेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में सम्मिलित किये गये इस नियम का उद्देश्य मैं बता चुका हूँ । गोपनीयता भंग नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मतदाता को मतपत्र दिया जाता है, तुरन्त ही चिह्नित निर्वाचक सूची के सामने मतपत्र की संख्या लिख दी जाती है । यह प्रति प्रेजाइडिंग आफिसर के पास रहती है । मतदान हो जाने पर इस प्रति को सील कर दिया जाता है । उम्मीदवारों के एजेन्टों के यदि वे उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर भी करा लिये जाते हैं । इसके तुरन्त बाद वह रिटर्निंग आफिसर को वापस कर दी जाती है जो उसे अपने पास रखता है और उसे निर्वाचन आयुक्त अथवा सक्षम न्यायालय से प्राप्त किये गये आदेश के बिना नहीं खोला जा सकता है ।

डा० रानेन सेन : प्रेजाइडिंग आफिसर नोट करता है और फिर उसे रिटर्निंग आफिसर को वापस किया जाता है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : वे एक एन्ट्री करते हैं । इसे सील कर दिया जाता है और रिटर्निंग आफिसर को वापस कर दिया जाता है ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह एक नया नियम नहीं है । यह 1952, 1957 और 1962 के चुनावों तथा स्वतंत्रता से पहले के चुनावों में भी था ।

गोपनीयता भंग नहीं होती क्योंकि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता होने पर ही एक निर्वाचन सम्बन्धी न्यायालय में ये पैकेट खोले जाते हैं।

श्री जे० एम० बिस्वास : पोस्टल बैलट गुप्त नहीं रहता। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूँ कि पोस्टल बैलट रिटर्निंग आफिसर द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर और उनके तीन-चार सहयोगी कर्मचारियों के सामने खोले जाते हैं, पोस्टल बैलट से कोई भी आसानी से समझ सकता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने किसको वोट दिया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय सरकारी कर्मचारियों के लिये मतदान के किसी नये तरीके को लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ताकि किसी को पता लगे कि किसको वोट दिया गया है ?

श्री गोविन्द मेनन : जब तक कोई जांच नहीं की जाती, पोस्टल बैलट खोलते समय उस बैलट पर वोट देने वाले व्यक्ति का नाम पता नहीं लग सकता।

श्री जे० एम० बिस्वास : इसका मतलब है कि उन्होंने पोस्टल बैलट देखा ही नहीं है। पोस्टल बैलट से कोई भी पता लगा सकता है कि किसने और किसको वोट दिया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि इन चुनावों में मतदान इतना गुप्त रखा गया था कि भारत के लगभग सभी राज्यों में छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारियों ने सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध वोट दिये ?

श्री गोविन्द मेनन : इस चुनाव में मतदान बिल्कुल गुप्त रखा गया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार की गई इस बात से ही, कि प्रेजाइडिंग आफिसर प्रत्येक मतदाता के नाम के आगे मतपत्र का क्रमांक लिखता है, यह पता लग जाता है कि यह प्रेजाइडिंग आफिसर को मालूम होता है कि किसने किसको वोट दिया। इसलिए क्या सरकार कुछ अन्य तरीके निकालने के बारे में गंभीरता से विचार करेगी ताकि दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी को वोट डालने का पता लगाया जा सके क्योंकि यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने इस डर से वोट नहीं दिये कि उनके नाम पता लग जायेंगे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। जब बैलट पेपर दिया जाता है, तो मतदाता सूची में उसका क्रमांक लिख दिया जाता है :

अध्यक्ष महोदय : सारी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्द मेनन : यदि किसी सरकारी कर्मचारी के दिमाग में यह डर था कि मतों की गणना के समय यह पता लग जायेगा कि उसने किस दल अथवा उम्मीदवार को अपना मत दिया, तो यह निराधार डर था क्योंकि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे पता चल सके कि किसने किसको मत दिया जब तर्क कि इसकी जांच न की जाये, जो नहीं की जाती है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गत चुनावों में अनेक स्थानों में सरकारी कर्मचारी गैर-कांग्रेसी और कांग्रेस-विरोधी दलों की कारों में खुले रूप से प्रचार करते हुए पाये गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हुमायूं कबिर ।

श्री हुमायूं कबिर : इस बात को मानकर कि वर्तमान नियम के अन्तर्गत बैलट पेपर के क्रमांक लिखने की अनुमति है और यह भी मानकर कि मतदान काफी हद तक गुप्त रखा जाता है, क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि काफी मतदाताओं की धारणा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कि बैलट पेपर की संख्या लिखने से मतदान गुप्त नहीं रहता ?

श्री गोविन्द मेनन : यह धारणा निराधार है और हम सबको देखना चाहिए कि यह धारणा मिट जाये ।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि यह धारणा निराधार है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल के लोग जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को बताते फिर रहे थे कि वे पता लगायेंगे कि उन्होंने किसको वोट दी और उन्हें विरोधी पक्ष को वोट नहीं देना चाहिए ? ऐसा प्रचार निरन्तर किया गया; यह दूसरी बात है कि इस प्रचार के बावजूद लोगों ने सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध वोट दिये । भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री कमलनयन बजाज : यदि वास्तव में कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि किसी व्यक्ति ने किसको वोट दी, यह इसलिए आसानी से पता लगाया जा सकता है क्योंकि आप अपने एजेंट से वोट देते समय उस व्यक्ति के बैलट पेपर की संख्या लिख लेने के लिये कह सकते हैं और मतगणना के समय आपका एजेंट उस बैलट को देखकर पता लगा सकता है कि किसको वोट दी गई थी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है अथवा नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं नहीं समझता कि यह सम्भव है ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ स्थानों में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने कांस्टेबिलों के वोट जबरदस्ती प्राप्त किये; यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह एक भिन्न प्रश्न है ।

Returns of Election Expenses

+

*232. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri S. K. Sambandhan :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that Members of Parliament find

it difficult to maintain proper accounts of their election expenses in the course of their hectic election campaigns in their widespread constituencies; and

(b) if so, whether Government propose to remove or modify the rules relating to the returns of election expenses?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्ययों का लेखा रखने और उस लेखा की एक प्रति, विहित कालावधि के अन्दर, समुचित निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल करने सम्बन्धी अपेक्षा निर्वाचन विधि में आरम्भ से ही रही है। इस विषय में कोई विशेष कठिनाई सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Bibhuti Mishra: Above your chair there is an inscription **'Dharma Chakra Pravartnay'**. We have all been elected to Lok Sabha. Can anyone of us say honestly whether it is possible for him or his agents to maintain properly the account of his eletion expenses during his hectic election campaign? If we cannot maintain, is it not a fact that we have to tell a lie before **'Dharma Chakra Pravartnay'**? In view of these difficulties do Government not consider it proper to dispense with the practice of submission of election expenses?

श्री दा० रा० चह्वाण : जी, नहीं।

Shri Bibhuti Mishra : Are Government not encouraging the candidates to file false returns by retaining this provision?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह कहना ठीक नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra: Mr. Speaker, may I know whether it is not a fact that many big people spend even 1-2 lakhs of rupees but in the returns......

Mr. Speaker: It is known to all. But what can be done.

Shri K. N. Tiwary : When everyone does it and Government are unable to make amendment, I have no question to ask.

Shri Kanwar Lal Gupta : After your statement I need not put any question.

अध्यक्ष महोदय : इसे रोकने के लिये उन्हें तरीके निकालने होंगे। अब आपको और उनको भी मालूम है कि चुनावों में सीमा से अधिक धन खर्च किया जाता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे इससे इन्कार कर रहे हैं।

श्री एस० के० सम्बन्धन : जब सबको मालूम है कि चुनावों में निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च किया जाता है, इस झूठी चीज को क्यों चलने देना चाहिए? सरकार स्थिति को क्यों नहीं समझती और चुनावों में खर्चे का हिसाब देने की प्रथा को समाप्त क्यों नहीं कर देती?

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार करेंगे। यह करने के लिये उनके पास पांच वर्ष का समय है।

आन्ध्र प्रदेश में मतदाता सूची

+
* 233 **श्री जी० सी० नायक** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री सेझियान : **श्री अ० दीपा :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंजयभद्रा-कोटिया ग्रुप नामक कुछ जनजाति ग्रामों और वहां के मतदाताओं को आंध्र तथा उड़ीसा दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मतदाताओं को इन राज्यों में से अन्ततः किस राज्य में अपने मतों का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी गई थी; और

(ग) भविष्य में इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग दोनों में से किसी एक राज्य में किया ।

(ग) आवश्यक कार्यवाही करने के लिए गृह मंत्रालय को इस विषय स्थिति से अवगत कर दिया गया है ।

श्री प्र० के० देव : यह अत्यन्त असाधारण बात है कि मतदाता दो राज्यों में अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक राज्य में मत अवैध होंगे और परिणाम घोषित हो जाने के बाद इस विषमता को कैसे दूर किया जायेगा ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मामला बिल्कुल स्पष्ट है । उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कुछ ऐसे गांव हैं, जिनपर दोनों राज्य दावा करते हैं । उड़ीसा के चुनाव अधिकारियों ने उन गांवों के मतदाताओं को अपनी मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया और आन्ध्र प्रदेश के चुनाव अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया । इससे एक ही आम चुनाव में वे दो जगह मत दे सके । नियमों के अनुसार यदि आपत्ति उठाई जाय, तो दोनों स्थानों पर उनके मत अवैध होंगे ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र और उड़ीसा के बीच सीमा निर्धारित करने में ओ' डेनेल समिति के निष्कर्षों को क्रियान्वित किया गया है ? यदि हां, तो ये दो गांव किस ओर की सीमा में हैं ।

श्री गोविन्द मेनन : इसके बारे में मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री जी० सी० नायक : इनमें से कितने गांव उड़ीसा राज्य में स्थित हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इन गावों को गंजयभद्रा-कोटिया ग्रुप जनजाति ग्राम कहा जाता है । ग्रामों की कुल संख्या लगभग 31 है । इन गांवों के लोगों को दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह बता चुके हैं । इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री के० पी० सिंह देव : क्या 1962 के चुनावों में भी यही विषम स्थिति थी और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : 1962 के चुनावों में भी इन लोगों ने दोनों ओर मतदान दिया था ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इन कठिनाइयों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने इस सीमा विवाद को हल करने के लिये इस मामले की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था ।

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा उत्तर दिया जा चुका है, गृह मंत्रालय को इस विषम स्थिति के बारे में बता दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण 1962 के बाद हुआ था । क्या सीमा-निर्धारण सम्बन्धित राज्यों में क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित रखा गया था अथवा नहीं और ये ग्राम दोनों राज्यों में कैसे रहे ?

श्री गोविन्द मेनन : ये जनजाति गांव हैं और सम्भवत. सीमा ठीक प्रकार निर्धारित नहीं की गई है और मैं इस समय नहीं बता सकता कि दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में कैसे गलती हुई ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : यदि इन तथाकथित जनजाति ग्रामीणों के मत इस आधार पर अवैध हो जाते हैं कि दोनों राज्यों में मत दिये गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों को चुनौती दी गई तो क्या होगा ? इन चुनावों को नियमानुकूल बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री गोविन्द मेनन : मान लीजिए कि उड़ीसा में एक निर्वाचन-क्षेत्र में एक चुनाव याचिका दी जाती है, तो इन लोगों के मतों को निकाल देना होगा और यह निर्धारित करना चुनाव न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है कि किन खास मतदाताओं ने किस व्यक्ति को मत दिये और इसके लिये मतदाता सूचियों में क्रमांक लिखे जाते हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि सम्बन्धित मतदाता तेलुगु-भाषी हैं और यदि हां, तो विवाद क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो चुनाव के बारे में है, भाषा के बारे में नहीं ।

श्री गोविन्द मेनन : उड़ीसा में तेलुगु-भाषी लोग हैं और आन्ध्र प्रदेश में उड़िया-भाषी लोग हैं ।

गो-हत्या पर रोक

+
234. श्री च० चु० देसाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री प्र०के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री जी०सी० नायक :
श्री अ० दीपा :
डा० महादेव प्रसाद
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गो-हत्या पर रोक लगाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग) : (क) देश में गो-हत्या पर रोक लगाने के विषय में अभी तक समिति की नियुक्ति नहीं की गई है। सरकार को इस मामले के महत्व का ज्ञान है। राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है और इस मास में समिति गठित हो जायेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री च० चु० देसाई : प्रधान मंत्री अथवा उनके दूत और जगद्गुरु शंकराचार्य के बीच क्या पत्र-व्यवहार अथवा बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप अनशन समाप्त किया गया और उस वचन अथवा आश्वासन को कहां तक क्रियान्वित किया गया है और चुनाओं के दौरान यह क्यों किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 5 जनवरी के वक्तव्य और गोरक्षा महा-अभियान समिति को भेजे गये 1 फरवरी के पत्र के अनुसार इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की जानी थी और उसके अनुसरण में यह समिति स्थापित करने का विचार है।

श्री च० चु० देसाई : क्या सरकार को मालूम है कि जगद्गुरु शंकराचार्य समझते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि उस वक्तव्य और गोरक्षा महा-अभियान समिति को भेजे गये पत्र में दिये गये बचनों से पीछे हटने की कोई बात नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Why Government are shifting this most important issue in India on to a committee and are not taking action immediately?

Shri Jagjivan Ram : The formation of this committee is needed for taking immediate action.

Shri Kanwar Lal Gupta : When this point of setting up of a committee was put forward and what are the terms of reference of the committee. Do they include the consideration

of amendment to the constitution if necessary to ban cow-slaughter? Will the report of the committee be binding on the Government and why there has been so much delay in the matter?

Shri Jagjivan Ram: As already stated, the committee was proposed in the statement of 5th January, and it was also mentioned in the communication of 1st February, to the Maha-Abhiyan Samiti. As the Hon. Member is aware there was some delay because of the elections. The terms of reference would be the same as referred to in the statement of 5th January, and communication of 1st February. The point referred to by the Hon. Member will also be there.

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, my question whether the report of the committee will be acceptable to Government, has not been answered.

Shri Jagjivan Ram: That is why the committee is being set up.

श्री प्र० के० देव: समिति कब तक काम करना आरम्भ कर देगी ?

श्री जगजीवन राम: स्थापना से छः महीने की अवधि में ।

श्री रा० बरुआ: क्या प्रस्तावित समिति प्रश्न की राजनीति के अतिरिक्त, समस्या के आर्थिक पहलू पर भी विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम: जी, हां; यह इस प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the number of states whose response to the communication of the Central Government on this issue has been favourable and the number of those who have not reacted favourable? Keeping in view of the favourable and unfavourable replies will the Central Government take initiative of their own so that this serious problem engaging the minds of the people of the entire country is solved soon?

Shri Jagjivan Ram: The Hon. Member is aware that many State Governments were addressed in October last year. Almost everyone of them has sent in its reply. The Hon. Member is well aware that there is a ban in most of the States, in some a partial ban exists, and in some States there is no ban at all. The purpose of communicating with the States was to enforce total ban where there was a partial ban as also to enforce ban where it was not there at all and I can say the replies were quite satisfactory. But, as the Hon. Member knows, the elections came and therefore, it was not possible for the State Governments to put it into action. I will suggest in the Chief Minister's Conference to be held on 8-9th that all possible steps should be taken even before the recommendations of the committee are received.

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

बम्बई स्टीम नेवीगेशन बोट सर्विस

+

अ०सू०प्र० 5. श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्नागिरी तट पर की बम्बई स्टीम नेविगेशन बोट सर्विस बंद

कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप कितनी बेरोजगारी हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लाइन पर यात्री-किराये में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) कंपनी के बम्बई डाक और कोंकन तट पर के विभिन्न कार्यालयों के कुल 139 व्यक्तियों में से, जिन पर इसका प्रभाव पड़ा है, 56 व्यक्तियों को छंटनी की सूचना दे दी गयी है। क्षतिपूर्ति देकर 83 बोट खलासियों की छंटनी की गयी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आर्थिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां अधिक रोजगार भी नहीं मिलता है, क्या सरकार इन बेरोजगार लोगों को शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया में रोजगार देगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस बात को देखते हुये कि समाचारपत्रों में किरायों में वृद्धि के समाचार आते रहे हैं, क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि किराये नहीं बढ़ाये जायेंगे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : किराये बढ़ाने का प्रश्न इस वृद्धि से सम्बन्धित नौवहन कम्पनी सिफारिश पर सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति को सौंपा गया है। इस समिति का प्रतिवेदन 21 अप्रैल तक मिल जाने की आशा है। प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा उस पर सरकार द्वारा विचार कर लिये जाने के बाद वे माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में निर्णय कर सकेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, some paper has fallen down from above on the opposite side. It is very objectionable. If these things happen in the House, we will not be able to function. You should enquire how the paper fell down ?

श्री दत्तात्रेय कुंटे : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी द्वारा अपनी सेवा बन्द किये जाने के कारणों की जांच की है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का एक लम्बा इतिहास है। बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, जिसके जहाज सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी द्वारा चलाये जाते थे, 1960 में किराया बढ़ाना चाहती थी। उस समय इस सारे प्रश्न पर विचार करने

के लिये एक समिति स्थापित की गई, जिसके प्रधान श्री पी० एस० राव थे और उसने अनेक सिफारिशें की थीं। उनमें से कुछ ये थीं — किराये में तुरन्त 8 प्रतिशत वृद्धि, नये जहाज खरीदने के लिये कम्पनी को व्याज-रहित ऋण की मंजूरी, जिसपर ब्याज का भुगतान महाराष्ट्र सरकार राज सहायता के रूप में देगी और नये जहाजों के आने पर किराये में 7 प्रतिशत की और वृद्धि। तब महाराष्ट्र सरकार किराया बढ़ाने की इच्छुक नहीं थी क्योंकि बम्बई शहर की श्रमिक जनता के हित का मामला था। इसलिये उन्होंने कहा कि वे किराये में वृद्धि के बदले में राजसहायता भी देने को तैयार हैं। बाद में राजसहायता के भुगतान में कुछ गड़बड़ रही है। कुछ राज-सहायता दी गई लेकिन जितनी मांगी गई उतनी नहीं। अब बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने 1961-62 की राजसहायता की बकाया राशि और 1962-63 की राजसहायता के रूप में लगभग 22 लाख रुपये की अदायगी के लिये दावा किया है। मामला निर्णयाधीन है और महा-राष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार संयुक्त रूप से उत्तर तैयार कर रही हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सूखाग्रस्त राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनायें

*236. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा-ग्रस्त राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं, नल-कूपों, कुओं तथा पम्पिग सेटों आदि के लिये कितनी विशेष धनराशि दी गई है, और अलग रखी गई है ;

(ख) क्या सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में निर्माणकार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग).एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-207/67]

चाय उद्योग के लिये उर्वरक

*237. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक संस्था ने 1 फरवरी, 1967 से चाय उद्योग को दिये गये उर्वरकों विशेषकर एमोनिया सल्फेट के विक्रय मूल्य में वृद्धि का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) उर्वरक एसोसियेशन नें उर्वरकों के विक्रय मूल्य के विरोध में कोई पत्र नहीं भेजा है परन्तु

टी एसोसियेशन आफ इण्डिया ने वाणिज्य मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने 1 फरवरी, 1967 से चाय उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले उर्वरकों के विक्रय मूल्य बढ़ाने का विरोध किया है।

(ख) और (ग). टी एसोसियेशन के पत्र पर विचार किया जा रहा है और उसके विषय में निर्णय शीघ्र ही सूचित किया जायेगा।

भारत में चावल की कमी

*238. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चावल की कमी विश्व के कुल निर्यात की कुल मात्रा से अधिक है ;

(ख) देश में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिये और इस बीच देश में इसकी कमी पूरी करने के लिये किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि किसी खाद्यान्न विशेष की आवश्यकता कई बातों पर यथा उपलब्धता मूल्य, आय के स्तरों आदि तथा इस बात पर भी कि किसी खाद्यान्न विशेष की प्रत्येक वर्ष में कितनी सप्लाई होती है और खाद्य प्रयोजन के लिये उसे किस प्रकार बदला जा सकता है, निर्भर करती है; किसी वर्ष विशेष में देश में चावल की कमी के बारे में ठीक-ठीक ब्योरा देना संभव नहीं है। तथापि यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1964-65 की तुलना में वर्ष 1965-66 में देश में चावल की उपज 84 लाख टन कम हुई जबकि सारे विश्व (चीन को छोड़कर) में 1965 में चावल का कुल निर्यात 65 लाख टन हुआ।

(ख) और (ग). टी० एन० आई०, टी०-65, ताइना-3 ए० डी० टी०-27 जैसी पैदावार को काफी बढ़ाने वाली किस्मों तथा कुछ स्थानीय किस्मों को भी, जिनसे पैदावार काफी बढ़ी है, बोकर चावल की उपज को काफी और शीघ्र बढ़ाने के प्रयत्न किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसे खरीफ-सीजन 1966-67 से आरम्भ किया गया है, 12 लाख 60 हजार एकड़ भूमि में धान बोया गया है। इसके अतिरिक्त, रबी/ग्रीष्म सीजन 1966-67 के दौरान 20 लाख 30 हजार एकड़ भूमि में धान की इन किस्मों के बोये जाने की आशा है। अगले वर्ष के लिये, खरीफ के दौरान 41 लाख एकड़ भूमि में और रबी/ग्रीष्म सीजन के दौरान 20 लाख 10 हजार एकड़ भूमि में चावल के इन किस्मों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस कार्यक्रम के लिये बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों आदि की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने की व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, भारत के रिजर्व बैंक ने अल्पकालीन ऋण की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये राज्य सरकारों को विशेष सीमाओं तक ऋण देना मंजूर किया है। सहकारी ऋण व्यवस्था को बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों ने भी तकावी ऋणों को देने की व्यवस्था की है।

उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त, उपज को जल्दी बढ़ाने की दृष्टि से विकास सम्बन्धी अन्य सामान्य कार्यक्रमों का यथा छोटी सिंचाई, कटाव से भूमि का बचाव, उर्वरक तथा खादों की सप्लाई का बढ़ाना, प्लान्ट प्रोटेक्शन, जो कि चावल की उपज को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विस्तार किया गया है।

वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये अपनाये गये उपायों का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'भारत में खाद्य तथा अत्यधिक कमी की स्थिति की समीक्षा' में, जो कि पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है, विस्तारपूर्वक संकेत दिया गया है।

Legal Action Against Dr. Dharma Teja

*239. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether Government have initiated any legal action against Dr. Dharma Teja of Jayanti Shipping Company during the recent months;

(b) if so, the present position in regard thereto; and

(c) the action that Government propose to take in future in this regard?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-208/67]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम

*240 **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनक्रमों का गत 20 वर्षों के दौरान पुनरीक्षण नहीं किया गया ;

(ख) क्या उनके वेतनक्रम माजगांव डाक यार्ड लिमिटेड, बम्बई में वैसा ही काम करने वाले उनके साथियों के वेतन क्रमों के समान नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को दिये जाने वाला महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की तुलना में कम है ;

(ङ) 1963 में प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के बारे में जो समझौता हुआ था क्या उसको कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) जी नहीं । वेतन मान पुनरीक्षित कर दिये गये हैं ।

(ख) सेवा-तुल्यता में पक्की तकनीकी जांच के न हो सकने के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम और माजगांव डाक लि०, बंबई में प्रतिरूप की अनन्यना करना कठिन है । मोटी तौर पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम के वेतन मान मांजगांव डाक यार्ड लि०, बंबई के वेतनमान से कम है ।

(ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापतनम् के वेतनमानों सहित इंजीनियरी इन्डस्ट्रीज के बेतनमानों का सम्पूर्ण प्रश्न इंजीनियरी इन्डस्ट्रीज के वेजबोर्ड के सम्मुख है ।

(घ) जी नहीं । वास्तव में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, में दिया जाने वाला महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के यहां दिये जाने वाले भत्ते से पर्याप्त ऊंचा है ।

(ङ) महंगाई भत्ते के देने का ऐसा प्रबंध करना संभव नहीं हुआ है जो उत्पादन और क्षमता में वृद्धि करने वाला हो ।

राज्यों को उर्वरकों का आवंटन

*241. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के लिये आवंटित उर्वरकों का उन राज्यों में सूखे की स्थिति होने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को उर्वरकों के आवंटन में कोई पुर्नवितरण किया गया है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो पुर्नवितरण का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन की व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन दल

*242. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये अमरीका सहकारी लीग द्वारा प्रायोजित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दल ने सिफारिश की है कि भारत की सहकारी समितियों का अमेरिकन को-आपरेटिव्स के सहयोग से अपना उर्वरक प्लांट अथवा प्लांट्स लगाना सम्भव है । दल ने यह भी सिफारिश की है कि व्यवहार्यता तथा प्लांट के स्थान के बारे में और अधिक सर्वांगीण अध्ययन किया जाए ।

(ग) दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में 'अमेरिकन को-आपरेटिव्स' की एक 'इन्वेस्टर टीम' के शीघ्र ही भारत आने की आशा है । सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक प्लांट लगाने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय प्रस्तावित 'इन्वेस्टर टीम' द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव तैयार कर लेने के पश्चात लिया जाएगा ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परिवहन सम्बन्धी गतिरोध

*243. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन में गतिरोध हो जाने के कारण अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का समूचा विकास रुक गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो परिवहन गतिरोध को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपों के विकास के लिये परिवहन की समस्त आवश्यकताओं को उपलब्ध करने में कुछ कठिनाइयां हैं । किन्तु इस कारण से इन द्वीपों में विकास क्रियाशीलता बन्द नहीं कर दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) (1) जो दो पोत सेवा में लगे हुए हैं उनके अतिरिक्त भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच सेवा की तुरत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक और पोत प्राप्त किया गया है ।

(2) उपरोक्त (1) के अतिरिक्त पाँच नये पोत प्राप्त किए जा रहे हैं—तीन मुख्य भूमि-द्वीप सेवा और दो अन्तर्द्वीप सेवा के लिए ।

(3) इस क्षेत्र में सड़कों और सड़क परिवहन के विकास के लिए अण्डमान और निकोबार की चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की प्रारूप रूप रेखा में 3.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है । प्रस्तावों में निर्माणाधीन सड़कों की पूर्ति, नई सड़कों का निर्माण, स्थानीय बस-सेवा

के लिए 20 बसों की प्राप्ति और कारखाने का विस्तार सम्मिलित है ।

गेहूं तथा अन्य किस्मों के अनाज के मूल्य

*244. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री एस० के० सम्बन्धन :**
श्री खगपति प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1967 के अन्त में विभिन्न राज्यों में गेहूं तथा अन्य किस्मों के अनाज के मूल्य क्या-क्या थे ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में गेहूं तथा अन्य किस्मों के अनाज के मूल्यों के अन्तर को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) फरवरी, 1966 के अन्त में विभिन्न राज्यों के प्रमुख केन्द्रों पर गेहूं तथा अन्य अनाजों के थोक मूल्य बतलाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-209/67]**

(ख) प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न स्थिति होने के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में समता लाना सम्भव नहीं है ।

Aeroplanes With I.A.C.

*245. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the total number of aeroplanes and their types with the Indian Airlines Corporation at present; and

(b) the number of aeroplanes and their types proposed to be purchased by the Indian Airlines Corporation during 1967-68 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a)

Caravelles	..	..	6
Viscounts	..	..	14
Skymasters	..	..	3
F-27 Friendships	..	..	13
Dakotas			
(i) Passenger	..	..	25
(ii) Freighter	..	..	7
			32

(b) Negotiations for obtaining credits for the purchase of two F-27 aircraft for delivery during August/September, 1967 are being conducted and contract for purchase of one

Caravelle aircraft for delivery in October, 1967 has been concluded. Orders have been placed with Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore for 9 HS-748 aircraft for delivery during 1967-68 and 1968-69 and contract in this regard is being finalised.

उड़ीसा से चावल की सप्लाई

*246. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की सरकार ने जनवरी, 1966 से मार्च, 1967 तक की अवधि में केन्द्रीय पूल में तथा अन्य राज्यों को, राज्यवार, कितना-कितना चावल भेजा था ;

(ख) इस अवधि में कितना चावल निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) 1967-68 की फसलों में केन्द्रीय पूल में कितना चावल भेजने के लिये राज्य सरकार सहमत हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) उड़ीसा ने 1-1-1966 से 28-3-1967 तक की अवधि में केन्द्रीय पूल में 125.6 हजार मीटरी टन चावल दिया था । इसके अतिरिक्त 3 हजार मीटरी टन असम तथा 4.3 हजार मीटरी टन पश्चिमी बंगाल को राज्य से राज्य के आधार पर भेजा गया है ।

(ख) 1966-67 में निर्यात का लक्ष्य 75,000 मीटरी टन था । 1967-68 के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकार के लिए अभी यह बताना कठिन है कि वह फसल सीजन 1967-68 के दौरान चावल की कितनी मात्रा केन्द्रीय पूल में देगी ।

भू-धृति पद्धति (लैंड-टेन्योर सिस्टम) में सुधार

*247. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-धृति पद्धति में सुधार किये जाने के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) देश के कृषि ढांचे पर ग्रामदान आन्दोलन का क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आन्दोलन के प्रभाव की जांच करने के विषय में कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

Production of Food Grains in Development Blocks

*248. **Shri Kamala Mishra Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether effective measures have been taken in the Development Blocks to increase the production of foodgrains in proportion to the acute shortage of foodgrains in the country;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) if not, the utility of these Development Blocks in this context ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). Measures for maximising production of food grains, whether under normal, intensive or emergency programmes, are implemented through the Block organisation, which is the agency at the field level for all production programmes. The Community Development blocks and Panchayati Raj bodies have, consequently been geared for increasing food production. This has been achieved, inter-alia, by augmentation of resources for agricultural production, including diversion of larger funds under the Block schematic budget, entrustment of exclusively agricultural functions to Village Level Workers, stress on the need for maintaining the full complement of extension workers in charge of agriculture and increasing their strength, where required, according to the intensity of programmes, intensifying training arrangements for improving the functional skills of extension workers and for educating farmers in the adoption of improved practices and follow up of arrangements for proper distribution of available inputs; Panchayati Raj institutions have been increasingly involved in the effort.

(c) Does not arise.

रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी

*249. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव अन्तिम रूप में तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सभी बर्तमान कर्मचारियों की सेवायें लगातार चली आ रही सेवाएं मानी जायेंगी ; और

(घ) क्या सरकार को रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड तथा इंडियन जनरल नेविगेशन एंड रेलवे कम्पनी लिमिटेड वर्कर्स यूनियन आसाम, गौहाटी की ओर से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी नहीं । फिर भी इस मामले में सरकार ने कुछ प्रस्ताव बनाये हैं और कम्पनीज एक्ट की धारा

391 साथ पठित धारा 392-394 के अन्तर्गत स्कीमों को रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी ने अपने सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों से समझौता करने के लिए तथा अपनी परिसंपति को एक नई कम्पनी को हस्तान्तरित करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के सम्मुख है।

(ग) चूंकि मामला न्यायालय में है अतः इस अवस्था में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

(घ) जी हां।

कलकत्ता पत्तन

*251. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन से पहले के पांच महीनों की तुलना में अवमूल्यन के बाद के सात महीनों में कलकत्ता पत्तन में व्यापार घट गया है ;

(ख) क्या व्यापार में यह कमी कम निर्यात अथवा कम आयात के कारण है अथवा दोनों के कारण है तथा किन-किन मुख्य वस्तुओं के कारण है ;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन अधिकारियों को अपनी आय बनाये रखने के लिए पत्तन प्रभार में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) इस निर्णय के क्या दीर्घकालीन परिणाम होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) एक असर तो यह होगा कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कमिश्नर्स की वित्तीय स्थिति स्थिर हो जायेगी और उसके परिणामतः वे दक्षता के अपने वर्तमान स्तर पर परिचालन करने योग्य रहेंगे। जहां तक दीर्घकालीन प्रभाव का सम्बन्ध है उसमें किसी गंभीर परिणामों का अनुमान नहीं किया जाता है। फिर भी स्थिति पर विचार रखा जायेगा।

उपभोक्ता तथा विविध वस्तु भंडार (डिपार्टमेंट स्टोर्स)

*252. **श्री एम० एन० नाघनूर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "उपभोक्ता भण्डारों" तथा 'विविध वस्तु भण्डारों' सम्बन्धी संगठन के फलस्वरूप बाजार में सामान की कीमतें घटी हैं ;

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के 20 प्रतिशत भाग को उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन/परिष्करण सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) थोक उपभोक्ता भण्डारों तथा बहु-विभागी भण्डारों ने खुदरा वितरक व्यापार पर वास्तव में अवरोधक प्रभाव डाला है ।

(ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग वितरित कराने का कोई इरादा नहीं था । उपभोक्ता सहकारी समितियों का उद्देश्य चौथी योजना के अन्त तक उन क्षेत्रों का 20 प्रतिशत खुदरा व्यापार अपने हाथ में लेने का है जहां वे कार्य कर रही हैं, ताकि मूल्यों पर प्रभाव डाला जा सके ।

(ग) निजी विनिर्माताओं पर उनकी निर्भरता को घटाने तथा उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियों को विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की निर्माण तथा विधायन यूनिटें स्थापित करने के लिए सहायता देने का निर्णय किया है ।

गुजरात को अनाज की सप्लाई

*253. **श्री इन्दुलाल याज्ञिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को खाद्य तेल के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए रजामंद कराने से पहले गुजरात के लिए अन्य राज्यों से अन्न तथा अन्य अनाजों का अपेक्षित मात्रा में स्टाक जमा करने लिए सरकार सहमत हो गई थी ;

(ख) क्या सरकार अन्य राज्यों से गुजरात के लिए ऐसे अनाज प्राप्त करने में सफल रही थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों की दृष्टि से गुजरात कमी वाला राज्य है और वह केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है । तथापि, राज्य सरकार को खाने के योग्य तेल के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए दूसरे राज्यों से खाद्यान्नों का कोई स्टाक प्राप्त करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

व्यापार वाली फसलों का उत्पादन

*254. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टेनेसी, अमरीका में सदर्न काटन एसोसिएशन में भाषण करते हुए अमरीका के आर्थिक मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट, मि० एन्थनी एम० सोलोमन द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीका ने अमरीकी खाद्य सहायता लेने वाले देशों को कहा है कि वे कपास और काफी जैसी व्यापारी वाली फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी उपायों के बारे में पुनर्विचार करें ;

(ख) क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में कपास और काफी के उत्पादन सम्बन्धी भावी नीति और कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं। नीति तथा कार्यक्रम का समय-समय पर संसद के सामने रखे गये ड्राफ्ट प्लान आऊट लाइन तथा अन्य कागजातों में स्पष्टीकरण किया गया है। ये सघन खेती पर आधारित हैं।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

*255. **श्री प्र० के० देव** : **श्री के० पी० सिंह देव** :
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से निकट भविष्य में उनका सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ करने का तथा आधुनिकीकरण के लिए पूर्ववर्तितायें कब निश्चित करने का विचार है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). हवाई अड्डों का सुधार कार्य लगातार किया जाता रहता है और यह कार्य इन हवाई अड्डों का उपयोग करने वाले वायुयान के आकार, भार और गति की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। इस प्रकार के सुधार-कार्यों में सम्बद्ध स्थलीय उपस्करों के साथ हवाई अड्डे की सुविधाएं और

दिक्चालन सहायताएं तथा दूर संचार सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। ये कार्य क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उपस्करों की उपलब्धि तथा परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार हवाई अड्डों पर किये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण आन्तरिक 'ट्रंक' तथा 'फीडर' मार्गों पर स्थित हवाई अड्डों को प्राथमिकता दी जाती है।

सड़क परिवहन

*256. **श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया :**
श्री डी० एन० पाटोदिया :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यद्यपि सड़क परिवहन पर रेलवे की अपेक्षा कम पूंजी लगानी पड़ती है, फिर भी उससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है और इससे देश में अधिक लोगों को रोजगार भी मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में सड़क परिवहन को प्रोत्साहन देने तथा सड़क परिवहन के विस्तार में वाधक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-**210/67]

आई० ए० सी० के विमानों की उड़ान में विलम्ब

*257. **श्री डी० एन० पाटोदिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० ए० सी० के विमानों की उड़ानों में बार-बार तथा अघोषित विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कभी-कभी मन्त्रियों और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कार्यक्रमों के अनुकूल बनाने के लिए आई० ए० सी० के उड़ानों में विलम्ब किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को बन्द करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की अनुसूचित विमान सेवाओं में मुख्यतः निम्न कारणों से विलम्ब होता है:

(i) जोड़ने वाली सेवाएं (परिणामी)

(ii) इंजीनियरी

(iii) खराब मौसम

(iv) यातायात तथा खान-पान प्रबन्ध

(v) परिचालन

जब कभी विमान सेवाओं के विलम्बित होने की सम्भावना होती है तभी इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा यात्रियों की सूचना के लिए आवश्यक घोषणाएं कर दी जाती हैं।

(ख) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की उड़ाने अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा मंत्रियों के लिए विलम्बित नहीं की जातीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन

*258. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में अधिक हुआ है अथवा कम ;

(ख) यदि उत्पादन कम हुआ है, तो कितना तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीनी के उत्पादन में प्रति वर्ष बहुत उतार-चढ़ाव रहता है ; और

(घ) यदि हां, तो चीनी के वार्षिक उत्पादन की मात्रा को स्थायी रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). 1966-67 के चालू सीजन में 22 मार्च तक 19.16 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है जबकि गत वर्ष की उसी अवधि तक 25.61 लाख मीटरी टन हुआ था। इसने उत्पादन में 6.45 लाख मीटरी टन की कमी हुई है। यह कमी बुवाई में मौसम और उगने की अवधि में अनावृष्टि और सूखे की स्थिति रहने के कारण गन्ने की कम पैदावार होने से हुई है। गन्ना चीनी बनाने की बजाय गुड तथा खंडसारी बनाने में लगाने, जिनकी कीमत अत्यधिक बढ़ गयी थी, के फलस्वरूप चीनी कारखानों को गन्ने की अपर्याप्त सप्लाई हुई।

(ग) और (घ). किसी भी वर्ष में चीनी का उत्पादन गन्ने की पैदावार और गुड़ तथा खंडसारी के सापेक्ष मूल्यों पर निर्भर करता है। इसका समाधान चीनी, गुड़ तथा खंडसारी उत्पादकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए गन्ने की पैदावार बढ़ाने में निहित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये गन्ना विकास योजनाएं प्रगति पर हैं।

उड़ीसा के लिए चीनी का कोटा

410. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1966 से फरवरी, 1967 तक महीने वार उड़ीसा राज्य के लिये चीनी का कितना कोटा नियत किया गया ; और

(ख) इन महीनों में उड़ीसा ने कितनी चीनी मांगी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) प्रति मास 6,200 मीटरी टन ।

(ख) विचाराधीन अवधि में उड़ीसा सरकार से अतिरिक्त आवंटन के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई थी ।

1966-67 में चावल का आयात

411. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में चावल का कुल कितना आयात किया गया;

(ख) किन-किन देशों से चावल का आयात किया गया; और

(ग) उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) . अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-211/67]

(ग) 1966-67 में फरवरी, 1967 के अंत तक चावल के आयात पर व्यय हुई विदेशी मुद्रा की कुल राशि 52.41 करोड़ रुपये है । मार्च, 1967 का लेखा विदेशों में स्थित अपने मिशन से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

उड़ीसा को ऋण

412. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में खेती की उपज बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई

अल्पकालीन ऋण दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार 1966-67 की अवधि में उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों के क्रय तथा वितरण के लिए निम्नलिखित अल्पकालीन ऋण देती रही है:

उर्वरकों के क्रय तथा वितरण के लिए	रुपये	115.69 लाख
उर्वरकों के लिए तकावी ऋण	रुपये	100.00 लाख
कीटनाशक औषधियों के क्रय के लिए	रुपये	40.00 लाख
कुल :	रुपये	255.69 लाख

रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता

413. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिये रासायनिक उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन हुआ है और 1967-68 में कितनी मात्रा में आयात करना पड़ेगा; और

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक नियत किये गये हैं और 1967-68 में प्रत्येक राज्य को कितनी आवश्यकता होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) विभिन्न उत्पादन कार्यक्रमों, आयात के लिये विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा अनुमानित देशी उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए 1967-68 के लिये उर्वरकों की मांग निम्न प्रकार है :

	(मिलियन टोन्ज)
नाईट्रोजनस उर्वरक (नाईट्रोजन के रूप में)	1.35
फास्फेटिक उर्वरक (पी$_2$ओ$_5$ के रूप में)	0.50
पोटासिक उर्वरक (के$_2$ओ)	0.30

(ख) (मिलियन टोन्ज)

	खपत के लिये लक्ष्य	अनुमानित देसी उत्पादन	आयात किया गया शेष
नाईट्रोजनस उर्वरक (नाईट्रोजन के रूप में)	1.35	0.5	0.85
फास्फेटिक उर्वरक (पी$_2$ओ$_5$ के रूप में)	0.50	0.275	0.225
पोटासिक उर्वरक (के$_2$ओ के रूप में)	0.30	—	0.30

(ग) सैन्ट्रल फर्टीलाइजर पूल द्वारा वितरित उर्वरकों का नियतन त्रिमासिक रूप से किया जाता है। 1967-68 की प्रथम त्रिमासिक (अप्रैल-जून 1967) अलाटमैन्ट शीघ्र ही की जाएगी। 1967-68 के लिए राज्यों द्वारा मांगी गई निट्रोजीनस उर्वरक की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**212/67]

कृषि बरमा मशीनों के पुर्जों का आयात

414. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्ष की अवधि में मद्रास सरकार ने कृषि बरमा मशीनों के पुर्जों का आयात करने के लिये कोई अनुमति मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की प्रार्थना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख). एक विवरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**213/67]

मद्रास-कन्याकुमारी राजपथ पर पुल

415. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के कारण वर्ष 1962 में मद्रास-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर 92वें मील के आस-पास कोई पुल टूट गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका पुनर्निर्माण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

New Agricultural Universities

416. **Shri D. S. Patil: Shri T. D. Kamble: Shri S. D. Baswant: Shri T. A. Patil:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of new Agricultural Universities proposed to be set-up in the country during the Fourth Five Year Plan period; and

(b) whether these Agricultural Universities will be set-up in every State on a proportionate basis?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) From the information received from the States during Plan discussions, it is understood that the States of Maharashtra, Gujarat, Madras and Assam are contemplating to set up Agricultural Universities during the Fourth Five Year Plan period. Recently the Agriculture Minister of Kerala has also made a statement that he is in favour of starting an Agricultural University very soon in Kerala.

(b) The Education Commission (1964-66) has recommended that there should be at least one Agricultural University in each State. During the Fourth Plan period not more than one University is contemplated for any State. If, however, the States which do not have Agricultural Universities now come forward with proposals to have one started during the Fourth Plan period, support and assistance will be given from the Centre.

Agricultural University In Maharashtra

417. **Shri D. S. Patil: Shri S. D. Baswant: Shri T. R. Patil: Shri T. D. Kamble:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Government of Maharashtra have decided to set up an Agricultural University in the State of Maharashtra;

(b) the number of Agricultural Colleges in the State and the number of those likely to be opened during the Fourth Five Year Plan; and

(c) the reasons for not setting up an Agricultural University in Maharashtra during the Third Five Year Plan?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Yes.

(b) Todate there are eight Agricultural Colleges in the State. To the best of our information, no more Agricultural colleges are likely to be opened in the State during the Fourth Five Year Plan.

(c) The Government of Maharashtra probably wanted to watch the development of Agricultural Universities in other States. During the Third Five Year Plan, however, the State Government had taken advance action towards the establishment of an Agricultural University during the Fourth Five Year Plan.

विन्यास सम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए समिति

418. **श्री जी० कुचेलर :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में मन्दिरों जैसी विन्यास सम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिये कोई केन्द्रीय समिति कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या-क्या कृत्य हैं और इसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में राशन में मिलने वाले पदार्थों की किस्म

419. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन में मिलने वाली वस्तुओं को खराब किस्म के बारे में उपभोक्ताओं से हाल में काफी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

खाद्य,कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). पिछले तीन महीनों के दौरान राशन अधिकारियों को केवल 21 शिकायतें मिली हैं । उनके बारे में जांच की गई और जो मात्रा घटिया किस्म की पायी गई उसकी बिक्री बन्द कर दी गई है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये धन का नियतन

420. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त राज्यों को तदर्थ वित्तीय नियतन किया है ताकि वे प्रभावित किसानों से कृषि के लिए दिये गये ऋणों की वसूली स्थगित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो सूखा-ग्रस्त राज्यों के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1966-67 में आठ राज्य सरकारों को शीर्ष सहकारी बैंकों की कृषि ऋण स्थिरीकरण निधियों को मजबूत बनाने के लिए 677.50 लाख रुपये का नियतन किया, ताकि सूखाग्रसित क्षेत्रों की सहकारी समितियों के सदस्यों के अतिदेय अल्पकालीन कृषि ऋणों को सुगमता से मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सके।

चौथे आम चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया

421. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरोधी दलों के इन आरोपों की, कि चौथे आम चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) . सरकार को किसी भी विरोधी दल से ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया हो कि निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और न ही उसे किसी ऐसे आरोपों के बारे में निर्वाचन आयोग से कोई सूचना मिली है। यह प्रश्न बहुत ही मोटे स्वरूप का लगता है क्योंकि इसमें ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि किस विरोधी दल अथवा दलों ने ऐसे आरोप लगाये हैं अथवा किस अधिकारी से ऐसे आरोपों (यदि कोई हों) की शिकायत की गई है।

मध्य प्रदेश में दूसरी बार सूखे की स्थिति

422. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो सूखे से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) सरकार जानती है कि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति है।

(ख) सूखे की स्थिति से उत्पन्न संकट का मुकाबला करने के लिये किए गये सहायता कार्यों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :

(1) लगभग 20,000 व्यक्तियों को प्रति दिन मुफ्त सहायता मिलती है।

(2) 5,797 सहायता कार्यों पर 9,19,003 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(3) राज्य सरकार को 1966-67 में 16.00 करोड़ रुपये की राशि अनुदान तथा ऋण के रूप में दी गयी है।

(4) उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां और बीज खरीदने के लिये कुल 493.40 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण दिया गया है।

(5) बूढ़े तथा दुर्बल और काम न कर सकने लायक अन्य व्यक्तियों में मुफ्त बांटने के लिये 1000 मीटरी टन उपहार गेहूं नियत किया गया है।

बहुत जल्द अधिकारियों का एक दल नियुक्त करने का विचार है। यह दल मध्य प्रदेश में स्थिति का मूल्यांकन करेगा और अन्य सहायता उपायों के बारे में उपयुक्त सिफारिश करेगा।

कालीकट हवाई अड्डा

423. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 29 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिये योजनाओं तथा प्राक्कलनों की तैयारी में और आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसमें यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) कालीकट में हवाई अड्डा बनाने के लिये योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

(ख) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा कालीकट को संभावित यातायात के संबंध में बाजारी दृष्टि से किये जा रहे अनुसंधान के परिणामों का पता चलने के बाद ही वहां हवाई अड्डा बनाने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

भाण्डागार की उचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्यान्नों का खराब होना

424. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री डी० एन० पाटोदिया :
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भाण्डागार की उचित व्यवस्था न होने के कारण खराब होने वाले खाद्यान्न की प्रतिशतता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार खाद्यान्न के खराब होने को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) संचयन में कम से कम हानि हो इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) यह सुनिश्चित किया गया है कि संचयन में खाद्यान्नों की कीड़ों से सुरक्षा करने के लिये सभी कीटनाशक दवाइयां और अपेक्षित उपकरण देश में ही तैयार किये जाएं और प्रयोक्ताओं को तुरन्त सुलभ किये जाएं।

(2) इस बात की प्रत्येक सम्भव कोशिश की जाती है कि अब संचयन करने के लिये जो भी गोदाम बनाये जाते हैं वे चूहों और सीलन से सुरक्षित हों । जहां तक फार्म संचयन का सम्बन्ध है, चूहों से सुरक्षित बेहतर भाण्डों के प्रयोग करने और अनाज को धूनी देने का प्रचार किया जा रहा है।

(3) एक राष्ट्र व्यापी 'अनाज बचाओ अभियान' चलाया गया था जिसके अन्तर्गत अनाज की प्रमुख मंडियों और कुछ ग्रामीण केन्द्रों पर बेहतर संचयन की वैज्ञानिक विधियों का प्रदर्शन किया गया था ।

(4) अनाज के संचयन से सम्बन्धित प्रशिक्षण और अनुसन्धान सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र विशेष विकास निधि की सहायता से इन सुविधाओं को बढ़ाने का विचार है ।

(5) रोलर आटा मिल मालिकों, चावल मिल मालिकों और अनाज का भण्डार करने वालों के लिए यह अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठाये गए हैं कि वे अपने-अपने गोदामों में कीट नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय अपनाएं ।

(6) विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है । यह समिति इस हानि का सही-सही अनुमान लगाएगी और इन हानियों को बहुत ही कम करने के लिए जो और कदम उठाये जाने हैं उनके बारे में सरकार को सिफारिश करेगी । आशा है कि समिति बहुत ही शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

बीकानेर में दूध की कमी

426. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध खरीदे जाने के कारण उस क्षेत्र में दूध की अत्यधिक कमी हो गई है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं कि दिल्ली में केवल उतनी मात्रा में दूध भेजा जाए जो स्थानीय मांग पूरी करने पर बच जाए;

(ग) बीकानेर नगर में दुग्ध सम्भरण योजना आरम्भ करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उस क्षेत्र से दूध खरीदना आरम्भ किये जाने के समय से बीकानेर में उपभोक्ताओं को मिलने वाले दूध के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) बीकानेर जिले में शरद ऋतु में जो दूध की कमी हुई है उसका कारण मौसम का प्रभाव है और वर्षा की कमी के कारण स्थिति और प्रभावित हो गई ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध क्रय किये जाने से स्थिति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है । नवम्बर 1966 से दिल्ली दुग्ध योजना के लिए प्रति दिन केवल 1800 से 3000 किलोग्राम तक दूध प्राप्त किया गया है इसमें से लगभग 800 लिटर दूध बीकानेर शहर में सप्लाई करने के लिए राजस्थान गो सेवा संघ को दिया जाता है ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना बीकानेर शहर के 20 मील के अर्ध-व्यास के क्षेत्र से दूध नहीं खरीदती, अतः दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध खरीदे जाने के कारण बीकानेर शहर की दुग्ध सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । जिन ग्रामों से दुग्ध योजना दूध खरीदती है वहां दूध की कोई निश्चित मांग नहीं है । दिल्ली दुग्ध योजना ग्रामीणों के लिए दूध की बिक्री की एक निश्चित मण्डी का कार्य करती है । प्रायः उत्पादक लोग अपना वही दूध दिल्ली दुग्ध योजना को बेचते हैं जो उनकी अपनी स्थानीय मांग से बच रहता है ।

(ग) बीकानेर शहर को दूध सप्लाई करने के विषय में भारत सरकार की कोई योजना नहीं है । बीकानेर में वितरण करने के लिए दूध की एक उपयुक्त मात्रा राजस्थान गो सेवा संघ को दी जा रही है ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना इस क्षेत्र से जो दूध क्रय करती है उसका मूल्य धीरे-धीरे निम्न प्रकार बढ़ता रहा है :

फरवरी, 1962	35 पैसे प्रति किलो
नवम्बर, 1964	43 पैसे प्रति किलो
नवम्बर, 1966	50 पैसे प्रति किलो
जनवरी, 1967	55 पैसे प्रति किलो

इसका कारण यह है कि दुग्ध उत्पादन का व्यय तथा चारे के मूल्य बढ़ गए हैं । यदि दुग्ध योजना कृषकों से दूध न खरीदे तो वे लोग घाटा खाकर कम कीमत पर दूध बेचने पर बाध्य हो जायेंगे । कृषकों को उचित मूल्य देना बड़ा आवश्यक है और यह कहना उचित नहीं है कि बीकानेर में दूध के भाव बहुत ऊँचे हैं ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

427. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग अथवा अन्य एजेंसियों ने अब तक संशोधित रूप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की क्रियान्विति में कोई दोष अथवा कमियां बताई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कमियां क्या हैं; और

(ग) उनके अनुसार अधिनियम में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन), 1966 (1966 का 47) के द्वारा पिछले वर्ष के अन्त में दो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों में किये गये संशोधनों के बाद न तो निर्वाचन आयोग ने और न ही किसी अन्य एजेंसी ने इन दो अधिनियमों की क्रियान्विति में कोई दोष अथवा कमियां बताई हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में खंड विकास अधिकारी के पद

428. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति के लिये पूरे अनुमान लगाये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को समाप्त करने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने खण्ड संगठन के लिए जो दूसरे प्रबन्ध किए हैं, उन्हें अभी पूरी तरह क्रियान्वित करना रहता है। कुछ समय तक नए प्रबन्धों के चल चुकने के बाद ही आंकन किया जा सकता है। तथापि, राज्य सरकार ने इस बात को दोहराया है कि कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

General Elections held in February, 1967

429. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the votes of some voters in the last General Elections had been cast by some parties before they had gone to the polling booths through impersonation;

(b) whether Government have received any complaint to this effect; and

(c) if so, the steps which Government are contemplating to take to ensure that this does not occur in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) (a) and (b). The evil of impersonation is not unusual at a General Election, especially in urban areas, though it is very negligible. The Commission has received a few complaints in this regard and it has asked the Chief Electoral Officers of the States to ascertain and report the number of cases of tendered votes and number of cases in which the identity of the voter was successfully challenged.

(c) The law provides for a polling agent to challenge the identity of a person claiming to be a particular voter by depositing a sum of Rs. 2/- in cash with the Presiding Officer. The further steps to be taken to minimise cases of impersonation will be considered when the information called for is received.

Payment of Sugar-cane Charges To Farmers

430. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the year 1965-66 farmers in the neighbourhood of Motihari Sugar Mills, District Champaran, Bihar, were asked to supply their sugar-cane to Garaul Sugar Mills as the Motihari Sugar Mills had no crushing capacity;

(b) if so, whether it is also a fact that the Garaul Sugar Mills, District Muzaffarpur, Bihar, have not so far made payment to the sugar-cane grower; and

(c) if so, whether Government have taken any steps in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a). Yes, Sir.

(b) According to information received from the Government of Bihar, the Garaul Factory has still to pay Rs. 1,64,000 to the growers of Motihari area out of the sum of Rs. 3,47,000 which was payable.

(c) The Government of Bihar are examining ways to ensure early payment of arrears by the Garaul Factory, which is stated to be faced with acute financial crisis.

सूखा ग्रस्त राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता

431. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **खाद्य. तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा ग्रस्त तथा अकाल पीड़ित राज्यों की मांगे पूरी कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इन मांगों के पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय भण्डारों से खाद्यान्नों का आवंटन करते समय सूखे और कमी से प्रभावित राज्यों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इन राज्यों की मांगे सरकार के पास उपलब्ध साधनों से जहां तक सम्भव होता है, पूरी की जा रही हैं।

उड़ीसा में बीज फार्म

433. **श्री सूपकार : श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री खगपति प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रूस सरकार के सहयोग से कोई सरकारी बीज फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और इस परियोजना पर अनुमानतः कुल कितना धन लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) उड़ीसा में एक बीज फार्म की स्थापना की जा रही है। इस फार्म के लिए आवश्यक मशीनें रूस द्वारा भारत सरकार को उपहार रूप में दी जा रही हैं ।

(ख) यह फार्म हीराकुड जलागार के उपान्त तथा तटाग्र क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है । इस फार्म पर 4-5 वर्ष की अवधि में अनुमानतः 2 करोड़ रुपए की लागत आयेगी ।

कोजिचम्पारा चीनी कारखाना

434. **श्री ई० के० नयानर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के पालघाट जिले में कोजिचम्पारा चीनी कारखाने को केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले वर्ष कुल कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के बावजूद यह कारखाना बन्द पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) इस कारण बेकार हुये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) इस कारखाने को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने कोजिचम्पारा चीनी कारखाने को कोई ऋण मंजूर नहीं किया था ।

(ख) यह कारखाना सितम्बर, 1966 से बंद रहा, किन्तु इसके बंद रहने का केन्द्रीय सहायता से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) इस कारखाने के बंद होने का मुख्य कारण गन्ने की सप्लाई की कमी थी, जिसके

निम्न कारण थे :

(1) पालघाट तथा कोयम्बटूर के क्षेत्रों में ऐसी सूखे की स्थिति का होना जैसी पहले कभी नहीं हुई थी ।

(2) गुड़ उद्योग के लिए गन्ने की प्रचुर मात्रा का दिया जाना, जहां से गन्ना उत्पादकों को अधिक अच्छे मूल्य मिलते हैं ।

(घ) 411 कर्मचारी ।

(ङ) सरकार को आशा है कि यह कारखाना सितम्बर, 1967 के अंतिम सप्ताह में किसी समय विशेष गन्ना पेरने के मौसम के लिए पुनः चालू हो जाएगा ।

बिहार में दुर्भिक्ष की स्थिति

435. **श्री मधु लिमये :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार के भूतपूर्व मंत्रालय से राज्य में दुर्भिक्ष की स्थिति के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ख) क्या भूतपूर्व मन्त्रालय ने कोई सहायता सम्बन्धी योजना जिसमें वृद्धों को निशुल्क भोजन, कुएं खोदने तथा मई-जून 1967 में पशुओं तथा मनुष्यों के लिए पानी की व्यवस्था भी शामिल है, बनाई थी;

(ग) क्या बिहार के नये मंत्रालय ने बिहार में दुर्भिक्ष की स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से बहुत अधिक सहायता मांगी है;

(घ) यह हां, तो केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की तथा कुल कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ङ) इसके बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ङ). भारत सरकार को बिहार में सूखे से उत्पन्न अत्यधिक कमी की स्थिति के बारे में बिहार की पिछली राज्य सरकार से रिपोर्टें मिलती रही हैं और भारत सरकार बिहार में सूखे की स्थिति और इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिये किए गये आवश्यक उपायों के बारे में बिहार सरकार (दोनों पुरानी तथा नई) से बराबर सम्पर्क रखे हुये है । सहायता कार्यक्रमों में अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ ये कार्यक्रम शामिल हैं—बूढ़े तथा सहायता कार्यों पर काम न कर सकने लायक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देना और गर्मी के मौसम में आदमी तथा मवेशियों के लिये पीने के पानी की सप्लाई के लिये योजनाएं । केन्द्रीय सरकार इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिये बिहार सरकार को प्रत्येक सम्भव सहायता दे रही है । तथापि, राज्य सरकार (पुरानी तथा नई दोनों) केन्द्र द्वारा आवंटित

की गयी खाद्यान्नों की मात्रा से संतुष्ट नहीं हुई हैं। बिहार को खाद्यान्नों के आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि की गयी है। यह आवंटन अक्तूबर, 1966 के 72,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अप्रैल, 1967 में 1,85,000 मीटरी टन कर दिया गया है। बिहार सरकार इसे अपर्याप्त समझती है। देश में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धि और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार के लिये बिहार को अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन करना सम्भव नहीं हुआ है।

पर्यटक यातायात

436. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष पर्यटक यातायात कम हुआ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ; और

(ग) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1966 के दौरान भारत को विदेशी पर्यटक यातायात में कोई कमी नहीं हुई। वास्तव में इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 7.9% की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल को चावल की सप्लाई

437. **श्री सूपकार :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1967 को समाप्त होने वाले चार महीनों में केरल को अन्य राज्यों से कितना चावल सप्लाई किया गया; और

(ख) इन चार महीनों में उस राज्य में राशन में प्रति व्यक्ति कितना चावल दिया गया?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस अवधि में केरल को सप्लाई किये गये आयातित चावल के अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्यों से 1.36 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया था।

(ख) राशन पर दी जाने वाली चावल की मात्रा प्रति वयस्क प्रति दिन 160 ग्राम और 2 तथा 12 वर्ष की आयु के बीच के प्रति बच्चे के लिये इससे आधी मात्रा है। राशन में प्रति वयस्क प्रति दिन 120 ग्राम और प्रति बच्चे को इससे आधी मात्रा में गेहूँ भी दिया जाता है।

उड़ीसा को गेहूँ की सप्लाई

438. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इस वर्ष के आरम्भ से ही उड़ीसा को गेहूँ का अतिरिक्त कोटा देने की प्रार्थना की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रार्थना स्वीकार की गई थी;

(ग) उड़ीसा को प्रति मास गेहूँ का कितना कोटा दिया जाता है;

(घ) मांगे गये कोटे से यह कोटा कितना कम है; और

(ङ) गेहूँ के वर्तमान कोटे को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 8,000 मीटरी टन ।

(घ) मांगे गये कोटे से यह कम नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में खेती के लिये बिजली

439. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती के लिए बिजली उपलब्ध करने के लिए 1966-67 में उड़ीसा को कितना धन राज सहायता के रूप में दिया गया; और

(ख) राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें से कितनी राशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) खेती के लिये बिजली सप्लाई करने हेतु 1966-67 में उड़ीसा सरकार से राज-सहायता के लिये कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कोई राज-सहायता उसको स्वीकृत नहीं की गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मत्स्यपालन के विकास के बारे में नार्वे के साथ करार

440. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मत्स्यपालन के और आगे विकास के लिए नार्वे और भारत के बीच हाल में तकनीकी सहायता सम्बन्धी एक नया करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मछली उद्योग के क्षेत्र में विकास सम्बन्धी कार्यों को कार्यरूप देने के लिए 17 मार्च, 1967 को नार्वे सरकार, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच एक करार तय पाया था।

(ख) यह कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए होगा और इसके मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे : (क) तट के दूर तथा गहरे जल में समन्वेषी रूप से मछली पकड़ना (ख) तट पर तथा समुद्र में मछली पकड़ने की नवीनतम तकनीकों के विषय में प्रशिक्षण देना तथा उनका प्रदर्शन करना (ग) पोतों तथा तट पर लगाने के लिए मशीनों तथा उपकरणों की उपलब्धि। इसके अतिरिक्त करार में 'फिश मील प्लान्ट', 'शिपवे' आदि का निर्माण करना तथा बन्दरगाह के उन कार्यों को पूरा करना भी शामिल है जो पहले के करार की अवधि में शुरू किये गये थे। नार्वे सरकार अपने ऐसे कार्यकर्त्ता तथा संयन्त्र प्रदान करेगी जो भारत में उपलब्ध न हों। भारत सरकार भूमि, स्थान, भवन तथा वे उपकरण व संयन्त्र प्रदान करेगी जो भारत में उपलब्ध हैं तथा वह चालू व्यय भी वहन करेगी।

D. T. U. Bus Service Between Sanoth and Central Secretariat

441. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the request of the Government employees for introducing a direct D. T. U. bus service from the villages of Sanoth, Puthkhurd, Barwala and Pahladpur to the Central Secretariat, New Delhi has been turned down;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reasons for not permitting plying of private buses on co-operative basis on this route?

The Minister of Transport And Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). Requests for the provision of such a service have been received. It will however not be possible for the Delhi Transport Undertaking to provide such facilities till its fleet is increased further.

(c) Does not arise as no application has been received by the State Transport Authority, Delhi, for the grant of a permit to operate stage carriages on a co-operative basis on the Sanoth-Central Secretariat route.

गेहूं तथा चावल का समाहार

442. **श्री सी० जनार्दनन :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री पी० सी० अदिचन : **श्री सूपकार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में राज्यवार कितना गेहूँ तथा चावल समाहार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) अब तक कुल कितना गेहूँ तथा चावल प्राप्त किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1966-67 में विभिन्न राज्यों में गेहूँ और चावल के अधिप्राप्ति के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) फसल वर्ष 1966-67 में अब तक गेहूँ और चावल की की गयी अधिप्राप्ति बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-214/67]

कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच जहाज में चीनी का दूषित हो जाना

443. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि हाल में एक जहाज में, जो कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच चल रहा था, ले जाई जा रही चीनी दूषित हो जाने के कारण खाने के योग्य नहीं रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चीनी के दूषित हो जाने के लिये जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या अन्य उपचार सम्बन्धी कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, गलती से गेमेक्सिन की बोरियां जहाज के उसी फलके में लाद दी गयीं जिसमें नीचे के खाव में चीनी लादी गई थी। उन्होंने दूषित होने वाले संदिग्ध स्टाक के नमूने केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता को विश्लेषण के लिये भेजे हैं और भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसकी जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये मामले की जांच की जाए।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में राशन व्यवस्था

444. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अनौपचारिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत 1966-67 में निकोबार द्वीप समूह के आदिम जातीय लोगों को कितना चावल दिया गया;

(ख) 1966-67 में निकोबार द्वीप समूह के गैर-आदिम जातीय लोगों को कितना चावल दिया गया;

(ग) अनौपचारिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले अन्दमान द्वीप समूह के लोगों को 1966-67 में कितना चावल दिया गया; और

(घ) अन्दमान द्वीप समूह में उद्योगों में काम करने वाले लोगों को 1966-67 में कितना चावल दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास। जूलाई 1966 के मध्य से भारी शारीरिक काम पर लगे मजदूरों को 6 किलो. प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल और दिया जाता है।

(ख) 4.8 किलो प्रति वयस्क प्रति मास। भारी शारीरिक काम करने वाले मजदूरों को 3.2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास और चावल दिया जाता है।

(ग) और (घ). 16 मई, 1966 से औद्योगिक कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को 4·8 किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल दिया जाता है।

सहायक खाद्य पदार्थ के रूप में मछली के पाउडर से प्रोटीन

445. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछली का सारकृत पाउडर, जिसमें 80 प्रतिशत प्रोटीन होता है, भारतीय समुद्र और नदियों के जल में पाये जाने वाली 'ट्रेश मछली' से बहुत कम लागत पर सहायक खाद्य पदार्थ के रूप में आसानी से तैयार किया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह पदार्थ प्रायः गन्धहीन और स्वादहीन होता है और हल्के भूरे रंग के आटे जैसा होता है और इसे पकाये हुए खाद्य पदार्थों और चपाती बनाने के काम आने वाले आटे के साथ मिलाया जा सकता है; और

(ग) क्या इसके उपयोग की संभाव्यता जानने की वांछनीयता का पता लगाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मछली का सारकृत पाउडर 'ट्रेश मछली' से सहायक खाद्य पदार्थ के रूप में तैयार किया जा सकता है किन्तु किनारे पर मछली की विच्छिन्न उतराई तथा उसकी अधिक कीमत के कारण भारत में कम लागत पर बनाना सम्भव नहीं है। बड़े पैमाने पर ट्रेश मछली के मशीनी उपयोग से सारकृत पाउडर कम लागत पर बन सकता है।

(ख) तथा (ग). यह पदार्थ विदेशों में दो किस्म का बनाया जाता है—गन्धहीन तथा गन्ध सहित। गन्धहीन किस्म को थोड़ी मात्रा में रोटी तथा अन्य पके खाने में मिलाया जा सकता है। विभिन्न भारतीय खाद्य पदार्थों में आटे की उपयुक्त मात्रा को मिलाने के सम्बन्ध में प्रयोग किए जा रहे हैं। सैन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफ फिश्रीज टैकनालौजी, कोचीन ने प्रयोगशाला के पैमाने पर एक अच्छे पदार्थ को विकसित किया है। सारकृत पाउडर बनाने के लिये एक प्लान्ट लगाया गया है और देश में ही कूटने का प्रस्ताव है।

बीज निगम

446. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सभी राज्यों में बीज निगम स्थापित किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). एक भूमि विकास तथा बीज निगम पहले ही मौजूद है जो संयुक्त रूप से भूमि विकास तथा बीजों आदि के उत्पादन के विषय में पंजाब तथा हरियाणा में कार्य कर रही है और उनका अलग बीज निगम की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है । असम सरकार ने भी एक बीज निगम की स्थापना की है । आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों ने अपने 1967-68 की योजनाओं में बीज निगमों की स्थापना करने की व्यवस्था की है । अभी जम्मू तथा कश्मीर, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल तथा गोआ बीज निगमों की स्थापना नहीं करना चाहती । अन्य राज्य इस विषय में विचार कर रहे हैं ।

खाद्यान्नों का समाहार तथा भाण्डागार की व्यवस्था

447. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री खगपति प्रधानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष प्रत्येक राज्य में कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इन खाद्यान्नों को गोदामों में रखने के लिये प्रत्येक राज्य में क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिये अब तक कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रत्येक राज्य में संचयन सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं हैं ।

फसल बीमा योजना

448. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में अब फसल बीमा सम्बन्धी कानून लागू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक किन-किन राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). फसल बीमा योजना की सफलता और उसकी क्रियान्वित के लिए यह आवश्यक है कि चुने हुए क्षेत्र के सभी किसान भाग लें। इसका अर्थ है कि चुने हुए क्षेत्रों में फसल बीमा सभी

किसानों के लिए अनिवार्य करनी होगी। अनिवार्य फसल बीमा को उपयुक्त कानून बनाए बिना लागू नहीं किया जा सकता। इस काम के लिए एक बिल तैयार कर लिया गया है और यथासमय संसद में रखा जाएगा। फसल बीमा के सम्बन्ध में एक आदर्श योजना भी तैयार की जा रही है और मत जानने के लिए शीघ्र ही विभिन्न राज्यों में परिचालित की जायगी।

इस समय राज्यों में फसल बीमा के लिए कानून लागू करने का प्रश्न ही नहीं होता।

Road Accidents In Delhi

449. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the number of road accidents that took place in the city of Delhi during the year 1966-67; and

(b) the number of persons who died as a result of these accidents?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) 8347 in the calendar year 1966 and 1363 in the calendar year 1967 (upto 28.2.1967) in the Union Territory of Delhi.

(b) 345 in the calendar year 1966 and 61 in the calendar year 1967 (upto 28.2.1967).

Border Roads in Barmer and Jaiselmer (Rajasthan)

450. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state.

(a) whether Government had drawn up a scheme for the construction of roads in the border areas of Barmer and Jaiselmer in Rajasthan; and

(b) if so, the amount provided and spent so far and when the roads are expected to be completed?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). Presumably, the question relates to the construction of strategic roads in the districts of Barmer and Jaiselmer in Rajasthan. This work is in progress. Out of an estimated cost of Rs. 9·95 crores for the construction of these roads, an amount of about Rs. 1·80 crores has been spent up to the end of February, 1967. Subject to the availability of funds, the works are likely to be completed during the year 1968-69.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में बुकिंग

451. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अधिकारियों को यात्रियों की बुकिंग के सिलसिले में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में कितने यात्रियों ने ऐसी शिकायतें कीं; और

(ग) शिकायत करने वाले यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिये अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). 1966-67 के दौरान 9 शिकायतें मिलीं ।

(ग) प्रत्येक शिकायत की जांच की गयी और जहां कहीं आवश्यक था सुधार की दृष्टि से कार्यवाई की गयी ।

Use of Insecticides

452. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of insecticides which are used at present for the protection of crops;

(b) the names of indigenous insecticides among them; and

(c) whether the quantity manufactured is sufficient to meet the demand ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The following items are generally used in the field of plant protection.

I **Insecticides, Rodenticides and Nematicides**

(i) **Chlorinated Compounds**: BHC, Lindane, DDT

(ii) **Cyclodiene Compounds**: Endrin, Aldrin, Dieldrin, Chlorodane, Heptachlor.

(iii) **Phosphatic Compounds**: Parathion, malathion, demeton, dimethioate, phosphamidon, trithion, thiometon, phorate, thiodan, diazinon etc.

(iv) **Carbamates**: Carbaryl

(v) **Botanicals**: Pyrethrum, Nicotine-sulphate

(vi) **Fumigants**: Methyl bromide, ED/CT, Aluminium phosphide.

B. **Rodenticides**: Zinc Phosphide, Calcium Cyanide and Cumarin Compounds.

C. **Nematicides**: DD, Nemagon and EDB

II **Fungicides**:

(i) **Sulphur**: (Dusting and sprayable)

(ii) **Copper**: Copper Sulphate and copper oxychloride.

(iii) **Thiocarbamates**: Zineb and Ziram.

(iv) **Seed-Dressers**: Organo-mercurials and organic seed dressers (Thiram and Captan)

(v) **Antibiotics**: Aurofungin and Streptocyclan

III **Weedicides**: 2, 4-D, 2,4,5-T, MCPA, MCPB, Paraquat, PCP, Propanil, Simazine, TCA.

(b) The names are given below ;

I Insecticides and Rodenticides :

(i) **Chlorinated Compounds** : BHC, DDT

(ii) **Phosphatic Compounds** : Parathion, Malathion and Dimethioate.

(iii) **Botanicals** : Pyrethrum and Nicotine-sulphate.

(iv) **Fumigants** : Methyl Bromide, ED/CT

(v) **Rodenticides** : Zinc Phosphide and Cumarin Compounds.

II Fungicides :

(i) **Sulphur** : (Dusting and Sprayable)

(ii) **Copper** : Copper sulphate and Copper oxychloride

(iii) **Thiocarbamates** : Zineb and Zirum

(iv) **Seed Dressers** : Organo-mercurials and Organic Seed-dressers (Thiram).

(v) **Antibiotics** : Aureofungin and Streptocyclane.

III Weedicides : 2,4-D, 2,4,5-T

Note : The raw materials of BHC and DDT are locally available. However, for the rest some raw materials are required to be imported.

(c) Of the indigenously produced insecticides it is possible to meet the demand in full of all insecticides except BHC, Phosphatic Compounds and Weedicides. However, steps are being taken to meet the demand for the latter also in full.

निर्वाचन प्रक्रिया पुस्तिका का प्राक्कथन लिखा जाना

453. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की चुनाव प्रक्रिया पुस्तिका का प्राक्कथन लिखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुचित कार्य के लिये मुख्य मंत्री और/अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किये गये "प्रेजाइडिंग अधिकारियों को अनुदेश" में राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये "सन्देश" (हिन्दी में) इस प्रकार है :

"फरवरी 1967 में होने वाले आगामी आम चुनावों में आपको प्रेजाइडिंग अधिकारी के रूप में मतदान केन्द्र पर एक महत्वपूर्ण कार्य निभाना है। मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अधिकारी को बिल्कुल निष्पक्षरूप से तथा **कर्तव्यनिष्ठ** होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये क्योंकि चुनावों को निष्पक्षरूप से आयोजित करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की सर्वोच्च आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश के निर्वाचन विभाग ने अपनी कार्यकुशलता में जो परम्परा कायम की हुई है वह सर्वविदित है, मुझे विश्वास है, आप उस परम्परा को पूरी तरह बनाये रखेंगे । मैं, मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से, आपसे इस बात की आशा करता हूं ।

उपरोक्त सन्देश से यह प्रदर्शित होता है कि वह प्रेजाइडिंग अधिकारियों के लिये केवल एक नसीहत थी जिसमें उनसे अपने कर्तव्यों का निष्पक्षरूप से तथा कार्यकुशलता से पालन करने के लिये कहा गया था और इसमें कोई अनौचित्य प्रतीत नहीं होता, वास्तव में, 1961 में दी गई हिदायतों में तत्कालीन मुख्य मंत्री (डा० के० एन० काटजू) ने इसी प्रकार का एक सन्देश जारी किया था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

Bridge over the Ganga at Mirzapur

454. **Shri Ram Swarup:**
Shri Vansh Narayan Singh:

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the scheme to construct a bridge over the Ganga at Mirzapur (U. P.) has been approved by the Central Government ;

(b) if so, when the work is likely to be started ; and

(c) the total estimated expenditure involved ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The whole question of provision and allocation of bridges over the Ganga for inclusion in the Fourth Plan is still under discussion between the Government of Uttar Pradesh and the Government of India.

(b) and (c). In view of the answer to (a) above, (b) and (c) do not arise.

Milk Supply Scheme in Kanpur

455. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a milk scheme has been started in Kanpur (Uttar Pradesh) with the collaboration of UNICEF ; and

(b) if so, the total cost involved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table as soon as possible.

राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का आवंटन

456. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 में विभिन्न राज्यों में कितने रासायनिक

उर्वरक आंवटित किये गये थे और उन्हें वस्तुतः कितने उर्वरक दिये गये;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त उर्वरकों की सप्लाई करने के सम्बन्ध में हाल में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) नाइट्रोजन तथा कम्पलैक्स उर्वरकों का आवंटन सैन्ट्रल फर्टीलाइजर पूल द्वारा वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है ।

1964-65 तथा 1965-66 में राज्यों को आवंटित मात्रा और उन्हें सप्लाई की गई मात्रा को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-215/67]

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चावल मिलों की स्थापना के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता

457. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री चावल मिलों के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता के बारे में 29 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संगठन से मिली सहायता से अब तक कितनी चावल मिलें स्थापित की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से कोई भी चावल मिल अभी तक स्थापित नहीं हुई है क्योंकि विदेशी सहायता की सम्भावित राशि में कमी होने की आशंका से परियोजना के अनुमानों में संशोधन किया जा रहा है ।

हवाई अड्डों पर घोषणा

458. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों पर विमान के रवाना होने के समय केवल विमान सेवा संख्या ही घोषित की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि घोषणा केवल अंग्रेजी में ही की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में विमान सेवा संख्या घोषित करने तथा विमान सेवा संख्या के अतिरिक्त विमान संख्या घोषित करने तथा बोर्डिंग कार्ड में उनका उल्लेख करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-216/67]

गन्ने के मूल्य का भुगतान

459. **श्री वी० कृष्णमूर्ति गौंडर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि वर्ष 1959, 1960, 1961 और 1962 में मद्रास में ई० आई० टी०-पैरी चीनी कारखानों को दिये गये गन्ने के अतिरिक्त मूल्य अभी तक किसानों को नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को इसका शीघ्र भुगतान कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गन्ने के अतिरिक्त मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 1958-59 तथा 1959-60 के सीजनों में गन्ने का अतिरिक्त मूल्य जो इन कारखानों द्वारा दिया जाना है, निश्चित किया है। इन कारखानों ने इस आधार पर कि इस भार को वहन करने के लिये उनको मिलने वाला लाभ अपर्याप्त है, छूट के लिये आवेदन-पत्र दिया है। उनकी प्रार्थना पर विचार हो रहा है। शेष दो सीजनों के लिये गन्ने का अतिरिक्त मूल्य निर्धारित करने के लिये प्रस्तुत आंकड़ों की प्राधिकरण जांच पड़ताल करेगा।

बिहार-नेपाल राष्ट्रीय राजपथ

460. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मधुवनी सब-डिवीजन (बिहार) में महादेवमठ से होकर नेपाल तक जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण-कार्य को जल्दी पूरा कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : ऐसा कोई बिहार-नेपाल राष्ट्रीय मुख्य मार्ग नहीं है। सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत फारबेस गंज-मरीचा / डगमारा-दरभंगा लिंक सड़क से है जो पार्श्व सड़क परियोजना का अंग है। इस संरेखण पर कोसी नदी पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव है। इस पुल के लिये महादेवमठ के निकट डगमारा के नीचे लगभग 4 मील पर पुल के लिये प्रस्तावित स्थान की जांच की जा रही है। फारबेसगंज-मरीचा / डगमारा भाग का संरेखण, जो पार्श्व सड़क परियोजना की प्रथम अवस्था कार्य का अंग है, इस पुल के स्थान के अन्तिम रूप से तय किये जाने पर निर्भर करता है। उपरोक्त प्रथम अवस्था कार्य में दरभंगा और कोसीपुल का लिंक और पुल स्वयं शामिल भी नहीं है। इन सब प्रारम्भिक कार्यों को अन्तिम रूप दिये जाने पर निर्माण-कार्य की वास्तविक शुरुआत निर्भर करती है।

चण्डीगढ़ तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में परिवहन की सुविधायें

461. **श्री श्री चन्द गोयल :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन ने चंडीगढ़ को संघ राज्य-क्षेत्र के आस-पास के गांवों के साथ सड़क द्वारा मिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में परिवहन की सुविधायें बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना केन्द्रीय प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

जम्मू तथा काश्मीर में नामांकन पत्रों का अस्वीकार किया जाना

462. **श्री श्री चन्द गोयल :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य विधान सभा के लिये कितने प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के नामांकन पत्र अस्वीकार किये जाने के कारण निर्विरोध चुने गये हैं ;

(ख) नामांकन पत्र किन आधारों पर नामंजूर किये गये थे ;

(ग) क्या नामांकन पत्रों के इस प्रकार बड़े पैमाने पर नामंजूर किये जाने के विरोध में चुनाव आयोग को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) उम्मीदवारों की शिकायतों को दूर करने के लिये आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) बाईस, जिनमें 9 मामलों में चुनाव नहीं लड़ा गया क्योंकि एक/दो प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिये थे और अन्य नामांकन पत्र अस्वीकार किये गये थे।

(ख) जिन आधारों पर नामांकन पत्र नामंजूर किये गये थे, वे इस प्रकार हैं :

(एक) शपथ नहीं ली गई थी ;

(दो) सम्बन्धित मतदाता सूची की एक प्रति पेश नहीं की गई थी;

(तीन) जमानत की रकम जमा नहीं की गई ;

(चार) उम्मीदवार निर्धारित आयु से कम उम्र का था ;

(पांच) उम्मीदवार लाभ-पद पर था;

(छः) सरकारी ठेके से सम्बन्ध था ;

(सात) नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हुये थे ।

(ग) आयोग को कई शिकायतें मिलीं जिनमें यह आरोप लगाये गये थे कि नामांकन पत्रों को गैर-कानूनी रूप से रद्द किया गया था ।

(घ) शिकायतकर्ताओं को यह सलाह दी गई कि इन शिकायतों का निवारण केवल निर्वाचन याचिकाओं के माध्यम से हो सकता है।

ताईचुंग किस्म का चावल

463. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेती की पिछली फसल में "ताईचुंग" किस्म का चावल उगाने के प्रयोग किन-किन राज्यों में और कितनी-कितनी एकड़ भूमि में किये गये थे ;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में इन प्रयोगों का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इन प्रयोगों के सफल अथवा विफल होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1965-66 की अवधि में धान की ताइचुंग नेटिव 1 किस्म पर किये गये प्रयोगों के आधार पर 1966-67 की खरीफ की अवधि में विस्तृत क्षेत्र में इस किस्म की बुवाई की गई थी । उस मौसम में इस किस्म की बुवाई लगभग 5.34 लाख एकड़ भूमि में की गई थी जिसका राज्यवार ब्योरा निम्न प्रकार है :

		एकड़
1. आन्ध्र प्रदेश	...	84,000
2. आसाम	...	2,249
3. बिहार	...	13,500
4. गुजरात	...	800
5. जम्मू तथा काश्मीर	...	71
6. मध्य प्रदेश	...	80,563
7. महाराष्ट्र	...	1,70,000
8. मैसूर	...	10,000
9. उड़ीसा	...	38,000
10. पंजाब	...	8,000
11. राजस्थान	...	556
12. उत्तर प्रदेश	...	1,20,000

	एकड़
13. पश्चिम बंगाल	3,000
14. गोवा	3,100
15. दिल्ली	160
कुल :	5,33,999

(ख) और (ग). अब तक राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार खरीफ के पिछले मौसम में परम्परागत किस्मों की तुलना में ताईचुंग नेटिव 1 से अधिक उपज प्राप्त हुई है। इस किस्म की बुवाई से 3000 पौंड के 6500 पौंड प्रति एकड़ तक उपज प्राप्त हुई। सूखे की स्थिति में भी ताईचुंग नेटिव 1 की उपज स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक थी। मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में ताइचुंग नेटिव 1 धान पर जैसिड्स तथा फ़ुलगोरिड्स नामक कीटों तथा कुछ बीमारियों का हमला हुआ। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विशेषज्ञों ने जो जांच की है उससे पता चला है कि प्रभावग्रस्त क्षेत्र वे थे जिनके बारे में पैकेज की विधियों की सिफारिश की गई थी परन्तु कृषकों ने उनका भली भांति पालन न किया था। परन्तु बचाव के लिये कदम उठाये गये और नियन्त्रण उपायों से फसल शीघ्र ही ठीक स्थिति में आ गई।

चारे का निर्यात

464. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि पशुधन में सुधार करने के लिये चारे का निर्यात बन्द किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

उड़ीसा में सिंचाई की व्यवस्था

465. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी भूमि की सिंचाई होती है और उस राज्य में अनाज का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ; और

(ख) उड़ीसा में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने से देश में अनाज की कमी कहां तक पूरी की जा सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास सहकार तथा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

होटल विकास निधि

466. **श्री च० चु० देसाई :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल विकास निधि बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। भारत सरकार के मौजूदा वित्तीय संस्थानों द्वारा होटल उद्योग को और अधिक उदारता से ऋण उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र में होटल

467. **श्री च० चु० देसाई :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में होटल बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की जोकि एक सरकारी क्षेत्रीय व्यवसाय है, 8 नये होटल बनाने और उदयपुर में विद्यमान लक्ष्मी विलास पैलेस होटल में सुधार करने तथा उसका विस्तार करने की योजनायें हैं। इन प्रायोजनाओं की कुल लागत लगभग 3.00 करोड़ रुपये होगी और इनके पूरा हो जाने पर लगभग 1200 होटल-शय्याओं की व्यवस्था हो जायेगी जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

स्थान		शयन संख्या
1. सान्ताक्रूज हवाई अड्डा, बम्बई (ट्रांजिट होटल)	...	100
2. दमदम हवाई अड्डा, कलकत्ता (ट्रांजिट होटल)		100
3. वाराणसी	...	200

स्थान		शयन संख्या
4. बैंगलूर		200
5. जूहू समुद्र तट, बम्बई		200
6. पणजी (गोआ)		100
7. श्रीनगर	...	100
8. कोवालम समुद्र तट (त्रिवेन्द्रम)		100

ये होटल सामान्यतः एक ही नमूने के होंगे जिनमें केन्द्रीय वातानुकूलन, रेस्टोरेन्ट, तैरने के तालाब तथा बाजार-वीथी की सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

नयी दिल्ली स्थित अशोक होटल के साथ, जो कि एक सरकारी क्षेत्रीय प्रायोजना है, एक एनेक्सी बनाने का निर्माण कार्य चालू है जिससे फरवरी, 1968 तक 300 अतिरिक्त शयनों की व्यवस्था हो जायेगी।

निधि के उपलब्ध होने पर, एक अन्य सरकारी क्षेत्रीय व्यवसाय—जनपथ होटल्स लिमिटेड—की ओर से 2.77 करोड़ रुपये की लागत से जनपथ पर अशोक रोड के कोने पर 300 शयनों वाले एक होटल अकबर के निर्माण करने की योजना है।

हिल्टन्स होटल्स कारपोरेशन के सहयोग से एक होटल की स्थापना

468. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय फर्म तथा अमरीका की हिल्टन्स होटल्स कारपोरेशन के सहयोग से भारत में एक होटल स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). जी, नहीं। मेसर्स शिवसागर एस्टेट्स, बम्बई और यू० एस० ए० के हिल्टन होटल्स कारपोरेशन के बीच सहयोग संबंधी करार के मसौदे पर विचार किया जा रहा है।

Increase in Prices of D.M.S. Products

469. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state.

(a) the dates on which the prices of milk and other products of the Delhi Milk Scheme were raised during the last three years and the extent of increase affected each time;

(b) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme earns huge profits by the sale of its products, a large part of which is incurred as administrative expenditure; and

(c) the rates at which the Delhi Milk Scheme purchases milk from milk producers of U. P., Haryana and Rajasthan and the rates at which it is sold to the public of Delhi?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library, See No. LT-217/67]**

(b) No, Sir.

(c) The current rates for purchase of buffalo and cow milk (excluding contractors commission) from the States of U. P., Haryana and Rajasthan are as follows:

State	Basic price for buffalo milk with 6.5% fat content	Basic price of cow milk
(i) U. P.	Rs. 77.50 per quintal	
(ii) Haryana		
Karnal Distt.	Rs. 69.93 ,, ,,	
Other sources	Rs. 77.50 ,, ,,	Rs. 77.50 per quintal
Rajasthan		Rs. 55.00 per quintal

Selling prices of milk of various types sold by Delhi Milk Scheme are as follows:

	per litre
1. Standardised Milk (8.5% S.N.F., 5% fat)	84 paise
2. Cow Milk (minimum 5% S.N.F., 3.5% fat)	84 paise
3. Toned Milk (8.5% S.N.F., 3% fat)	54 paise
4. Double Toned Milk. (9.0% S.N.F., 1.5% fat)	40 paise

Agricultural Engineers and Foreign Trained Agricultural Experts

470. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) The number of agricultural engineers and foreign trained agricultural experts in the country, separately;

(b) the number out of them who are engaged in agriculture;

(c) whether Government have any scheme to provide employment to the unemployed agricultural engineers on agricultural work; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The number of agricultural Engineers as reported in the Directory of Agricultural Engineering personnel in India (1964) published by the Ministry of Food and Agriculture, was 325 upto 1964. Up-to-date figures are not available at the moment. However, the total number of agricultural graduates going out of

Agricultural Engineering Colleges during the last two years is estimated at about 200, making the total estimate of about 525. Out of these, 56 are foreign trained.

(b) All the trained agricultural engineers are engaged to the best of our information in agriculture or associated agro-industries.

(c) Although there is no scheme specifically for providing employment to unemployed agricultural engineers, the Centre as well as the States have formulated a number of schemes to be executed during the Fourth Plan period which would provide employment to the trained agricultural engineers.

(d) Does not arise in view of 'C' above.

कृषि में प्रयोग किये जा रहे ट्रैक्टर

471. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री उमानाथ :**
श्री पट्टियम गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से अब तक प्रत्येक राज्य में कृषि में कितने ट्रैक्टर प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) इनमें से कितने ट्रैक्टर (प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक) खेती के कार्य में प्रयोग किये जा रहे हैं और कितने परिवहन तथा अन्य कार्यों में प्रयोग किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) 1961 में की गई गणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में कृषि में प्रयोग किये जा रहे ट्रैक्टरों की संख्या (31,016) प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-218/67] इसके बाद दिसम्बर, 1966 तक 24,187 ट्रैक्टर आयात किये गये हैं और 20,710 ट्रैक्टर देश में तैयार किये गये हैं। 1966 में की गई राज्यवार गणना के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ख) 1961 की गणना के आंकड़े कृषि में प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों के ही हैं। 1961 के बाद आयातित अथवा निर्मित ट्रैक्टर अधिकतर कृषि कार्यों के लिए ही हैं। कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टरों की संख्या के सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु ऐसा विश्वास है कि इनमें से अधिकतर ट्रैक्टर कृषि-कार्य में ही प्रयोग किए जाते हैं।

बेकार पड़ी भूमि का वितरण

472. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री उमानाथ :**
श्री पट्टियम गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के लिये प्रत्येक राज्य में कुल कितने एकड़ बेकार भूमि उपलब्ध है;

(ख) भूमिहीन अथवा गरीब किसानों अथवा अन्य व्यक्तियों को 1952 से अब तक विभिन्न राज्यों में कितनी बेकार भूमि दी गई है तथा इस सम्बन्ध में राज्यवार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को दी गई भूमि के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) विभिन्न बस्तियां बनाने की योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में 1952 से अब तक और कितनी नई भूमि में खेती शुरू की गई है और इसमें से कितनी भूमि भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों तथा विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को अब तक दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**-219/67]

सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपहार के रूप में रिगों का दिया जाना

473. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने के लिये भारत सरकार को उपहार के रूप में चार रिग दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे रिग सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार बांटे गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) तथा (ख). संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने के लिए उपहार के रूप में 10 रिग दिये हैं। इनमें से 6 रिग बिहार तथा 4 रिग उत्तर प्रदेश को आवंटित किये गये हैं।

भूख से मुक्ति आन्दोलन

474. **श्री एम० वी० राजशेखरन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से 'भूख से मुक्ति' आन्दोलन समिति बनी है तबसे उसके द्वारा आरम्भ की गई अनेक परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या भारत सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के हेतु उपरोक्त आन्दोलन के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संगठन से कोई वित्तीय सहायता ली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा कितनी परियोजनायें क्रियान्वित की गई हैं और कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) भूख से छुटकारा आन्दोलन समिति ऐसी परियोजनाओं को हाथ में नहीं लेती। यह मुख्यतः केवल स्वैच्छिक संस्थाओं को कृषि उत्पादन सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए सहायता देती है। कुछ मामलों में परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए सरकारी निकायों को काम में लाया जाता है। अब तक 27 परियोजनाओं को शुरू किया गया है जिनमें से 13 परियोजनाओं को कार्यरूप दिया गया है और 14 को कार्यरूप दिया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। खाद्य एवं कृषि संगठन देशों को वित्तीय सहायता नहीं देता। यह विकासमान देशों की भूख से छुटकारा आन्दोलन समितियों तथा दानी संस्थाओं से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता तथा विभिन्न विकासोन्मुख देशों की राष्ट्रीय समितियों के भूख से छुटकारा आन्दोलन से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता विषयक प्रार्थनाओं का समन्वय करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूटर-रिक्शाओं के टैक्स

475. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्कूटर-रिक्शाओं से लिये जाने वाले विभिन्न टैक्सों तथा फीसों की, विशेषकर टोकन टैक्स, पैसेन्जर टैक्स, परमिट फीस तथा अड्डा टैक्स की, दरें क्या हैं;

(ख) यदि दोनों संघ राज्य-क्षेत्रों में दरों में कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सम्बद्ध केन्द्रीय प्रशासनों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दांतेवाला समिति का प्रतिवेदन

476. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **डा० रानेन सेन :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री जे० एम० बिस्वास :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सहकारी विपणन सम्बन्धी दांतेवाला समिति के प्रतिवेदन के बारे में 29 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति का पूरा प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी हां। रिपोर्ट फरवरी, 1967 में प्राप्त हुई थी।

(ख) समिति के मुख्य सिफारिशों का संक्षेप संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**-220/67]

(ग) अधिकांश सिफारिशें, विशेष रूप से वे जो संगठन के प्रतिरूप, प्रबन्ध तथा कर्मचारी, कारबारी तकनीकें, सहकारी ऋण को विपणन के साथ सम्बद्ध करने, सहकारी समितियों की राज्य अधिप्राप्ति योजनाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा उपभोज्य वस्तुओं के वितरण में भूमिका तथा सहकारी भण्डारण के सम्बन्ध में हैं, मोटेतौर पर मौजूदा नीति की पुनरावृत्ति है। जिन सिफारिशों के बारे में नये निर्णय लेने की आवश्यकता है, उन पर राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को ऋण

477. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1955 से 1965 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों को कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) सरकार ने अब तक कुल कितना ऋण वसूल कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार ने ऋणों की वापसी सम्बन्धी स्थिति का कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) भारत सरकार ने 1955 से 1965 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को कोई ऋण नहीं दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सड़क परिवहन कराधान जांच समिति

478. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 22 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 449 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन कराधान जांच समिति ने इस बीच कोई प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) समिति ने 'अन्तर्राज्य परिवहन' पर एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ख) मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-221/67]

(ग) समिति की सिफारिशों पर योजना आयोग और राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

ग्रेविंग डाक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम

479. **श्री खगपति प्रधानी** : **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 22 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड, लिमिटेड विशाखापत्तनम के साथ सम्बद्ध एक ग्रेविंग डाक परियोजना के बारे में जापानी सलाहकारों से प्राप्त प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विचार का क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है । अब प्रतिवेदन सरकार के परीक्षाधीन है ।

कृषि प्रधान शिक्षा

480. **श्री हीरजी भाई** : **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री खगपति प्रधानी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री कृषि प्रधान की शिक्षा के बारे में 8 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा को कृषि प्रधान बनाने की दृष्टि से आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) योजना आयोग में शिक्षा प्रभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। वर्किंग ग्रुप के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम

481. **श्री हीरजी भाई** : **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री खगपति प्रधानी** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम की उत्पादन क्षमता चार से छः जहाज प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए इस शिपयार्ड का विस्तार करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क बोर्ड

482. **श्री हीरजी भाई** : **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री खगपति प्रधानी** :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 1 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्दर एक केन्द्रीय सड़क बोर्ड का गठन करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): अभी तक अन्तिम रूप से कोई भी निर्णय नहीं किया गया है।

आयातित खाद्यान्नों पर राजसहायता

483. **श्री वाई० जी० गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं को आयातित खाद्यान्न राजसहायता प्राप्त दरों पर बेंच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किस्मों के खाद्यान्नों के प्रति टन राजसहायता प्राप्त मूल्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता राज्यों को केन्द्रीय गोदामों से दिये गये विभिन्न खाद्यान्नों की राजसहायताप्राप्त दरें इस प्रकार हैं :

खाद्यान्न	इस्यू दर—प्रतिटन
गेहूं (आयातित)	550 रुपये
बाजरा (आयातित)	400 रुपये
मोटा चावल (आयातित तथा देशी दोनों ही) ...	720 रुपये से लेकर 810 रुपये तक
मक्का (आयातित)	450 रुपये

राशन की दुकानों के लिये अनाज की आवश्यकता

484. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राशन की दुकानों को अनाज की सप्लाई बनाए रखने के लिये कम से कम कितने अनाज की आवश्यकता है ; और

(ख) कुल आवश्यकता का कितना भाग स्थानीय सप्लाई द्वारा पूरा किया जा रहा है और कितना आयात करके पूरा किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) राशन व्यवस्था के अन्तर्गत राशन प्राप्त करने वाली जनसंख्या और राशन के वर्तमान पैमाने जिसमें भारी शारीरिक कार्य करने वाले मजदूरों, संस्थापनों आदि को अतिरिक्त मात्रा देने की व्यवस्था है, के आधार पर सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों की खाद्यान्नों की प्रतिमास आवश्यकता 240,000 मीटरी टन बैठती है।

(ख) सरकारी भन्डारों से देते समय खाद्यान्नों की देसी तथा आयातित किस्मों का अलग-अलग हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है।

'Food for Work' Scheme in drought-Affected Areas

485. **Shri D. S. Patil :**
Shri A. V. Patil :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Relief Committees have accepted the principle of 'Food for

Work' in the drought-affected areas ; and

(b) the names of the States where food is being distributed as remuneration for work in the drought affected areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). A number of voluntary organisations are doing relief work in the drought-affected areas of Bihar, U. P. and other States. The activities of these organisations include free distribution of clothing, blankets, foodgrains, milk etc., and running of free kitchens. It is not known whether any of these organisations offer food in lieu of wages.

The State Governments have organised relief works in the drought-affected areas to provide purchasing power to the people and the workers are also authorised in some of the States to purchase specific quantities of foodgrains from Fair Price Shops for which they pay themselves at the prescribed rates. This arrangement is not yet in force in Bihar and the question of introducing similar arrangement for workers employed on relief works there is under consideration.

पंजाब में अनाज का रखा जाना

486. **श्री प्र० के० देव :** **श्री के० पी० सिंह देव**
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज रखने के लिये पंजाब में एक टन की क्षमता वाली धातु की पेटियां प्रयोग में लाई जायेंगी ;

(ख) पुराने तरीके की तुलना में इसके क्या लाभ हैं ; और

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी किसानों को सस्ते दामों पर ये पेटियां उपलब्ध की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने गत जनवरी में काश्तकारों के पास खाद्यान्नों की संचयन में कम से कम हानि हो इस दृष्टि से काश्तकारों के प्रयोग के लिये छोटे संचयन ढांचों की व्यवस्था करने से सम्बन्धित विषय पर राज्य सरकारों को पत्र भेजे थे । चूहों से सुरक्षित और जिनमें खाद्यान्नों को धूपन भी दिया जा सके ऐसे पात्रों को लोकप्रिय बनाने का सुझाव था । एक टन क्षमता के धातु के पात्र जिनका प्रश्न में उल्लेख किया गया है, ऐसे पात्र होंगे जो कि ये सभी आवश्यकताएं पूरी करेंगे । पंजाब सरकार ने इस सुझाव के बारे में अपनी प्रक्रिया अभी तक तो व्यक्त नहीं की है लेकिन ऐसी सम्भावना है कि वे बहुत ही जल्द अपने विचारों को अन्तिम रूप दे देगी ।

(ख) रूढ़िगत तरीकों के मुकाबले में धातु के पात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाये जा सकते हैं, हल्के, चूहों और सीलन से सुरक्षित होते हैं और उनमें धूपन भी दिया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकारें अपने राज्यों में ऐसे पात्रों को लोकप्रिय बनाने के प्रस्ताव के साथ-साथ ऐसे पात्रों पर उपदान देने के प्रश्न पर भी विचार करेंगी।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह

487. **श्री प्र० के० देव :** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह का उद्घाटन समारोह दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) क्या इस समारोह के कारण अधिक पर्यटन आते थे ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने पर्यटक कम अथवा अधिक आये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां। दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह का 19 मार्च, 1967 को उद्घाटन किया गया था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह के कार्यक्रम का ब्योरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-222/67]**

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह में लगभग 17,000/—रुपये का खर्च हुआ जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन पोस्टर प्रदर्शनी के आयोजन पर खर्च की गई धनराशि भी सम्मिलित है। इसमें वह खर्च शामिल नहीं है जो उन अनेक प्राईवेट संगठनों द्वारा किया गया जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह को मनाने में सहयोग दे रही थीं।

(ग) और (घ). उन पर्यटकों के आंकड़े देना सम्भव नहीं जो विशिष्ट रूप से इस सप्ताह संबंधी उत्सव समारोह से आकृष्ट होकर आये। तथाचः, दिल्ली तथा भारत के अन्य भागों में इन उत्सवों के पर्यटकों के आयात पर प्रभाव को आंक सकना अभी इतनी जल्दी सम्भव नहीं। उन सुविधाओं, रियायतों तथा अन्य गतिविधियों के परिणामों के जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के उपलक्ष्य में की जा रही हैं, वर्ष के अन्त तक ही सामने आने की सम्भावना है, जब इस वर्ष के पर्यटक आयात की गत वर्ष के आयात के साथ तुलना करना सम्भव हो सकेगा।

आई० ए० सी० का संचालन कार्य

488. **श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ते हुये विमान यातायात के बावजूद आई० ए० सी० संचालन कार्य, कार्यकुशलता, यात्रियों को दी जाने वाली सुख-सुविधा तथा भोजन का स्तर गिर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) परिचालन सुरक्षा तथा दक्षता के लिये निर्धारित स्तरों में कोई कमी नहीं आई। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों के आराम, खानों तथा अन्य सुविधाओं के स्तर में किसी प्रकार की कमी न आने पावे । जब कभी यात्रियों की ओर से कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा की गई भूल-चूकों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच की जाती है तथा शिकायत की प्रकृति के अनुसार उनका प्रतिकार किया जाता है । पिछले वर्ष श्रम-संबंधी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण सेवाओं की नियमपूर्वकता एवं समय-पालन पर कुछ अंशों तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की दक्षता तथा सेवा की उतकृष्टता को और अधिक सुधारने के बारे में निरंतर प्रयत्न किये जाते रहेंगे ।

छोटे ट्रैक्टरों की मांग

489. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री खगपति प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय छोटे ट्रैक्टरों की कितनी मांग है ; और

(ख) ये कहां तक और किस प्रकार पूरी हो रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) शुरू में अनुमान लगाया गया था कि 1967-68 की अवधि में 10 से 20 अश्व शक्ति के 7500 ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी परन्तु वास्तविक मांग को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि इतनी शक्ति के 10,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिए प्रयत्न किये जायें ।

(ख) देश में ऐसे ट्रैक्टरों का निर्माण नहीं हो रहा है और इस मांग को आयात द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। रूस से 2000 ट्रैक्टरों के आयात के लिए पहले ही प्रबन्ध कर लिए गये हैं और शेष ट्रैक्टरों के आयात का प्रश्न विचाराधीन है ।

खाद्यान्नों के मूल्य

490. **श्री डी० एन० पाटोदिया : श्री शम्भूनाथ :**
श्री के० पी० सिंह देव : श्री नागेश्वर :
श्री राजदेव सिंह : श्री वाई० जी० गौड़ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्दरगाह पर पहुंचने पर आयातित खाद्यान्नों के मूल्य कितने होते हैं और विभिन्न राज्यों में देशी खाद्यान्नों के वसूली मूल्य क्या हैं ;

(ख) इन दोनों प्रकार के खाद्यान्नों के सरकार कितने बिक्री मूल्य लेती है ; और

(ग) दोनों मूल्यों अर्थात एक ओर बन्दरगाह के मूल्य और वसूली मूल्य तथा दूसरी ओर वसूल किये जाने वाले बिक्री मूल्य में अन्तर के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1966-67 में (मुद्रावमूल्यन के बाद) विभिन्न देशों से आयात किये गये खाद्यान्नों का बन्दरगाह पर पहुंचने पर अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार हैं :

खाद्यान्न	बन्दरगाह पर पहुंचने पर मूल्य (प्रति क्विंटल)	
गेहूं	66.46	रुपये
चावल	102.50	,,
माइलो	52.10	,,
मक्का ...	60.86	,,

विभिन्न राज्यों में देशी खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-223/67]

केन्द्रीय भण्डारों से उपभोक्ता राज्यों को सप्लाई किये जाने वाले विभिन्न खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य निम्न प्रकार हैं :

खाद्यान्न	निर्गम मूल्य (प्रति क्विंटल)
गेहूं (आयातित)	रु० 55.00
चावल	रु० 72.00 से 81.00 (आयातित और देशी चावल को मिला दिया जाता है और एक ही भाव पर बेचा जाता है)
माइलो (आयातित)	रु० 40.00
मक्का (आयातित)	रु० 45.00

(ग) एक तरफ तो बन्दरगाह पर पहुंचने और अधिप्राप्ति मूल्य दूसरी तरफ इनका जो

बिक्री मूल्य लिया जाता है इन दोनों के बीच जो अन्तर होता है वह उपदान है अर्थात खाद्यान्नों के वितरण पर सरकार द्वारा उठाया जाने वाला व्यापारिक नुकसान ।

मछली पकड़ने के बन्दरगाह

491. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने के ऐसे कितने बन्दरगाह शामिल किये गये हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने पूरा धन दिया था तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने बन्दरगाह शामिल करने का विचार है जिनके लिये पूरा धन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा ;

(ख) क्या केरल में विझिन्जम मछली पकड़ने का बन्दरगाह उन परियोजनाओं में से है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिया गया है ; और

(ग) 1966-67 में विझिन्जम मछली पकड़ने के बन्दरगाह के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में 16 मछली पकड़ने के बन्दरगाह शामिल किए गए और पूर्व निर्धारित सहायता के नियमानुसार उनको धन दिया गया अर्थात् खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में और शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में । विझिन्जम बन्दरगाह का निर्माण 1963 में शुरू किया गया और सहायता देने के नियमानुसार इसको धन दिया गया । तीसरी योजना के दौरान शुरू की गई बन्दरगाह योजनाओं के कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी जारी रखने का प्रस्ताव है और लगभग 25 अतिरिक्त बन्दरगाहें भी शुरू की जायेंगी । 1967-68 के सहायता देने के नियम को अपनाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बन्दरगाहों को पूरा धन दिया जाएगा ।

(ग) 1966-67 में विझिन्जम मछली पकड़ने के बन्दरगाह के लिए कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गई है । केरल में "लैन्डिग एण्ड वर्थिग फैसिलिटीज एट माइनर पोर्ट्स" योजना के लिए 1966-67 वर्ष के दौरान 66 लाख रुपये का खर्च प्रस्तावित किया गया था और राज्य सरकार ने उसी के अनुसार बजट बनाया था । 1966-67 से जनवरी, 1967 के दौरान इस परियोजना पर 8.145 लाख रुपये खर्च किए गए और 31 मार्च तक अनुमानित खर्च 22 लाख रुपये है ।

केरल के लिये चावल

492. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में राष्ट्रपति के शासन की समाप्ति के दिन केरल सरकार के पास चावल का कुल कितना स्टाक था ; और

(ख) केरल में राशन की दुकानों के द्वारा वितरण के लिये सप्ताह में कितने चावल की आवश्यकता होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) केरल में 6 मार्च, 1967 को चावल और धान का कुल स्टाक इस प्रकार था :

चावल	5,622 मीटरी टन
धान ...	14,992 मीटरी टन

(ख) लगभग 17,500 मीटरी टन ।

Bridges over Jamuna and Chambal Rivers

493. **Shri Yashvant Singh Kushwaha :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the time by which the construction of bridges over Jamuna and Chambal rivers on the road from Bhind (M. P.) to Etawah (U.P.) are scheduled to be completed ;

(b) the estimated amount of expenditure to be incurred on the construction of each of these bridges and the manner in which it would be shared by the Centre and the State Governments ; and

(c) whether their maintenance would be the responsibility of the Centre or of any State Government ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr.. V. K. R. V. Rao) : (a) The bridges over Jamuna and Chambal rivers on the road from Bhind (M. P.) to Etawah (U. P.) are scheduled to be completed by April 1969 and January 1969 respectively.

(b) The bridge across the river Chambal is estimated to cost Rs. 114.20 lakhs and that across the river Jamuna, Rs. 48.60 lakhs, making a total of Rs. 162.80 lakhs. The allocation of the cost of the two bridges as between the Central and the State Governments is as follows :

	Chambal Bridge	Jamuna Bridge
	Rs. lakhs	
Government of India	38.06	16.20
Government of Madhya Pradesh	38.07	—
Government of Uttar Pradesh	38.07	32.40
	114.20	48.60

(c) The maintenance of these bridges is the responsibility of the State Government as these bridges lie on a State road.

Panchayati Raj Scheme

494. **Shri Yashvant Singh Kushwaha:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the State Governments which have not so far taken steps to implement the three-tier Panchayati Raj Scheme in their States on the basis of the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee; and

(b) the States where elections to the Gram Panchayats, Janpad Panchayats and Zila Parishads have so far been completed according to the said scheme and the States where such elections have not so far been held?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The three-tier Panchayati Raj System is yet to be implemented in Bihar (except three districts) Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, and Nagaland.

(b) The elections to the three-tier Panchayati Raj institutions have been held according to law, in Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Madras, Maharashtra, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal and three districts of Bihar. The State Government expect to take up the constitution of the higher tier Panchayti Raj bodies in the remaining districts of Bihar after the elections to about 6,000 Panchayats, where they are still due, have been held. Panchayats were constituted in Madhya Pradesh in December, 1964—January, 1965; the higher tier bodies are yet to be set up. In Jammu and Kashmir and Kerala, also, only Panchayats exist at present; legislation is yet to be enacted for the constitution of the higher tier bodies. In Nagaland, there are no regular Panchayati Raj bodies yet as recommended by the Balwant Rai Mehta Committee; there are, however, traditional Area, Range and Tribal Councils.

पासी-बदरपुर-अगरताला सड़क पर बरक नदी पर पुल

495. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पासी-बदरपुर-अगरताला सड़क पर बरक नदी के ऊपर सड़क-पुल बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना के किस तारीख तक पूरी हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त पासी-बदरपुर सड़क पर तारकोल बिछाने के कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) निर्माण कार्य के लिए विस्तृत प्राक्कलनों की जांच तकनीकी दृष्टिकोण से की जा चुकी है और प्राक्कलनों को वित्तीय स्वीकृति देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) निर्माण-कार्य के पंचाट दिये जाने के पश्चात् से लगभग दो वर्षों में पुल के पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ). स्थानीय मजदूरों, दक्ष ठेकेदारों का उचित दरों पर न मिलना और काम के स्थान की दूरी के कारण प्रगति धीमी रही।

पारादीप पत्तन के तल की सफाई करना

496. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्त द्वारा किया जाने वाला पारादीप पत्तन के तल की सफाई का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितना धन व्यय हुआ;

(ग) इस पत्तन के पास अपना एक स्थायी तलकर्षक यंत्र कब तक हो जायेगा; और

(घ) इस कार्य के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) 4.32 लाख रुपये।

(ग) 125 लाख रुपये की लागत के स्थायी ड्रेजर के जून 1967 में प्राप्त होने की आशा है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1967-68 में 20 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है जो इस अर्जन के बारे में अंतिम भुगतान करने के लिए है।

India-U. S. S. R. Shipping Agreement

497. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India has recently signed a new shipping agreement with the Government of U. S. S. R. ; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). An agreement between the Governments of India and U. S. S. R. for the establishment of a shipping service between India and U. S. S. R. was signed at New Delhi on the 6th April, 1956. The working of the Agreement is reviewed from time to time and the decisions reached are embodied in protocols signed by representatives of both the Governments. The latest review was made in February, 1967, and a protocol was signed on the 7th February, 1967. The protocol relates to the agreement reached between the two parties regarding parity in the lifting of cargo and freight earnings, number of sailings, berthing facilities and various other related matters.

मद्रास में भूचाल

498. **श्री चिट्टिबाबू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फरवरी और मार्च 1967 में मद्रास राज्य में तम्बरम और इनके आस-पास के क्षेत्र में भूचाल आते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था (जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया) ने अनुसंधान किये हैं, जिनसे पता चला है कि ये भूचाल कम गहराइयों पर भू-पृष्ठीय समंजन (क्रस्टल एडजस्टमैण्ट) जैसे प्राकृतिक कारणों से आये।

Discrimination in Supply of Rations in Delhi

499. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any discrimination is being made in the supply of rations to all citizens of Delhi, such as Government employees or other persons ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). No discrimination is being made between ration card holders in Delhi in the supply of rations. However, in order to enable Central Government Ministers, Members of Parliament and members of diplomatic missions to meet the requirements of visitors calling on them, special permits for five units of cereals and five units of sugar are issued to them on request. This is being done to avoid inconvenience and delay involved in getting temporary ration cards every now and then.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बनों का साफ किया जाना

500. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान वन विभाग द्वारा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वन साफ कराये जाने की प्रति एकड़ लागत क्या है; और

(ख) पुनर्वास मंत्रालय के माध्यम से इस द्वीप समूह में वनों के साफ किये जाने की प्रति एकड़ लागत क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) अलग-अलग क्षेत्रों के लिये लागत अलग-अलग है जो 200 से 500 रुपये प्रति एकड़ तक है।

(ख) पूर्णतः यान्त्रिकृत एककों के माध्यम से काम कराने पर 700 रुपये प्रति एकड़ लागत आती है।

लिटिल अन्दमान में वनों का साफ किया जाना

501. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लिटिल अन्दमान द्वीप के वनों को साफ करने तथा उसके विकास के बारे में नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) विशिष्ट योजनाएं क्या हैं और लिटिल अन्दमान द्वीप में प्रस्तावित उद्योग समूह की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में चलाने अथवा उन्हें निजी व्यक्तियों या कम्पनियों को सौंपने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं। मामला विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Report of Enquiry Committee on Hindustan Shipyard, Visakhapatnam

502. **Shri Rabi Ray:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether the report of the Enquiry Committee headed by Rear Admiral S. M. Nanda regarding the state of Hindustan Shipyard Visakhapatnam has been received by Government;

(b) if so, the main features thereof;

(c) the action taken on the recommendations of the Committee; and

(d) whether a copy of the Report will be laid on the Table?

The Minister of Transport and Shipping (Dr.. V.K.R.V. Rao): (a) No; Sir.

(b) to (d). Do not arise.

उड़ीसा में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों का विकास

503. **श्री समरेन्द्र कुण्डू :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उड़ीसा राज्य के लिये क्या-क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं;

(ख) मंत्रालय का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में किन-किन विशिष्ट पर्यटक आकर्षण स्थलों का विकास करने का है; और

(ग) वर्ष 1967-68 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों पर कितना धन व्यय होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह). (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-224/67]

Central Cooperative and Departmental Stores

504. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred so far on the opening of the Central Cooperative and Departmental Stores :

(b) the working thereof ; and

(c) whether all the stores are being run profitably ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) An amount of Rs. 13.73 crores (Rs. 12.33 crores as loan and Rs. 1.40 crores as grant) has been sanctioned to the Central Cooperative Stores and department stores since the launching of the Centrally Sponsored Scheme of consumer cooperatives in November, 1962.

(b) and (c). Despite initial difficulties, the stores are working satisfactorily. As on 30th June, 1966, 224 stores were functioning. All the stores excepting 26 were in profit and they earned profits amounting to Rs. 102 lakhs. The losses incurred by the 26 wholesale stores were of the order of Rs. 9.83 lakhs.

Prices of Sugar

505. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ex-factory price of sugar has been changed on the basis of recovery and season ;

(b) if so, the difference in sugar price, then and now ; and

(c) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) Yes, Sir, and also due to increase in the basic minimum price of sugar-cane by 32 paise per quintal.

(b) and (c). A statement giving the required information is attached. **[Placed in Library. See. No. LT-225/67]**

Shortage of Milk in Delhi

506. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the attention of Government has been drawn to the news published in the

Indian Express dated the 17th March, 1967 stating that there will be shortage of milk in Delhi this year;

(b) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme has started the use of milk powder on a large scale right from now; and

(c) if the reply to part (a) above be in affirmative, the steps taken by Government to make up the shortage?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) It has been found necessary to use small quantities of skimmed milk powder for maintaining supply of milk by the Delhi Milk Scheme.

In order to meet the requirements of the token holders during the next four summer months, which is the lean period for procurement of milk the following steps are being taken:

(i) Efforts are being made to procure sufficient quantities of imported skim milk powder.

(ii) A stock of white butter which can be used for re-constitution of milk is being built up.

(iii) Firm agreements have been entered with the contractors who supply milk to the Delhi Milk Scheme. Different quotas of milk to be supplied have been laid down in the agreement in the ratio of 100% for winter, 75% for rainy season, and 60% for U. P./50% for Haryana areas for the summer. The contractors are subject to a penalty of Rs. Rs. 5/- per quintal in case of failure to supply the agreed quantities of milk during the year.

(iv) In view of the shortage, the scheme is having to pay a higher rate for purchase of milk as compared with the same period last year. Rate of commission paid to contractors for supply of milk has been raised.

Extension of D.M.S. Operations

507. **Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the steps being taken by Government to extend the services of Delhi Milk Scheme to those areas of Delhi where the scheme has not so far been extended particularly in the areas across the Jamuna which have a population of over 3 lakhs?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): Delhi Milk Scheme is, at present, unable to extend its service to the entire city due to limited procurement of milk. Extension of services of the Scheme to more and more areas including areas across Jammu will be taken up as per availability of milk.

उड़ीसा में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनायें

508. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को 1967-68 के लिये कितना धन नियत किया है; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) राज्य में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनाओं के लिए 1967-68 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने ऋणों तथा अनुदानों के रूप में जो वित्तीय सहायता देनी है उसके सम्बन्ध में अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनायें जो शुरू की जानी हैं उनमें ये शामिल है—ट्रालिंग के लिए विद्युत युक्त नावों को चलाकर सघन उत्पादन, कारखानों की स्थापना तथा सेवा सम्बन्धी सुविधाएं देना, बर्फ तथा प्रक्रिया प्लान्ट्स के निर्माण द्वारा प्रक्रिया तथा विपणन की सुविधाओं की व्यवस्था और परिवहन गाड़ियों को चालू करना।

कुओं से सिंचाई की क्षमता

509. **श्री डी० एन० पाटोदिया :**
श्री आर० के० बिड़ला :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार इस समय कितने कच्चे कुएं, पक्के कुएं तथा नलकूप चल रहे हैं और उनसे कितनी भूमि में सिंचाई की जाती है; और

(ख) ऐसे कुओं के द्वारा सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार किस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) देश में तीसरी योजना के अन्त तक पक्के कुओं की संख्या अनुमानित 58 लाख है और सिंचित क्षेत्र 14.5 मिलियन एकड़ है।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में 1966-67 के दौरान सूखे की स्थिति दूर करने के लिए लगभग 8.5 लाख कच्चे कुएं बनाए गए हैं। इनमें से कुछ कुएं पक्के किए जा रहे हैं। तीसरी योजना के अन्त तक राजकीय नलकूप तथा निजी नलकूपों की संख्या लगभग 93 हजार

होने की सम्भावना है और सिंचित क्षेत्र 4.6 मिलियन एकड़ है। तीसरी योजना के दौरान जो कुएं किसानों ने अपने साधनों से बनवाए वे शामिल नहीं किए गये हैं।

(ख) चौथी योजना के दौरान अतिरिक्त पक्के कुओं का लक्ष्य 9.12 लाख तथा 1.27 लाख है। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 2.3 मिलियन एकड़ तथा 4.3 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। तीसरी योजना के अन्त में पक्के कुओं, राजकीय तथा निजी नलकूपों की राज्यवार स्थिति प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-226/67] चौथी योजना के लिये राज्यवार लक्ष्य अस्थायी हैं।

आम चुनावों में अनियमित उड़ानें

509-क. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए आम चुनावों में चुनाव-कार्य के लिए कुछ उम्मीदवारों द्वारा विमानों का अनियमित उपयोग किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसा किया गया और विमानों का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सूचना चुनाव आयोग के पास भेजने का है ताकि आयोग उन उम्मीदवारों के चुनाव-व्यय सम्बन्धी विवरणों की जांच करते समय इस बात को ध्यान में रख सके ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) यदि चुनाव आयोग को आवश्यकता हुई तो यह सूचना उनको भेज दी जायेगी।

Tube Wells in U. P. and Bihar

509-B. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of tube wells installed in Uttar Pradesh and Bihar during the last five years ;

(b) the acreage of land irrigated as a result thereof;

(c) the number out of these tube wells lying idle for want of repairs ; and

(d) the reasons for not repairing them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) to (d). The required information is being collected from the State Governments of U. P. and Bihar and would be laid on the Table of the Sabha, as soon as it is collected.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कपड़ा उद्योग में संकट

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I beg to call the attention of the Minister of Commerce to the following matte rof Urgent Public Importance andr equest him to make a statement thereon:

The crisis in the Textile Industry due to scarcity of cotton, fear of the closure of many units, labour unemployment and monthly loss worth crores of rupees to the nation.

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : वस्त्र उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में मैं भी माननीय सदस्यों के समान ही चिंतित हूँ और मैं सभा के समक्ष तथ्यों को रखने के इस अवसर का स्वागत करता हूँ।

हमारी इन बहुत सी कठिनाइयों का मुख्य कारण कपास के संभरण की अपर्याप्त मात्रा है। इसलिये इस कठिनाई को समझने तथा इस पर विचार करने में यह बात सहायक सिद्ध होगी, यदि मैं सर्वप्रथम कपास के संभरण तथा मांग के सम्बन्ध में कुछ आधारभूत तथ्यों को इस सभा के समक्ष रखने का प्रयत्न करूं।

सभा को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि 1951 से 1964 की अवधि में भारत में कपास का उत्पादन बहुत बढ़ा है। यह उत्पादन 1951 में 29·7 लाख गांठों से बढ़कर 1964 में 54 लाख गांठ हो गया।

उसी अवधि के दौरान विदेशी रुई की खपत 11 लाख गांठों से घटकर 6·4 लाख गांठ रह गई।

उसी अवधि में सूत तथा कपड़े की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कपास की मांग 38 लाख गांठों से बढ़कर 62 लाख गांठ हो गई है।

श्रीमान, सभा कपास की बढ़ती हुई आवश्यकता का पूरा मूल्यांकन कर सके, इसलिये मैं वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। मिल क्षेत्र में उत्पादन 370 करोड़ मीटर से बढ़कर 465.3 करोड़ मीटर हो गया है। विकेन्द्रित क्षेत्र में भी, जो अपने सूत के सम्भरण के लिये प्रथमतः मिल क्षेत्र पर और अंततः रुई की उपलब्धि पर निर्भर रहता है, उत्पादन 100 करोड़ मीटर से बढ़कर 300 करोड़ मीटर हो गया है।

कपड़े की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये देश में कताई तथा बुनाई की क्षमता को भी काफी बढ़ाया गया है। कताई की तथा कताई-बुनाई दोनों मिलों की संख्या जो 1951 में

378 थी, बढ़कर 1964 में 514 हो गयी। आज उनकी संख्या 608 है। तकुओं की कुल संख्या 1951 के 99 लाख तकुओं से बढ़कर 1964 में एक करोड़ 46 लाख तकुए हो गयी और 1967 में एक करोड़ 66 लाख हो गयी। 1951 तथा 1964 के मध्य 8000 नए करघे लगाए गये और तब से 6000 करघे और लगाये गये हैं।

देश में इस समय उपलब्ध कताई-बुनाई क्षमता को उपयोग में लाने और अपने लोगों की कपड़े की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये, अनुमान है कि इस समय प्रति वर्ष रुई की 66 लाख गांठों की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों ने जिस संकट की ओर ध्यान दिलाया है वह इसी कारण उत्पन्न हुआ है कि देशी तथा आयातित रुई की कुल उपलब्ध मात्रा इससे कम होगी।

सभा को ज्ञात है कि लगातार दो बार मानसूनों के न आने और देश में वर्षा के कारण भारतीय कपास की फसलें गत वर्ष तथा चालू वर्ष में आशा से कम हुई। गत जुलाई-अगस्त में यह आशा थी कि उस समय जो खेतों में फसल खड़ी थी उससे 62 लाख गांठ कपास पैदा हो जायेगी। सितम्बर-अक्तूबर तक यह स्पष्ट हो गया कि उपज इससे भी कम होगी। अक्तूबर के अंत में फसल का अनुमान केवल 56 लाख गांठों का लगाया गया।

बढ़ते हुए संकट को देखते हुए, सरकार ने स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से कुछ कार्यवाही प्रारम्भ की। इस कार्यवाही का प्रमुख उद्देश्य यह था कि रुई के लिये खींचातानी को रोका जाये और उपलब्ध स्टाक का सम्यक वितरण किया जाये। स्टाक रखने और माल के लाने ले जाने पर नियंत्रण लगाए गये और फालतू रुई वाले मिलों और कम रुई वाले मिलों के मध्य स्टाक के स्वैच्छिक पुर्नवितरण की एक योजना प्रारम्भ की गयी।

ज्यों-ज्यों संकट गंभीर हुआ और कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हुआ, भारतीय सूती मिल संघ ने सभी मिलों को 15 दिन के लिये बंद करने का प्रस्ताव किया ताकि रुई की मांग कम हो जाय। आशा थी कि इस प्रक्रिया से कीमतों पर मांग का दबाव कम हो जायगा और इस प्रकार कम गुंजाइश वाली मिलों में से कई लाभ के साथ चलती रहेंगी। किन्तु ऐसा सोचा गया कि इस प्रकार के कदम से कपास के उत्पादकों और उद्योग में लगे हुए श्रमिकों दोनों के लिये गम्भीर कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। यह भी आशंका थी कि इस प्रकार के कदम से कपड़े के मूल्य भी सहसा बढ़ जायेंगे।

सरकार ने विभिन्न सम्बद्ध हितों से परामर्श किया और स्थिति का सामना करने के लिये एक सर्वसम्मत योजना प्रारम्भ की जिसके अनुसार सभी प्रभावित पक्षों को कुछ त्याग करना था।

उत्पादकों के लाभ के लिये निर्धारित उच्चतम मूल्यों को 5 प्रतिशत बढ़ाया गया परन्तु आशा थी कि इसमें और वृद्धि के लिये दबाव को रोका जा सकेगा।

श्रमिकों के लाभ के लिये यह बात स्वीकार की गई कि लगातार 15 दिन तक मिलों को बंद करने के बजाए प्रति सप्ताह एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी रखी जाये और 50 प्रतिशत सामान्य दैनिक मजदूरी मुआवजे के रूप में दी जाये।

संभरण पर मांग के दबाव को नियंत्रण में रखने के लिये रुई के लाने ले जाने पर तथा स्टाक पर नियंत्रण लागू करने के लिये और जहां आवश्यक हो अधिग्रहण करके भी, फालतू रुई वाली मिलों से कम रुई वाली मिलों को रुई दिलवाने के लिये जो कार्यवाही पहले की गई थी उसको अधिक तीव्र किया गया।

उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, मिलों को कहा गया कि वे नियन्त्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि के लिये अपनी मांग पर जोर न दें, किन्तु उन्हें विश्वास दिलाया गया कि अप्रैल के बाद मूल्यों को निर्धारित करते समय उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जायेगा।

रुई की उपलब्धि को सुधारने के लिये विदेशी रुई का आयात बढ़ाने के लिये कार्यवाही की गई। 1965-66 में 527,000 गांठों के वास्तविक आयात की तुलना में 1966-67 के लिये अब 950,000 गांठों के कुल आयात का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तब से किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप 318,000 गांठें पहुंच भी चुकी हैं तथा अन्य 500,000 गांठों के जून के अन्त से पहले अपने गन्तव्य स्थानों को पहुंच जाने की आशा है जिससे कुल मिलाकर 800,000 गांठें हो जायेंगी।

इन उपायों से प्रारम्भ में कुछ सफलता भी मिली है। जिन मिलों को किसी भी कारण बन्द होना पड़ा, उनकी संख्या मार्च, 1966 में 43 से घटकर फरवरी, 1967 में 28 रह गई। दिसम्बर के शुरू से कम से कम छः सप्ताह की अवधि के लिये भारतीय रुई के मूल्य संशोधित अधिकतम मूल्यों के आस-पास स्थिर रहे।

दुर्भाग्यवश मौसम की परिस्थितियों तथा उत्पादकों द्वारा बाजार में माल न लाने के कारण बाजार में कुछ लोगों की यह धारणा बन गई कि मिलों द्वारा खपत के लिये भारतीय रुई की उपलब्धि 56 लाख गांठों से भी, जो हमारा गत नवम्बर का अनुमान था, कम होगी। भारतीय रुई की उपलब्धि के सम्बन्ध में निराशावादी विचारों का समर्थन मैं नहीं कर सकता, परन्तु मैं सभा से इस तथ्य को नहीं छिपा सकता कि ऐसे विचारों से विद्यमान कठिन स्थिति और भी जटिल हो सकती है।

जब से मैंने अपने वर्तमान उत्तरदायित्व को सम्भाला है, तभी से मैं वर्तमान कठिनाइयों से निकलने का कोई उपाय ढूढंने के लिये प्रयत्नशील रहा हूँ। मैं सभी सम्बद्ध हितों को, श्रमिकों, उत्पादकों, उद्योग तथा व्यापारियों के प्रतिनिधियों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने विचारों से अवगत कराया है तथा मुझे अपनी राय दी है। कुछ माननीय सदस्यों के साथ भी जिन्होंने इस मामले में सभा का ध्यान आकर्षित किया है; मैं विचारों का आदान-प्रदान करके लाभान्वित हुआ हूँ।

मुझे यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रकृति की क्रूर शक्तियों के कारण हम जिन कठिनाइयों में पड़ गये हैं वे केवल धैर्य से, सहयोग से तथा कमी के परिणामों में समभागी बनने

की हमारी तत्परता से ही कम की जा सकती हैं और इसी प्रकार अन्ततः उन पर काबू पाया जा सकता है ।

मुझे विश्वास है कि सदन की यही इच्छा है कि इस बात के लिये भरसक प्रयत्न किया जाये कि कपड़े का उत्पादन यथावत रहे । हमारे उद्योग को स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग हो और श्रमशक्ति को पूर्णतः रोजगार मिलता रहे । सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस इच्छा को, यथासाध्य शीघ्र पूरा किया जाय ।

सर्वथा अपनी इच्छा के विपरीत मुझे कल एक विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये बाध्य होना पड़ा जिसका उद्देश्य उस अध्यादेश को संसद के अधिनियम में परिवर्तित करने के लिये सभा का अनुमोदन प्राप्त करना है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा उसके अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे कपास की कमी को देखते हुए उसके प्रयोग में बचत करने के लिये हमारे मिलों में मशीनों का चलना अनिवार्य रूप से कम कर सकें । जब सभा इस विधेयक पर विचार करेगी तब हमें इस मामले पर अधिक गहराई से विचार करने का अवसर मिलेगा । किन्तु मैं इस अवसर पर सभा को यह बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे विविध उपायों तथा तरीकों पर विचार कर रहा हूँ जिनसे रुई की उपलब्धि इतनी बढ़ जाये कि इस महत्वपूर्ण उद्योग में मशीनों के चलाने में की गई अनिवार्य कमी को यथासम्भव शीघ्र समाप्त किया जा सके ।

इसी बीच, स्वदेशी तथा विदेशी कपास को सीमित उपलब्ध मात्रा के व्यवस्थित और न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । उद्योग की तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिये जहां से भी वस्त्र आयुक्त को माल का पता लगा हमें वहीं से माल का अधिग्रहण करना पड़ा । मुझे विश्वास है कि जो कार्यवाही की जा रही है उसमें मेरे मंत्रालय और अधिकारियों को सभा का समर्थन प्राप्त होगा । मैं समझता हूँ कि इस कार्यवाही का बाजार पर अभी से स्वस्थ प्रभाव पड़ा है और इससे भारतीय रुई के विद्यमान मूल्यों के स्तर को कम करने में सफलता मिली है । हम चाहते हैं कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए जिससे इस स्वस्थ प्रवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

विदेशों से रुई के आयात में और वृद्धि करके मैं रुई के सम्भरण की कमी को दूर करने की सम्भावना पर विचार कर रहा हूँ । सभा को ज्ञात ही है कि इस संबंध में हमें किन-किन समस्याओं का सामना करना है । शेष विश्व में भी रुई की स्थिति कोई अच्छी नहीं है और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमारे लिये कठोर सीमायें विद्यमान हैं । फिर भी कतिपय सम्भावनाएं हैं जिनकी मैं जांच कर रहा हूँ परन्तु जिनसे मैं सभा को तभी अवगत कर सकूंगा जबकि यह जांच पूरी हो जायेगी ।

श्रीमन् ! इसे समाप्त करने से पहले मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार माननीय सदस्यों के समान ही चिन्तित है । मैं केवल इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो हमारी अपनी पैदा की

हुई नहीं है और हमारे पास ऐसा विश्वास रखने के कारण हैं कि यह स्थिति अस्थायी है। मेरे सहयोगी, खाद्य तथा कृषि मंत्री, यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठा रहे हैं कि आगामी वर्ष फसल की उपज में सुधार हो। तब तक मैं माननीय सदस्यों से और उनके माध्यम से उन सभी पक्षों से जिन पर इसका प्रभाव पड़ा है, अनुरोध करता हूँ कि वे इन अस्थायी कठिनाइयों का सामना करने में सरकार की सहायता करें और जो स्थिति हमारे सामने है उस पर काबू पाने के लिये, उनके परामर्श से निर्धारित कार्यवाही में अपना सहयोग दें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): May I know whether it is a fact that the Government have refused to distribute the cotton available with the hoarders, amongst the mill-owners? Whether it is also a fact that the Government are going to increase the price of controlled cloth? I would also like to know whether the labourers will be paid compensation out of Rs. 100 crores which accrued to the Government as excise duty, as has been suggested by the mill-owners.

Shri Dinesh Singh: We have requisitioned 37,100 bales of cotton. The Government will make every effort to get hold of the stocks of the hoarders. The formula devised by the Government regarding closure of mills has been beneficial to all concerned. We have not received any suggestion from the mill-owners regarding compensation to be paid to the workers out of excise duty funds.

Shri George Fernandes (Bombay South): Will the Government consider the question of nationalisation of textile mills and running them through a corporation.

Shri Dinesh Singh: Matters of policy cannot be discussed during discussion on a Calling Attention Notice.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun): May I know whether it is a fact that the cotton was procured at less price and that cotton was hoarded by the hoarders and that is the reason of crisis in the mills.

Shri Dinesh Singh: The Government have not procured anything at low price. If there is any such case, the Hon. Member may kindly bring it to the notice of the Government.

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : रुई की कमी के बावजूद भी तकलों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसका क्या कारण है?

श्री दिनेश सिंह : तकलों की संख्या में वृद्धि रुई के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रख कर की गई थी परन्तु वर्षा न होने के कारण कठिनाई पैदा हो गई है। फिर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री सूरजरत्न फतहचन्द दामानी (शोलापुर) : वस्त्र उद्योग को आश्वासन के बावजूद बहुत कम रुई उपलब्ध कराई गई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि रुई उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री दिनेश सिंह : हम उन लोगों से, जिनके पास आवश्यकता से अधिक रुई है, रुई लेने का प्रयत्न करेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : May I know whether the Government will provide a sum of Rs. 400 crores, which is required for the modernisation of textile industry ?

Shri Dinesh Singh : The Government have been considering the ways to modernise this industry.

श्री छगन भाई मदारी भाई केदरिया (मांडवी) : गुजरात तथा महाराष्ट्र में भी रुई के जमा हो जाने के बारे में हमने कल एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अब नहीं उठाया जा सकता ।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : I had tabled a Calling Attention notice......

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी नहीं लिया जा सकता ।

जब तक माननीय सदस्य की ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकृत होकर कार्यसूची में न आ जाये तब तक उनका प्रतिदिन इस प्रकार बोलना उचित नहीं है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE. QUESTION OF PRIVILEGE

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I have been informed from your office that my question of privilege is under consideration.

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी जब मैं चैम्बर में आ रहा था तो मुझे एक पत्र दिया गया था । स्वेतलाना के मामले पर दो बार चर्चा हो चुकी है । इस पत्र पर विचार करने के लिये मेरे पास समय नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whose letter you have received.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । मैंने इस पत्र को सावधानी से तथा पूरा नहीं पढ़ा है । शायद यह स्वेतलाना द्वारा उनको लिखा गया पत्र है अथवा कुछ अन्य चीज/चाहे जो कुछ भी हो यह मुझे दस मिनट पूर्व दिया गया है । इस पर विचार करने तथा निर्णय करने के लिये मुझे कुछ समय चाहिए ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : यह ठीक है कि आपको विचार करने के लिये कुछ समय चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप कल अपनी अनुमति दे दें अथवा अनुमति न देने के कारण बता दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ समय दिया जाये । मैंने न तो इसको स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार किया है । मैं पत्र पढ़ने के पश्चात माननीय सदस्य को अपने निर्णय के बारे में बता दूंगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : If on any particular subject the House is misled then it becomes the duty of the Member who got the evidence, to produce the evidence to prove it. It will be better if you take this matter in the afternoon otherwise you can take to-morrow morning.

अध्यक्ष महोदय : मैं आज शाम चार अथवा पांच बजे उनसे अथवा उनके दल के नेता से बातचीत करूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक तथा तार) और विनियोग लेखे

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तार, 1967 [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-204/67]

(2) विनियोग लेखे, डाक तथा तार 1965-66, [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-205/67]

निर्वाचन आयोग के आदेश

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं श्री गोविन्द मेनन की ओर से परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) आदेश संख्या 10क जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1934 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य से सम्बन्धित दिनांक 25 जनवरी, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 10 में कतिपय शुद्धियां की गईं ।

(दो) आदेश संख्या 5क जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3155 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य से सम्बन्धित दिनांक 2 जून, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 5 में कतिपय शुद्धियां की गईं ।

(तीन) आदेश संख्या 5ख जो दिनांक 25 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3601 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य से सम्बन्धित दिनांक 2 जून, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 5 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(चार) आदेश संख्या 17क जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3776 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित दिनांक 22 जुलाई, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 17 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(पांच) आदेश संख्या 13क जो दिनांक 6 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 512 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य से सम्बन्धित दिनांक 23 नवम्बर, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 13 में कतिपय शुद्धियां की गईं।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-195/67]

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मोटरगाड़ी नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, मद्रास पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड के वार्षिक लेखे

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मोटरगाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मोटरगाड़ी नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये :

(एक) अधिसूचना संख्या 158/66/एफ० संख्या 68—332/66—पब० जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1966 के अन्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना संख्या 166/66/एफ० संख्या 68—261/66—पब० जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1966 के अन्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०**-196/67]

(2) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मद्रास पत्तन न्यास के 1965-66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-197/67]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-199/67]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) 1 अप्रैल, 1965 से 30 सितम्बर, 1965 तक की अवधि के लिये भारतीय

केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-198/67]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 5 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 35 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कारखाने पर चीनी के मूल्य के बारे में जी० एस० आर० 153 जो दिनांक 1 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कारखाने पर चीनी के मूल्य के बारे में जी० एस० आर० 381 जो दिनांक 16 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०**-200/67]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 185 की एक प्रति जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-201/67]

निर्वाचन आयोग के आदेश

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश की एक प्रति जो दिनांक 16 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3513 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-202/67]

(2) परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :

(एक) आदेश संख्या 16क जो दिनांक 10 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1780 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित दिनांक 9 फरवरी, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 16 में एक शुद्धि की गई।

(दो) आदेश संख्या 16ख जो दिनांक 20 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1849 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिमी

बंगाल राज्य से संबंधित दिनांक 9 फरवरी, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 16 में एक शुद्धि की गई।

(तीन) आदेश संख्या 9क जो दिनांक 5 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2005 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मद्रास राज्य से संबंधित दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 9 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(चार) आदेश संख्या 16ग जो दिनांक 22 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2223 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित दिनांक 9 फरवरी, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 16 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(पांच) आदेश संख्या 16घ जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2938 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य से सम्बन्धित दिनांक 9 फरवरी, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 16 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(छः) आदेश संख्या 9ख जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2945 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मद्रास राज्य से सम्बन्धित दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 9 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(सात) आदेश संख्या 8क जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3021 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य से सम्बन्धित दिनांक 13 जुलाई, 1964 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 8 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(आठ) आदेश संख्या 12क जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3162 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य से सम्बन्धित दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 12 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(नौ) आदेश संख्या 9ग जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3675 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मद्रास राज्य से सम्बन्धित दिनांक 16 दिसम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 9 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(दस) आदेश संख्या 16ङ जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3956 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य से सम्बन्धित दिनांक 9 फरवरी, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 16 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(ग्यारह) आदेश संख्या 12ख जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3962 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य से सम्बन्धित दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 12 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(बारह) आदेश संख्या 12ग जो दिनांक 9 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 139 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य से सम्बन्धित दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 12 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(तेरह) आदेश संख्या 11क जो दिनांक 9 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 140 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसूर राज्य से सम्बन्धित दिनांक 25 नवम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 11 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(चौदह) आदेश संख्या 9घ जो दिनांक 9 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 141 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मद्रास राज्य से सम्बन्धित दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 9 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(पन्द्रह) आदेश संख्या 22 क जो दिनांक 9 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 142 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित दिनांक 15 जून, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 22 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(सोलह) आदेश संख्या 9ङ जो दिनांक 19 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 286 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मद्रास राज्य से सम्बन्धित दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 9 में कतिपय शुद्धियां की गईं।

(सत्रह) आदेश संख्या 3क जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 355 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

आन्ध्र प्रदेश राज्य से सम्बन्धित दिनांक 3 जुलाई, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 3 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(अट्ठारह) आदेश संख्या 11ख जो दिनांक 31 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 361 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसूर राज्य से सम्बन्धित दिनांक 25 नवम्बर, 1965 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 11 में कतिपय शुद्धियां की गईं ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-203/67]

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूँ कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1967 को पास किये गये सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरन्तरता विधेयक, 1967 से राज्य-सभा अपनी 31 अप्रैल, 1967 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

श्री च० चु० देसाई (सबरकन्ठा) : मैं राजस्थान के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहा था । हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम राजस्थान के विवाद को सड़कों पर सुलझाना चाहते थे । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि डा० सम्पूर्णानन्द द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा का यह परिणाम हुआ कि इस विवाद का मामला सभा के सामने न आ सका । परन्तु इस घटना के लिए महारानी गायत्री देवी और महारावल लक्ष्मण सिंह को दोषी ठहराया जाता है ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण यह बात कही जाती थी कि मंत्रिमंडल की राय पर चलना राष्ट्रपति का कर्तव्य है । जब कि हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति होता है और इस निर्वाचन में देश के सभी विधायक भाग लेते हैं, इसलिए हमारा राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से देश का किसी भी रूप में कम प्रतिनिधित्व नहीं करता । वह राज्याध्यक्ष होता है और सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता है । इसलिए हम उन्हें नाम मात्र का राष्ट्रपति नहीं मान सकते । पहले जो कुछ भी हो चुका हो परन्तु अब राष्ट्रपति की सांवैधानिक स्थिति को पुनरुज्जीवित करना आवश्यक हो गया है । राष्ट्रपति के लिए सांवैधानिक मामलों में मंत्रिमंडल से सलाह लेने या मंत्रिमंडल की सलाह मानना आवश्यक नहीं । ये मामले हैं राज्यपालों की नियुक्ति, सभाओं का विघटन, नये चुनावों के लिए आदेश देना, मध्यावधि चुनाव के लिए आदेश देना, राष्ट्रपति का शासन लागू करना आदि ।

हमने देखा है कि पांडिचेरी में हमारे गृह-कार्य मंत्री कांग्रेसी मंत्रियों को मंत्रिमंडल बनाये रखने के लिए किस प्रकार सलाह देते रहे और इधर राष्ट्रपति को भी कांग्रेस दल के हित का ध्यान रखने की सलाह देते रहे। मंत्रिमंडल तो अपने दल के हित का ध्यान रखता है, अतः हम राष्ट्रपति से ही निष्पक्ष दृष्टिकोण की आशा कर सकते हैं।

अब कांग्रेस दल का सभी राज्यों में शासन नहीं है इसलिए यदि राष्ट्रपति महोदय निष्पक्ष निर्णय देने में स्वविवेक से काम लेने में समर्थ होंगे तो यह उनके हित की बात होगी। एक दिन कांग्रेस दल को भी ऐसी आवश्यकता अनुभव हो सकती है कि वह राष्ट्रपति या राज्यपाल से अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचना करें। दूसरी बात यह है कि सभी मामलों में राज्यपालों को राष्ट्रपति के साथ पत्रव्यवहार करना चाहिए। अब तक तो वे दिल्ली में आते थे परन्तु वे राष्ट्रपति को न मिलकर प्रधानमंत्री से ही मिलते हैं जो बिल्कुल अनुचित बात है, क्योंकि मंत्रि-मंडल के सभी सदस्य तो केवल अपने दल के हित का ध्यान रखते हैं। अब जो भी राष्ट्रपति चुने जायें उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए जो नई परम्पराओं की स्थापना के बारे में विचार-विमर्श करे।

मेरे पास छोटी सदरी के सोने के मामले पर पूरे दस्तावेज हैं। इस मामले में श्री मोहन लाल सुखाड़िया पर गबन के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। मैं इन दस्तावेजों को उप-प्रधान मंत्री को इस शर्त पर देने के लिए तैयार हूं कि वह इस सभा को आश्वासन दें कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएंगे और अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए कार्यवाही करेंगे।

हमारी सरकार ने 'सिरमूर' और 'अकलकोट'--इन दो राज्यों की गद्दी समाप्त कर दी है क्योंकि उनके शासकों का कोई पुत्र नहीं था परन्तु उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबन्ध है।

Bakshi Ghulam Mohammad (Srinagar) : There are various problems being faced by the country at present. There is a problem of defence of the country and it is the duty of every citizen of this country to safeguard the integrity of the country. Opposition and Treasury benches cannot differ on this issue. Similarly there cannot be two opinions on the issue of progress of the country. Beside we are facing economic problem and the problem of industrial growth. These are national problems and they can be solved only by concerted efforts. I do not want to blame the Government but the members of the Government sitting on Treasury Benches know fully well that we have not solved any problem. Today we are facing acute economic problem. What is the remedy? I can produce facts and figures and prove that we have not made any progress and on the contrary we are falling behind.

We are discussing the Address of the President and just see that there is no one sitting on the Treasury Benches except Shri Rao and Dr. Ram Subhag Singh. Those who have to reply the debate are not present. This is callous indifference. They are expecting notices on the basis of which they will reply. They should at least listen to our views and then reply.

Three Five Year Plans have been completed by this Government. May I know the investments thereon, the assets created and the returns therefor? When we come to know all

this, we shall find the results. Views have been expressed here that there is a need of Reorientation of Planning right from top to the bottom if we want to achieve the results.

Our target on the food front was that we will become not only self-sufficient but surplus by the end of 1957 whereas it is now 1967. Today there is famine in Bihar and Uttar Pradesh and there is difficult food situations in other States. Our food imports in 1950 were 2.2 million tons, in 1960 5.1 million tons, of course there is constant increase in population of the country. There is increase in quantum of imports in each following year. It is estimated that there will be production of 76 million ton grains in the year 1966 if it happens so there is no need of imports at all. But self sufficiency has become a slogan only and in practical imports are being increased every year.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न अवकाश के बाद जारी रखें

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Bakshi Ghulam Mohammad: We have spent thousands of crores of rupees for the increase of food production and on the use of fertilisers but with no results. It shows that the food policy being pursued by the Centre is not correct and it should therefore be radically changed.

The second point is that how to face the economic problems. For the past five years there has been constant increase in the expenditure of the Central Government. In 1961-62 this expenditure was Rs. 1,012 crores and in 1967-68 the same has been increased upto Rs. 2,699 crores. We agree that all the items of work may be important but there should be some priorities also.

This huge amount has been recovered from the people of the country in the form of various types of taxes. In case we want to solve these national problems, the Ruling party and all the opposition parties should put their heads together and suggest a way out. We have imposed so many controls that they resulted in failures from all sides. Let us take bold step to decontrol food and see the results. The prices will go down like anything. We should not establish factories if there is no material for them. There is a need of radical change in our approach towards formulation of policies. The national policies should be framed in consultation with Chief Ministers of all the States and leaders of all the opposition parties. If this suggestion is agreed to, there will not be any unhealthy criticism. We should not go into false nations of prestige but we should solve these problems as national ones.

We should invite Badshah Khan and make use of his services. I would request that my suggestion should be given due consideration and they should be put in action.

Shri Ram Kishan Gupta (Hissar) : The President in his Address has mentioned that "the success of all our Plans and projects depends on the efficiency and integrity of the administration." The success of our Plans should be based on the achievements. We could not remove concentration of wealth. The Monopoly Enquiry Commission appointed by the Government is of the opinion that all the wealth of the country is being controlled by 70-72 capitalists and this process is still being continued.

In this report it is stated that five capitalists are in control of Press in India. We see the success of the plan with this point of view that all the wealth is still being accumulated in the hands of a few capitalists. The gulf is being further widened which is quite dangerous and it should some how be checked. For this purpose I would suggest nationalization of banks. The Income-Tax Investigation Commission has also expressed the same opinion. All these banks are being run by a few capitalists in the country. The owners of the banks are running their accounts in fictitious names. Even in U.S.A. the accounts of the banks could be controlled and checked but here in India we are not in a position to control them.

There seems to be a great disparity in the matter of education. The field of education has become monopoly of rich people. We have not been able to discuss the roport of Education Commission so far. That Commission is however, of the opinion that there is great disparity in primary education in this country. It is a great social injustice that on one side the poor cannot get his children educated and on the other hand there are Public Schools where thousands of rupees are spent on the education of the children of rich people.

If we want that our country should progress, we have to abolish these public schools, unless there is parity in standards of education, we cannot progress.

I request that the report of the Commission should be discussed in the House and suggestions given there in should be implemented.

So far as the press is concerned, the five big Houses have full control over them. I want to know whether the Government have any newspaper in which it has full faith. In every country there are one or two newspapers from whom the policy of the Government can be judged. But there is none in our country. A time would come when we have to take the control of the press and have to nationalise it.

Now I come to Chandigarh. A Commission was appointed regarding Chandigarh and it recommended that it should go to Haryana. But that has not been done. Due to some difficulties it was declared that it should be centrally administrated. It is a part of Haryana. Sant Fateh Singh threatened self immolation and at last his fast was broken.

If another decision has to be taken in this regard what effect it would have on the Indian masses. They would think that the Government has yielded to his threat of self immolation. I believe in the unity of India.

I would say that the same status should be maintained. I also admit that no decision should be taken in this regard without obtaining the views of the people. It is the first principle of democracy. I think that this sort of fast and immolation should be declared illegal. The country suffers a lot due to these things. It has been decided that a committee to help the Prime Minister would be appointed in this regard. I want that the Haryana Government should also be represented in it.

During the last general election the partiality done by officers, is intolerable. It may even endanger our democracy. The President has also mentioned in his address that :—

"Integrity and impartiality in public life, and in the conduct of the public servants, are the foundations of true democracy."

I also want that the practice of resigning the party after being declared elected from that party should be stopped.

I think it is necessary for making the democracy a success. If you want, you can amend the law in this regard.

श्री आनन्द नारायण मुल्ला (लखनऊ) : सबसे पहले मैं निर्दलीय सदस्यों द्वारा सभा में चर्चा के कार्य में अंशदान के लिये कहूंगा। विभिन्न दलों के कारण उनका महत्व बहुत कम हो गया है। देश को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गुटों से अलग रहने की नीति पर गर्व रहा है। राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया था। यदि देश में घरेलू मामलों पर कोई गुटों से अलग रहने की नीति अपनाता है तो उसकी अवहेलना की जाती है। हम ही विभिन्न दलों में सुलह का साधन प्रदान करते हैं। हम पर ही नई सरकार का बनाना निर्भर है। हम उन गुटों से अलग रहने वाले नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उद्देश्य इस देश में बहुत बड़ा दल बनाना है।

आज नौकरी तथा खाद्य की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। अतः इस सम्बन्ध में हममें कोई मतभेद नहीं होना चाहिये।

जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्बन्ध है उससे हमें कोई विशेष सन्देश नहीं मिला और न ही इसमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी नीति को अपनाने के विषय में ही कहा गया इससे कुछ निराशा हुई है।

पिछले बीस सालों का इतिहास आज कांग्रेस की तीन पीढ़ियों की कहानी कहता है। प्रथम पीढ़ी के लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा और लोगों के प्रति सेवा की भावना से स्वतंत्रता प्राप्त की और जनता ने इस दल को देश में सेवा करने के कारण पसन्द किया। मैं भी इस दल का बहुत प्रशंसक था।

पिछले बीस वर्षों में हमने जनता के कल्याण के लिये योजनाएं आरम्भ कीं। योजनाओं में मूल कमी यह थी कि हम जनता को सब्ज बाग दिखाते रहे और इनमें जो कठिनाइयां थीं या कमियां थीं उन्हें उससे अनभिज्ञ रखा। इससे कहा गया कि यह हमारा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति हम कुछ समय परिश्रम करने के बाद कर लेंगे। इसका परिणाम यह होता है कि हम आज भी त्याग करने के लिये तैयार रहते हैं, हम कल को भी त्याग करने के लिये तैयार हो जाते हैं यह सोचकर कि सम्भव है परसों का दिन हमारे लिये सुनहरा दिन हो। यथार्थ स्थिति यह है कि जनता अब त्याग करने के लिये तैयार नहीं। हम तब से ही परियोजनाएं और इसी प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं और देश का बहुत सा रुपया इसमें रुका पड़ा है और बहुत सा रुपया व्यर्थ खर्च भी हुआ है। इतना करने के बाद भी हमारी कठिनाइयां घटने की बजाय बढ़ रही हैं।

आज किसी भी सरकार को सर्वप्रथम वर्तमान के लिये योजना बनानी चाहिये और उसके बाद ही भविष्य के लिये सोचना चाहिए। जब मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि हम सन् 1971 तक खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे और इसके बाद उनका आयात नहीं किया जायगा तो मैंने एक दम सोचा कि पहले हम सन् 1967 तो पूरा कर लें उसके बाद सन 1971 के बारे में सोचेंगे। क्या आपको पूरी आशा है कि आपकी 1967 की सब योजनाएं सफल हो जायेंगी जबकि अब 1971 की योजनाएं बन रही हैं। अतः अपनी योजना में हमें वर्तमान पर केन्द्रित रहना है और भविष्य के विषय में नहीं सोचना है।

जहां तक देश की स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रश्न है मेरे विचार में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी गम्भीर कमियां और विवरण की कमी रह गयी है। उदाहरणार्थ तो देश की तस्वीर राष्ट्रपति के अभिभाषण में खीची गई है वह देश में वर्तमान तथा आगे होने वाली स्थिति से बिल्कुल भिन्न है।

मेरे विचार से राष्ट्रपति के भाषण का उद्देश्य यही है कि सत्तारूढ़ दल सभा के सदस्यों को देश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं और तब सदन में इस पर चर्चा की जाये और वे सदस्य अपने-अपने सुझाव दें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत से आवश्यक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया इनमें से खाद्य स्थिति मुख्य है। जहां तक अन्न की समस्या का प्रश्न है मेरे विचार से यह इतनी सूखा पड़ने या कमी के कारण नहीं है जितनी की अन्न के दोषपूर्ण वितरण के कारण है। हमें इस दोषपूर्ण वितरण को सबसे पहले नियंत्रित करना चाहिये। यदि इसे नियंत्रित कर लिया गया तो मूल्य रेखा भी नियंत्रित हो सकती है। जब कि मूल्य रेखा स्थिर नहीं रहती तो यहां तक कि देश के ईमानदार नागरिक भी अनाज जमा करते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि आज इसका यह दाम है कल तथा परसों पता नहीं क्या हों। यदि मूल्य रेखा पर नियंत्रण किया गया तो घरों में इस तरह अन्न जमा नहीं किया जायगा। इसलिये मूल्य रेखा को नियंत्रित करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।

दूसरे शब्दों में कानून के असफल हो जाने से ही भ्रष्टाचार तथा अन्य कठिनाइयों का जन्म होता है। अमरीका में एक समय जब अपराध बहुत अधिक बढ़ गये तो वहां एक आयोग जिसका नाम केफौवर आयोग था की नियुक्ति की गई। उसको यह अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते का निरीक्षण कर सकता था। उसकी इस कार्यवाही को टेलीविजन पर दिखाया जाता था। हमें इसी प्रकार के आयोग की आवश्यकता है कि वह जो भी दस्तावेज मांगे उसे फौरन प्राप्त हो जाये और उसमें यह कहने की गुंजाइश न रहे कि यह 'निजी दस्तावेज है, यह निजी लेखा है, यह इसके समक्ष नहीं रखा जा सकता'। यदि राज्य प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति इसी प्रकार के आयोग का गठन चाहते हैं तो मुझे विश्वास है तब हम वास्तव में भ्रष्टाचार को दूर करने की तरफ अग्रसर होंगे।

जनता का सरकार से विश्वास उठ जाने का प्रमुख कारण सरकार का जनता के प्रति पूर्ण रूप से विमुख हो जाना है। यदि आप इस पर वास्तव में जनता की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं तो आप छद्मवेश में सड़कों या शहरों में निकल जायें और स्वयं देखें कि जनता आपके विषय में क्या विचार रखती है और क्या कहती है। तब ही आपको पता लगेगा कि इन निर्वाचनों में आपकी इतने अधिक स्थानों में क्यों पराजय हुई है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज न केवल एक ही राजनीतिक दल की परीक्षा हो रही है वरन् समस्त राजनीतिक दल आज परीक्षा पर हैं और यदि उन्होंने यह संकट जो कि फैलाया है नहीं सुलझाया तो जनता उन्हें कदापि माफ नहीं करेगी। जनता न केवल एक दल अपितु सब दलों से निष्ठा त्याग देगी। अतः सब दलों का यह दायित्व हो जाता है कि वह जनता के संकटों तथा कठिनाइयों का समाधान करें।

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : श्री गोपालन ने अभी बोलते हुए राज्य तथा केन्द्र के सम्बन्ध में उल्लेख किया। संसद में तथा संसद के बाहर भी राज्य और केन्द्र के भविष्य के सम्बन्धों के विषय में धमकी दी जाती है और इन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता है।

आज जिस सबसे महत्वपूर्ण बात पर हमें विचार करना है वह देश की एकता को सुरक्षित रखना है।

इतिहास में पहली बार आज सब राज्य एक हो गये हैं। पहली बार देश में केन्द्र सरकार स्थापित हुई है। पहली बार हम सब एक सरकार के नीचे आये हैं। किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिये अन्यथा हम संकट की ओर अग्रसर हो जायेंगे।

यदि कोई समस्या है तो मुख्य मन्त्री केन्द्र के साथ विचार कर सकते हैं। और इस प्रयोजन के लिये हम समय-समय पर केन्द्र तथा मुख्य मंत्रियों के बीच सभा कर सकते हैं। ताकि यह सब समस्याएं हल हो सकें।

[**श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Bal Raj Madhok in the Chair]

मेरा दूसरा प्रश्न खाद्य समस्या के सम्बन्ध में है। आज देश में खाद्य समस्या बहुत जटिल है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे केवल सरकार ने ही नहीं सुलझाना है वरन् इसे सबको मिलकर सुलझाना चाहिये।

आज किसान की कोई आवाज नहीं है। दुर्भाग्यवश वह अपनी उचित मांगों के लिये भी जोर नहीं दे सकते।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खाद्य की समस्या हमारी प्रमुख समस्या है और हमें इसके सब पहलुओं पर विचार करना है। हमें किसानों को खाद बीज इत्यादि देने चाहिये ताकि उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन मिले। खाद्य और कृषि मंत्री श्री जगजीवनराम ने

पहली बार कहा कि यदि किसानों को कोआपरेटिव सोसायटियों से उधार मिलने की सुविधा नहीं मिल सकती तो हमें बैंकों से उन्हें यह सुविधा प्रदान करने के लिये विचार करना चाहिये ।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है हमें समस्त शिक्षा प्रणाली को बदलना है और नई पीढ़ी के लिये इसमें आवश्यक सुधार करने हैं । योजनाएं बनाते समय हमें नवयुवकों की महत्वाकांक्षाओं पर भी ध्यान देना है । मैं यह सुझाव देता हूं कि युवकों के कल्याण के लिये भी एक मन्त्रालय होना चाहिये ।

दुर्भाग्यवश सभा को राजनैतिक उत्तेजना, चरित्र हनन के लिये प्रयोग किया जा रहा है । दुर्भाग्य से प्रमुख नेताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों की देशभक्ति पर सन्देह किया जा रहा है । मेरे माननीय मित्र सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी के विषय में विस्तार से बोले हैं । इस सम्बन्ध में बहुत से संगठनों के नाम लिये गये हैं । यदि किसी विषय में कुछ गलती है तो उसे सभा के समक्ष अवश्य लाना चाहिये । यदि हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है जिससे देश का अहित हो तो इस सभा को यह अधिकार है कि वह एक समिति नियुक्त करे और उसे उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो देश का अहित कर रहे हैं, कार्यवाही करने का अधिकार दे ।

मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने, इस चर्चा के दौरान बहुत से संगठनों के नाम लिये हैं । क्या हम सर्वश्री एच०वी० कामथ, रामसेवक यादव, अटलबिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, बी० पी० मौर्य जैसे व्यक्तियों की वफादारी तथा देशभक्ति पर सन्देह कर सकते हैं ?

इन सभी व्यक्तियों ने किसी न किसी संगठन द्वारा आयोजित किये जाने पर, शिक्षा या परियोजनाओं के सम्बन्ध में विदेशों का दौरा किया है । क्या हम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गये, इन सबसे इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं ? कभी नहीं, क्योंकि उनकी वफादारी, और देशभक्ति पर सन्देह नहीं किया जा सकता ।

यह कहा गया है कि जिन व्यक्तियों ने इस संस्था से धन लिया है वे देशभक्त नहीं हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि एशिया प्रतिष्ठान को इस देश में स्थापित करने वाले श्री वी० के० कृष्णमेनन थे । उनके अपनी संस्था जिसका नाम इंडियन सोसायटी ऑफ इन्टरनेशनल लॉ है, ने 1,20,000 डालर इस संस्था से प्राप्त किया है । परन्तु क्या कोई श्री मेनन की देशभक्ति पर संदेह कर सकता है ?

ऐसे ही लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार हुकमसिंह का नाम संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था के साथ जुड़ा हुआ है । यह संस्था भी एशिया प्रतिष्ठान से धन प्राप्त कर रही है । परन्तु क्या कोई सरदार हुकमसिंह की देशभक्ति पर संदेह कर सकता है ? इसके बाद श्री जयप्रकाश नारायण का वाराणसी स्थित गांधियन अध्ययन की संस्था से सम्बन्ध है और इस संस्था ने भी एशिया प्रतिष्ठान से बड़ा धन प्राप्त किया है । क्या श्री जयप्रकाश नारायण की देशभक्ति पर संदेह किया जा सकता है ?

मैंने यह सब इसलिए कहा कि कुछ व्यक्तियों का राजनीतिक चरित्र हनन किया गया है। हमें यह नहीं करना चाहिये। इस देश को हमें ही बनाना है, किसी अमरीकन अथवा रूसी को नहीं। भारतीय होने के नाते हमें मिलकर कार्य करना है।

श्री क० कृ० नायर (बहराइच) : सबसे पहले तो मैं अपने मित्र महोदय श्री मुल्ला जो कि लखनऊ से आये हैं, की इस बात को गलत कहूंगा कि लोकतन्त्र में दलों के सदस्यों की अपेक्षा निर्दलीय सदस्य अधिक योगदान दे सकते हैं। मुझे यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती क्योंकि निर्दलीय सदस्य किसी अनुशासन के पाबन्द नहीं होते। अधिक निर्दलीय सदस्यों के कारण ही राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है।

हमारे देश के औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है। इसका कारण यह है कि हम अपने साधनों को ठीक प्रकार से नहीं जुटा सके। सरकार इस समस्या को तीन प्रकार से हल कर रही है। एक तो अधिक अन्न उत्पन्न करके, दूसरे जनसंख्या पर नियन्त्रण करके और तीसरे अपने उद्योग को बढ़ा के।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक पुस्तिका जिसका नाम 'इंडिया पाकेट बुक आफ इकानामिक इन्फारमेशन' है, में हमारे देश के निर्यात तथा आयात के बारे में लिखा है। हमने 4,210 लाख रु० की लागत का कच्चा लोहा निर्यात किया और उससे 12 गुना अधिक मूल्य का लोहे का सामान आयात किया। इसका कारण यह है कि हम अपने कच्चे लोहे का सामान नहीं बना सके। इसका क्या कारण है ? जहां तक बिजली का सम्बन्ध है वह हम बड़े सस्ते दामों पर अपने सरकारी क्षेत्र के कारखानों को दे रहे हैं। जहां तक प्रशिक्षित व्यक्तियों का सम्बन्ध है वे हमारे देश में अमरीका तथा रूस को छोड़कर सबसे अधिक हैं। हमारे वैज्ञानिक दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

जब देश पर आपात स्थिति आई तो हमारे देश में वैज्ञानिकों की भर्ती बन्द कर दी गई।

अपने ही देश में उर्वरक उत्पन्न करने को हमारे वैज्ञानिक तैयार हैं परन्तु हम विदेशी कम्पनियों पर इसके लिए निर्भर हैं और अपनी शर्तें लगा रहे हैं। आज हमारी स्थिति यह है कि हम अपनी दिन प्रति दिन की आवश्यक वस्तुओं के बनाने के लिए भी विदेशी कम्पनियों पर निर्भर हैं।

विदेशी सहयोग के बारे में मुझे दक्षिण अमरीका के एक देश का पता है कि वह देश एक विदेशी कम्पनी से सहयोग प्राप्त करने लगा। वह कम्पनी 300 वर्ष तक खूब लाभ कमाती रही परन्तु वह देश आज भी उस कम्पनी का ऋणी है। क्या हमें भी ऐसा ही करना है ?

विदेशी तकनीकी जानकारी रूस और जापान ने भी खरीदी है। फिर हम भी ऐसा ही क्यों न करें ?

विदेशी नौवहन कम्पनियां किराये के बारे में मनमानी करती हैं। इसका कारण हमारी वर्तमान नीति है।

विशाखापत्तनम शिपयार्ड पर बहुत धन व्यय करना पड़ रहा है । सरकार प्रत्येक जहाज पर 40 प्रतिशत व्यय सहायता के रूप में देती है । नौवहन के बारे में हमारी ऐसी स्थिति रह गई है ।

हमारे देश की समुद्री सीमा 3000 मील है । इससे हमारे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है । हम संसार की बहुत बड़ी समुद्री शक्ति बन सकते हैं । हम जापान का भी अभी मुकाबला नहीं कर सकते ।

Shri Amrit Nahata (Barmer): Mr. Speaker, I belong to the largest constituency which comprises 50 thousand square miles. It has its border with Pakistan extending to 350 miles.

I want the Prime Minister to visit my constituency. About 60 per cent of the cattle are dying there. The condition of people is still worse. They live on the grass and cover of trees. There is no drinking water. Some tube wells have been installed but they are not in working condition.

Reverting back to the condition of animals I have to say that the police does not permit them to graze near the border where there is some grass. Only cattle of those people are permitted to graze near the border who bribes the police. So the camels, cows and goats are dying there in large numbers. I find some people feel agitated over the question of cow. Now I invite them to do something for the protection of cow in my areas. But I know that they want to capitalise only in the name of cow.

The other day Hon. Minister was saying that 40 per cent of the land has been brought under cultivation. The general principle in a country should be that only 30 per cent. should be put under plough, 30 per cent. should be set apart for forest and 30 per cent. for grazing. In Rajasthan's areas of Udaipur, Banswada and Chittorgarh large areas have been cleared of forests and due to that there are lesser rains. This cutting down of trees in the forests should be stopped. There are large areas in Rajasthan where people can be rehabilitated and by taking to agriculture they can feed about 30 crores of people.

We talk about fertilizers. But if water is provided for irrigation, we can improve agriculture much. For that a scheme has been received from Israel according to which water can be passed through cemented pipe-line.

There is much talk about family planning. Some professor, Sharma of Bombay has advocated reviving the custom of "Sati" and "strangulation" of daughters at the time of their birth. After all where are we going in the name of family planning? We will have to stop somewhere.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं इस सभा में पहली बार बोल रहा हूं, अत: मैं इस समय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है ।

आज हमारे देश में एक प्रकार से भिखारियों की सी मनोवृत्ति हो गई है । राष्ट्रपति जी

ने 26 जनवरी को तो बहुत अच्छा भाषण दिया था परन्तु इस अभिभाषण में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। इस संदर्भ में मैं अपनी खान अब्दुल गफ्फार खां से जलालाबाद, अफगानिस्तान में हुई भेंट का जिक्र करना चाहता हूं। बादशाह खां अब भी हमें राष्ट्रीय उद्देश्यों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। परन्तु हमें कुछ ऐसी आदत पड़ गई है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं ताकि कोई परिवर्तन न होने पाये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में संतोष व्यक्त किया गया है। इसका कारण शायद यह है कि गलत सूचनाएं दी गई हैं। शायद विदेश मंत्री ने हमें पखतूनिस्तान के प्रश्न पर गलत सूचना दी है। यह भी कहा गया है खान अब्दुल गफ्फार खां एक वृद्ध व्यक्ति हैं तथा उनका कार्य समाप्त हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि वह स्वस्थ हैं तथा वह लोकमान्य तिलक और अन्य नेताओं की भांति राजनीतिक नवीकरण करना चाहते हैं। बादशाह खां जिससे भी मिलते हैं कहते हैं कि "आपने हमें भेड़ियों के पास फेंक दिया है।" गांधी जी के सचिव, श्री प्यारेलाल ने भी अपनी पुस्तक "भेड़ियों के पास फेंक दिये" में इसकी पुष्टि की है।

जिनके हाथ में हमारे देश की बागडोर है वह नैतिकता तथा धार्मिक बातों की ओर ध्यान दिलाते हैं। मेरा कहना यह है कि नैतिकता का प्रचार वे सन्यासियों पर छोड़ सकते हैं। हमें तो राजनीतिक कर्तव्यों की ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक पखतूनिस्तान का सम्बन्ध है, यह खोया हुआ प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न में रूस, अमरीका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अफगानिस्तान की भी रुचि है। जहां तक अफगानिस्तान के प्रधान मंत्रियों का सम्बन्ध है, जो भी आया है उसने पखतूनिस्तान के प्रश्न को संसार के सामने लाने का प्रयत्न किया है।

वैसे मैं स्वयं संसार में शान्ति की नीति का समर्थक हूं। परन्तु यह बता देना चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान को यह बता देना चाहिए कि उसकी गलत प्रचार की नीति एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दी जायेगी। एक ओर तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम का अनुचित लाभ उठाता है और दूसरी ओर पठानों को बड़ी संख्या में समाप्त कर रहा है।

हमें संसार के उन देशों के साथ बात करनी चाहिए जो नई शक्ति के केन्द्र बनते जा रहे हैं। हमें राष्ट्रमंडल के देशों पर ही केन्द्रित नहीं रहना चाहिए। क्या हम राष्ट्रपति दि गाल को भारत आने का निमन्त्रण नहीं दे सकते ? ऐसा करने से हम योरोप के देशों में अपने आपको एक नई दृष्टि में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे ही हमें चीन से तिब्बती लोगों के अधिकारों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। रूस के साथ भी हमें साँस्कृतिक मामलों की बात करनी चाहिए। फिर हमें चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूमानिया तथा बलगेरिया से भी द्वि-राष्ट्रीय कूटनीति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार की कूटनीति हमें लेटिन-अमरीका से स्थापित करनी चाहिए। इसके पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन की जो भावना हमें लोकमान्य तिलक ने सिखाई वही होनी चाहिए। साथ ही हमें लाला लाजपतराय की "खतरनाक ढंग से सोचने" की जो बात भारत के नवयुवकों को कही, याद रखनी चाहिए।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे भाषण देने का अवसर दिया है । सबसे पहले मैं आपको इस पद पर आने के लिये बधाई देता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिस पर कोई कांग्रेसी अथवा प्रतिपक्षी आपत्ति उठाये । इसमें उन्हीं बातों का निरूपण किया गया है जिन्हें इन सारे वर्षों से माना गया है ।

सामान्य निर्वाचन से हमारे सामने एक दूसरी ही आकृति उपस्थित हुई है । स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात यह पहला अवसर है जबकि लगभग आधे राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी हैं । जनता की इस भावना को हमें भलीभांति समझ लेना चाहिये । हम कहते बहुत अधिक हैं, परन्तु करते हैं बहुत कम । अब हमें अपने में साहस, त्याग और राष्ट्रीयता की भावना को संजो लेना चाहिये । इस स्वार्थरहित भावना से काम करने पर ही जनता में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है । अच्छे से अच्छा भाषण भी लोगों की भूख को शान्त न कर सकेगा । हम लोगों को ठोस काम चाहिए, केवल भाषण नहीं । हमें एक सैनिक जैसे उत्साह से काम करना है, क्षेत्र चाहे राष्ट्रीय हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय । हमें साहस से काम करना है, उस साहस से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें दिया था । आज हममें उस साहस की कमी होती जा रही है ।

इसी साहस की कमी के कारण हमने अवमूल्यन को अपना लिया । यदि साहस से काम लेते और सम्पूर्ण राष्ट्र मिलकर भार को उठाता तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती । इस विवेकहीन निर्णय से कोई लाभ न हुआ । अवमूल्यन के बावजूद मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती रही, निर्यात घटता गया उद्योग में स्थिरता आ गई और आगे होने वाला विकास रुक गया । यह तो अर्थशास्त्र का एक प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि मुद्रा के मूल्य में कमी करने से निर्यात स्वतः ही नहीं बढ़ जाता है, बल्कि इससे निर्यात घटता ही है जैसा कि हमारे यहां 1870 में हुआ था । यदि थोड़े से साहस से काम लिया जाता तो अवमूल्यन की नौबत न आती । यदि किसी एक बात ने सामान्य निर्वाचन को प्रभावित किया है, तो वह है अवमूल्यन ।

राष्ट्रपति महोदय ने इस बात पर भी बल दिया है कि मूल्यों में वृद्धि को रोका जाय, खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाये और एक आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था को बनाया जाय, ताकि हमें विदेशों से आने वाली मदद पर बहुत हद तक निर्भर न होना पड़े । वस्तुतः हम नहीं चाहते कि एक लम्बे समय तक हम भिखारियों के समान दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाते रहें । हमारे देश को अपने ही संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए, इस देश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये ।

मुझे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि यदि हम साहस से और त्याग की भावना से काम करें तो देश की सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है । देश के खाद्य संकट को आसानी से पार किया जा सकता है । यह तभी सम्भव है जब हम साहसी बनें और डर को बिल्कुल त्याग दें । इससे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने दो स्थायी समस्याएं हैं, एक चीन की और दूसरी

पाकिस्तान की। हमारा यह स्वभाव बन गया है कि हम भावावेश में नये दोस्तों पर बहुत शीघ्र विश्वास करने लगते हैं। एक दिन वह था, जब हम चीन को अपना पक्का दोस्त मानते थे और प्रत्येक चीनी अतिथि का एक राजा जैसा स्वागत किया जाता था। बाद में उसी चीन ने अपनी मित्रता हमारे ऊपर 1962 में आक्रमण करके प्रदर्शित की। पहले तो हम उस आक्रमण के समय कुछ भी न कर पाये परन्तु बाद में देश का प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चा मौके के अनुरूप सामने आया। देश की एकता सामने आई। जब भी देश के सामने कोई खतरा आता है यह देश एक हो जाता है। ऐसा ही 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय हुआ।

अब वह समय आ गया है जबकि हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर फिर से विचार करना चाहिये। अब हमें अपनी विदेश नीति को मजबूती से बनाना होगा। तटस्थता की नीति प्रारम्भ में बड़ी अच्छी थी, परन्तु इसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेना चाहिये। हमें अपनी नीतियों में इस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिये जिससे हमारी प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय एकता और प्रभुसत्ता ज्यों की त्यों बनी रहे।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में उन राज्यों का भी जिक्र किया है जहा गैर-कांग्रेसी सरकारें काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे संविधान में ऐसे उपबन्ध विद्यमान हैं जिनके आधार पर राज्यों और केन्द्र के बीच सम्बन्ध सुचारु रूप से बने रहेंगे। मुझे संविधान में अत्यधिक विश्वास है। संविधान ही एक ऐसा मन्दिर है जहां हम सब एक साथ पूजा कर सकते हैं। हमें संविधान का शब्दशः तथा उसकी भावना के अनुरूप अनुसरण करना चाहिये। तभी हमारा संविधान सजीव रह सकेगा।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : यदि राष्ट्रपति का भाषण इतना अच्छा होता है जैसा उन्होंने 25 जनवरी को दिया था, तो मैं उन्हें अवश्य बधाई देता। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि भाषण पढ़ा उन्होंने, परन्तु वह तैयार किया गया था उन अधिकारियों द्वारा जिनमें ये तीन विशेषताएं होती हैं— मिथ्यावादिता, मूढ़ता तथा मामूली योग्यता। यदि इस भाषण में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, जिससे हमारा उत्साह बढ़े।

मैं इस अवसर पर सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं कि सामान्य निर्वाचन में उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमत्ता एवं परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बार विभिन्न दलों, उनके सिद्धांत और व्यक्तित्वों में अन्तर किया है। यही नहीं पूरे विश्व में इस बात की प्रशंसा की जा रही है। इस सामान्य निर्वाचन में राजनीतिक दलों की विजय हुई है बल्कि जनता ने उन पर विजय प्राप्त की है। राजनीतिक दल अपने रास्ते से भटक गये थे, अब जनता ने उन्हें एकता का रास्ता दिखा दिया है।

पिछले छै सप्ताह में जो कुछ हुआ है वह अभूतपूर्व है। भारतीय लोग भ्रष्टाचार को नहीं चाहते। यह सरकार भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकी है और खाद्य समस्या को हल करने में भी सफल नहीं हुई है। इस पर सबसे बड़ी भूल यह की कि रुपये का मूल्य घटा दिया। ये तीन कारण ही कांग्रेस की इतनी बुरी हार के लिये जिम्मेदार हैं।

मैंने इस आम चुनाव के कुछ राजनीतिक अनुमान लगाये थे और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता ने उन सबको पूरा किया है। केवल मेरा यह पूर्वानुमान कि 1968 में केन्द्रीय बजट कांग्रेस सरकार द्वारा पेश नहीं किया जायेगा अभी पूरा होना बाकी है। मेरा विचार है कि ऐसा समय भी आयेगा जब मेरा यह अनुमान भी ठीक उतरेगा। जिस तरह से संयुक्त दल हर जगह बन गये हैं उससे परस्पर ताल-मेल और सहयोग की नई सम्भावनाओं को प्रोत्साहन मिला है, और पुरानी और सामान्य समस्याओं को हल करने का यह नया दृष्टिकोण केन्द्र के लिये भी लागू होगा और भारत को सरकार को बदलने का अवसर प्रदान करेगा ताकि लोगों की ठीक तरह से सेवा की जा सके।

इस सरकार की नीति की तीन विशेषताएं हैं––मिथ्या भाषण करना, अव्यवस्थित ढंग से काम करना और अनिश्चितता की स्थिति में रहना। सरकार आन्तरिक तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के मामलों के बारे में झूठ बोलती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमने ही सबसे पहले प्रत्येक देश को यह सलाह दी थी कि प्रत्येक राजनैतिक समस्या को शुद्ध राजनैतिक तरीकों से ही हल किया जाना चाहिये। परन्तु जब कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका प्रभाव हमारे हितों पर पड़ता हो, तो हम ही सबसे पहले यह कहते हैं कि हमारे मामले में किसी को दखल नहीं देना चाहिये। जहां तक हमारे आन्तरिक मामलों का सम्बन्ध है हम सादे जीवन की बातें करते हैं परन्तु हम राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ठाठ-बाट पाते हैं। हमारे उत्सवों में आज भी बहुत सा भोजन बड़े-बड़े अतिथियों के सामने ही बर्बाद किया जाता है।

उर्दू के समर्थन में कांग्रेस सबसे ज्यादा शोर मचाती रही परन्तु जब उसे व्यवहार में लाने का प्रश्न आया तो कांग्रेस दल ही सबसे अधिक डरपोक पाया गया।

खाद्य समस्या सरकार द्वारा अव्यवस्थित ढंग से काम करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अलग-अलग प्रकाशित किये गये आंकड़ों में भारी अन्तर पाया जाता है।

सरकार को स्पष्ट रूप से हमें यह बताना चाहिए कि क्या देश में वास्तव में अन्न की कमी है। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर, जिसके अनुसार किसी भी देश में अनाज की आवश्यकता कुल आबादी के 0.8 प्रतिशत के लिये होती है, हिसाब लगाएं तो हमें 50 करोड़ की आबादी के आधार पर 40 करोड़ लोगों के लिये अनाज चाहिए क्योंकि 50 करोड़ की आबादी में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 150 किलोग्राम अनाज दें, जो कि एक व्यक्ति के लिए काफी ठीक मात्रा है, तो हमें कुल 600 लाख टन भोजन की आवश्यकता होगी। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार देश में 720 लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ है और हमारी आवश्यकता 600 लाख टन अनाज की है। तो फिर अनाज की कमी होने का क्या कारण है ?

खाद्य समस्या को हल करने के लिये हमें ठोस उपाय करने होंगे। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सभी आवश्यक सामग्री उचित समय पर दी जानी चाहिए। सबसे

अधिक आवश्यकता तो इस बात की है कि किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। जितना पैसा अनाज के आयात पर खर्च किया जाता है यदि उसका एक हिस्सा भी मूल्य समर्थन के रूप में किसानों को दिया जाए, तो उन्हें अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

हमें कानून द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करना चाहिए। हमें उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा राज्य के प्रतिनिधियों की ऐसी समितियां बनानी चाहिएं, जिन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। हमें कानून के अन्तर्गत एक स्थाई आयोग भी नियुक्त करना चाहिए, जो समय-समय पर मूल्य निर्धारित करे, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

भूमि लगान व्यवस्था के मामले में एक प्रकार का नया दृष्टिकोण होना चाहिए। वर्तमान लगान व्यवस्था के स्थान पर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अधीन कृषि-आयकर लगाया जाए जिसका सम्बन्ध किसान की आय से हो या लगान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत किसान द्वारा बोई जाने वाली फसल और उसके द्वारा दिए जाने वाले कर में कोई सम्बन्ध हो। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत किसान के साथ भेदभाव होता है। कृषि से अन्य काम करने वाले लोगों को 300 रुपए मासिक या इससे अधिक आय पर ही कर देना पड़ता है जबकि किसान को 300 रुपए से कम आय पर भी लगान देना पड़ता है। जब कोई अन्य नागरिक उतनी ही आय पर कोई प्रत्यक्ष कर नहीं देता है तो किसान को ही यह प्रत्यक्ष कर क्यों देना चाहिए।

अनाज की वसूली तथा भंडार व्यवस्था की समस्याओं पर भी यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिए। भंडारों में जो नुकसान होता है उसे रोका जाना चाहिए। हमें भंडार रखने की समस्या को ऐसी खत्तियां (साइलो) बना कर जिसमें वायु प्रवेश न कर सके और अन्य आधुनिक तरीकों को अपनाकर हल करना चाहिये। वसूली के सम्बन्ध में भी हमें अधिक कल्पनाशील नीति अपनानी चाहिए। नए खाद्य मंत्री ने यह कहा है कि विभिन्न प्रकार के कृषि-उत्पादों की उत्पादन लागत का सर्वेक्षण किया जायेगा और उत्पादन लागत के अनुसार मूल्य निर्धारित किए जायेंगे। यह एक वास्तविक दृष्टिकोण है। और मुझे आशा है कि सरकार इस पर अमल करेगी।

संघीय सिद्धांत राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं पर लागू किया जाना चाहिए। अमरीका में संघीय संविधान सफल रहा है। भारत में भी संघीय ढांचा सफल होना चाहिए। यदि केन्द्र ने राज्यों के अधिकारों को मान्यता दी और राज्यों को कार्य करने दिया तो निस्सन्देह राज्य भी सामान्य राष्ट्रीय हित के सभी मामलों में सहयोग देंगे। और इस तरह मिलजुल कर हम अपने राष्ट्रपति की कल्पना के भारत का निर्माण कर सकेंगे।

श्री ब्रह्म प्रकाश (बाह्य दिल्ली) : आम चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि एक युग समाप्त हुआ है और एक नया युग आरम्भ हुआ है। इस सामान्य निर्वाचन के साथ गाँधी और नेहरू युग का अन्त हो गया है और साधारण व्यक्ति के युग का श्रीगणेश हुआ है। हमारे मतदाताओं ने, जो वास्तव में हमारे मालिक हैं, हमें जो संकेत दिए हैं उनपर हमें ध्यान देना चाहिए और तदनुसार अपनी नीतियां बनानी चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इन चुनावों से कोई सबक नहीं सीखा। जिस ढंग से सरकार बनाई गई है, जिस ढंग से खाद्य नीति निश्चित की गई है, जिस ढंग से विशेष रूप से राजस्थान का प्रश्न निपटाया गया है और जिस गलत ढंग से हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न को हल किया है इन सब बातों से प्रतीत होता है कि हम अब भी पुराने मार्ग पर ही चल रहे हैं।

सरकार को अपनी नीतियों में मौलिक परिवर्तन करने चाहिए और प्रगतिशील नीतियों का अनुसरण करना चाहिये। योजना आयोग का फिर से गठन किया जाए। भ्रष्ट व्यक्तियों और चोर बाजारी करने वालों तथा कर-अपवंचकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। हमें कृषि के क्षेत्र में ठोस तथा भावनात्मक कदम उठाने चाहिए और किसानों के लिये जल, खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिये और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये। हमें खाद्यान्न तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। धन के जमाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और व्यय तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। समाज के निर्धन वर्गों के लिये कुछ धनराशि रखी जाये और एक कार्यक्रम बनाया जाए।

चुनावों में विभिन्न दलों ने बल प्रयोग, वोटों की खरीद, चरित्र हनन, शराब का मुफ्त वितरण और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग आदि का सहारा लिया है। दिल्ली में चुनावों में काफी रुपया खर्च किया गया। यह धन भारत या विदेशों के निहित वर्गों से अवश्य ही आया होगा। चुनावों में जो भ्रष्ट प्रथाएं अपनाई गई हैं उनके बारे में जांच करने के लिए एक अखिल भारतीय आयोग नियुक्त किया जाये।

राज्यों के पुनर्गठन के मामले में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं किया गया है। समय आ गया है कि हम वर्तमान हरियाणा राज्य, राजस्थान के चार जिलों अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को मिला कर विशाल हरियाणा या बृहत्तर दिल्ली बनाएं। ऐसे राज्य के गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

भारत सरकार ने दिल्ली की समस्याओं की उपेक्षा की है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन का शासन और उनकी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त है। भारत सरकार दिल्ली के लोगों को आयकर राशि में से उनका हिस्सा नहीं देती। जब तक नया राज्य बनाने का प्रश्न हल नहीं होता तब तक दिल्ली के लिये लोकतंत्री और उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri S. M. Joshi (Poona): As a result of the recent elections non-Congress Governments have been established in more than half of the States in India. The people have shown a great sense of far-sightedness in the elections and have taught a lesson to the political parties in our country. They had been waiting for a united opposition to emerge. When this did not

happen they have made the opposition parties in certain States to unite and form alternative Governments. The Centre should have realised the changed situation. It should have felt the pulse of the people and helped the formation of people's Government in Rajasthan. But on the contrary Government tried to crush the ambitions of the people there. It is something very surprising that police firing on a single day was regarded by the Government as a bad law and order situation and President's rule was imposed on the people of Rajasthan. There have been police firings in many States, but the Government did not impose President's rule there. The Government should show courage and admit its mistake in regard to Rajasthan. President's rule should be replaced by a democratic Government there without any delay.

The Government do not accept constructive and reasonable suggestions put forward by the opposition unless ugly scenes are created here and they are forced to bow to pressure. The use of regional languages had to be forced in the House. It should be realised that the use of regional languages is necessary for the emergence of a link language.

In several States non-Congress Governments have been formed after the recent General Elections. In this changed political situation, the question of relationship between the States and the Centre has assumed special importance. This question has to be considered. It is a test for the Congress Party to work out the federal structure provided for in the constitution. The opposition parties are also on test.

When the question of drinking water supply for the city of Bombay was raised by Shri Nath Pai, Shri Morarji Desai said that the financial position of Maharashtra State was better than that of the Centre. If he cares to recollect the facts placed before the Finance Commission —when he happened to be the Chief Minister of that State—he will come to know of the financial position of that State. It indicates that irresponsible statements are made here. The problem of water supply for the city of Bombay is so acute that assistance is going to be provided by other countries. When the water supply position is so acute there, the centre should not hesitate in helping the State Government in this matter.

Sir, it will not be out of place to make a suggestion here. It is necessary in the interest of the country and the political parties as well to unitedly think over the fundamental and most pressing problems facing the country today and evolve some effective policy-programme to solve them as also to tide over the crises in various walks of the nation's life.

It is a matter of regret that the Government have not carried out its assurance to provide alternative jobs to the retrenched employees, particularly in Defence departments. The Government should absorb them in other departments.

In the end, I want to say that Goa has been liberated but its two valiant freedom fighters and great patriots, namely Shri Mohan Ranaday and Dr. Maskrenhas are still behind the bars in Portugal and they have been sentenced to 26 year's imprisonment. I, earnestly appeal to the Prime Minister to take up this matter with U. Thant who is visiting India in near future and take vigorous efforts to get them released soon.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla): Sir, this is my maiden speech in this August House. I am very grateful to you for the opportunity you gave me to speak. The fourth General elections have been conducted very successfully. The Government deserved congratulations for conducting them freely, fairly and impartially in the country. The people also behaved in a commendable manner.

The challenge before us all is how to fulfill the aspirations of the people. We should accept the challenge. If we failed to solve the various problems faced by the people today, the future of the country would be dark and History will indict us for our failure to deal these problems and posterity will also not forgive us. We should look at all the problems from the national point of view.

The Prime Minister has done well by offering cooperation to the non-Congress State Governments. This is, no doubt, a most commendable step on her part. These State Governments should also cooperate with the centre. Now the opposition parties have not to remain content with criticising the Government. They have to solve the problems faced by the people in the States where they have formed Governments.

Today the country is facing a grave food crisis. But adequate attention is not being paid towards the needs of farmers. The agriculturists do not get various imputs in time. There are, no doubt, a number of Agricultural Institutions in the country today, but the agriculture suffers due to lack of coordination between them. It is necessary to take adequate steps to see that the needs of the farmer are fulfilled in time.

No doubt, we have benifitted by our plans and these have taken the country ahead, however, they have created wide disparities between the rich and the poor. Wherever we go, we find this disparity on a large scale. Our plans are responsible for this state of affairs and they have allowed these wide disparities to creep in in the various spheres in the country. I am not opposed to these plans, but what I suggest is the Government should try to evolve an effective policy with regard to these plans that could help to remove these disparities steadily.

As regards foreign assistance, it is well known that nobody ean expect foreign aid without strings. It is, therefore, essential to stand on our own legs and become self-reliant.

So far as taxation is concerned, the people are already bearing the burden of a number of direct and indirect taxes. After all, there is a limit to the capacity of the poor to bear the burden of taxes. It is not proper and justified to ask the poor to bear more burden. We should try to cut down administrative expenditure. There is a need to abolish certain organisations or institutions like Social Welfare Board, Bharat Sewak Samaj etc. which have been set up to introduce and execute schemes in the name of social welfare.

Planning Commission on which a huge amount of expenditure is being incurred should be abolished; it is a body which is enjoying vast powers without any specific and substantial duty to discharge. A cabinet sub-committee should perform its functions. Power and responsibility must go together.

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : अध्यक्ष महोदय, मैं डी० ए० के० की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जनता में कोई आशा नहीं बंधी है, यद्यपि उसमें कई आश्वासन दिये गये हैं और कई योजनाओं की चर्चा की गई है, तथापि जनता को उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जिससे उसे भविष्य में उत्साह मिलता रहे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में करोड़ों गरीब तथा श्रमिकों की हालत दयनीय है और उनकी स्थिति दिन

प्रति दिन और बिगड़ती जा रही है। खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं और अत्यावश्यक वस्तुओं को खरीदना उनके वश की बात नहीं रह गई है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है, योजनाओं की क्रियान्विति तथा उससे प्राप्त सफलता के पिछले इतिहास को दृष्टि में रखते हुये यह कहना कठिन है कि हमें भविष्य में आशानुकूल सफलता प्राप्त होगी क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिये गम्भीर रूप से कोई प्रयत्न नहीं किया जाता और कागजी कार्यवाहियों का ज्यादा बोलबाला है। देश में आज अकाल की स्थिति बनी हुई है जो चिन्ता का विषय है इसलिये देश की भूखी जनता का पेट भरने के लिये सरकार को कारगर तथा उपयुक्त कदम उठाने चाहिये। कागजी कामकाज करने की अपेक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्विति पर ज्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिये।

यह खेद का विषय है कि राष्ट्रपति के इस आश्वासन के बावजूद कि संघ की राज-भाषा के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को कानूनी मान्यता देने के लिये शीघ्र ही संसद में विधान पुरःस्थापित किया जायेगा, सरकार ने अभी तक इस आश्वासन की क्रियान्विति नहीं की है और गैर-हिन्दी भाषा जनता को आवश्यक तथा स्थाई संरक्षण देने के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन नहीं किया है। संविधान में संशोधन शीघ्र किया जाना चाहिये जिससे लोगों को अपनी भाषा की सुरक्षा के सम्बन्ध में आश्वासन मिल सके।

नौकरियों में गैर-हिन्दी जनता को सरकारी खर्च पर हिन्दी सीखने के लिये बाध्य करने के हेतु गृह-कार्य मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एक परिपत्र जारी किया है। इस प्रकार नौकरियों में हिन्दी न जानने वाले लोगों पर हिन्दी थोपी जा रही है और इस काम पर होने वाले खर्च की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जब कि देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय की व्यवस्था है किन्तु सामाजिक न्याय की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि किसी एक वर्ग के लोगों की भाषा को दूसरे वर्ग के लोगों की भाषा के समान दर्जा न दिया जाये और ऐसा न किये जाने पर लोगों को उस हद तक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय से भी वंचित रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार को सरकारी काम-काज के लिये देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिये न कि किसी एक विशेष भाषा का प्रयोग। अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोंगों के साथ एक-सा व्यवहार किया जाना चाहिये और उन्हें समान अवसर मिलने चाहिये।

मैं एकता के विरुद्ध नहीं हूं, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि विभिन्नता में एकता हरएक तथा सभी की भलाई के लिये होती है। प्रमुक (डी० एम० के०) दल ने द्रविड़स्थान की मांग छोड़ दी है और अब हम एकता, प्रतिष्ठा तथा सर्वप्रभुत्व सम्पन्नता की रक्षा करने के लिये सभा के सभी सदस्यों के साथ हैं। परन्तु जनता के एक वर्ग के साथ वरीय व्यवहार करके एकता को खतरा पहुंचता है। जनता के केवल एक वर्ग के लोगों को देश के अन्य सभी लोगों पर हकूमत करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय का गला तो घुटता ही है साथ ही साथ फूट डालने वाले तथा भेद-भाव पूर्ण विचार भी पैदा होते हैं और मत-भेद बढ़ता

है जिससे राष्ट्र की एकता को तथा एकता की भावना को भारी चोट पहुचती है और आपसी द्वेष तथा फूट का साम्राज्य फैलता है ।

लोकतंत्रीय समाज तभी महान तथा निष्पक्ष होता है जब इसका गठन करने वाले महानुभाव महान और निष्पक्ष होते हैं । इस प्रयोजन के लिये राज्य विधान मंडलों और राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां दी जायें ताकि वे जनता के कल्याण के हित में प्रशासन चला सकें । राज्यों को पूरी स्वायत्तता दी जानी चाहिये किन्तु उसका ढंग ऐसा होना चाहिये जिससे कि राष्ट्र की एकता तथा देश की सर्वप्रभुत्व सम्पन्नता को किसी तरह आघात न पहुंचे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री के० जी० देशमुख (अमरावती) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हम खाद्यान्नों के मामले में वर्ष 1971 तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे । सरकार पिछले 10-15 वर्षों से ऐसा कहती चली आ रही है, किन्तु इस समस्या को हल करने के लिये राज्यों ने कोई कार्यवाही नहीं की है । देश के खाद्यान्न के विषय में आत्म-निर्भर न हो सकने के, मेरी राय में, यह कारण हैं कि इस समस्या को युद्ध-स्तर पर हल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । इस समस्या का हल केवल तभी हो सकता है जबकि इसे हल करने के लिये युद्ध-स्तर पर कार्यवाही की जाये । इस कार्य के लिये एक कृषि कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये और नई कृषि-नीति बनाई जानी चाहिये । इस दिशा में सर्वप्रथम पग यह होना चाहिये कि किसानों को सरकार द्वारा निम्नतम मूल्यों की गारंटी दी जाये । इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पग उठाये हैं और उसे कुछ हद तक यथेष्ट सफलता मिली है । इसलिये मेरा सर्वप्रथम सुझाव यह है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को कम से कम चावल तथा गेहूं जैसे मुख्य खाद्यान्नों के निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न अपने हाथ में लेना चाहिये ।

किसानों की यह शिकायत है कि सरकार हमसे अधिक अनाज उगाने की सदैव अपील करती है और हम ऐसा करते हैं, किन्तु जब बरसात आती है तो हमें उर्वरक, तकाबी ऋण, पम्प सेट आदि ठीक समय पर नहीं दिये जाते । उर्वरकों के बिना कृषि उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है अतः सरकार को किसानों को ठीक समय पर खाद दिलाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । हमारी जमीन 100 वर्ष से अधिक पुरानी हो गयी है और उसकी उर्वरता कम हो चुकी है, किसानों की आवश्यकताओं की ओर सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाना जरूरी है अन्यथा खेती की उपज को बढ़ाना संभव नहीं है । किसानों को समय पर अच्छे बीज दिये जाने चाहिये । तकावी ऋण भी उचित समय पर दिये जाने चाहिये ।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल जब तैयार होने लगती है तो उस पर किसी न किसी किस्म की बीमारी लग जाती है जिसके परिणामस्वरूप सारी फसल नष्ट हो जाती है । इसलिये किसानों को उचित समय पर कीटनाशक दवाइयां बड़े पैमाने पर दी जानी चाहिये, इन दवाइयों को सरकारी अभिकरण के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिये ताकि वे सीधे किसानों तक पहुंच सकें अन्यथा ये दवाइयां बीच में ही गायब होकर ब्लैक मार्केट में चली जाती हैं ।

खेती के लिये सिंचाई की सुविधाओं का होना अत्यावश्यक है। किसानों को सिंचाई की सुविधाएं देने के काम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि कृषि में सिंचाई का सबसे अधिक महत्व है।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon): Mr. Deputy Speaker, Sir, The Government have not dealt with the problem of corruption properly and effectively. The Government had miserably failed in tackling corruption with the result that the Congress had to suffer a debacle in the general elections. In certain cases the Government had appointed commission to go into the charges of corruption against some persons in power, but unfortunately it did not implement their recommendations. The Government could not eradicate corruption, and on the contrary, it allowed it to creep in.

There is a unanimous demand for ban on cow slaughter. Even the Mohamadans have equally supported this demand. But the Government have not acted boldly in the matter. They are still talking of the appointment of a commission to go into the matter.

A memorandum was presented to the Gevernment for giving due status to Urdu. But the Government took no action thereon. It is really a shocking treatment being meted out to a section of the people in the country. The result is that the Congress Party has lost the support of the Muslims.

Now coming to these Five Year Plans, they have created wide disparities between the rich and the poor. They have failed to ameliorate the condition of the vast masses of the country. These plans have not achieved their targets, because the targets are fixed just to satisfy the demand on paper; figures are calculated to suit the need and no serious attempt was made to realise the objective. So these plans have resulted in rising prices, growing unemployment and famine conditions in the country.

The Government has lost the confidence of the majority of the people and it has no moral right to continue in office.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर): यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मेरे राज्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न को नहीं उठाया जाता तो शायद मैं नहीं बोलता।

जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है आसाम राज्य अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का एक केन्द्र है। इसलिए सरकार को इस राज्य की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

आसाम राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां अधिक उद्योग नहीं हैं। चीन के आक्रमण के पश्चात उद्योगों पर और भी प्रभाव पड़ा है। उद्योगों की स्थापना एक समस्या बन गई है क्योंकि न तो सरकार और न ही पूंजीपति जोखिम उठाने को तैयार हैं।

चाय तथा तेल उद्योग विदेशियों के अधीन हैं। आसाम के लोगों को चाय तथा तेल के लिये बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं।

सरकार नेफा, नागालैण्ड तथा आसाम के बारे में सदा पृथकता की नीति अपनाती रही

है । नेफा तथा नागालैण्ड में भी आसामी भाषा ही बोली जाती है । परन्तु फिर भी सरकार ने पृथकता की नीति अपनाई है । और पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में इस नीति पर ही जोर दिया है । यह नीति सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक है । नागा तथा खासी लोग बहुत गरीब हैं । इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है । इसलिए यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों को एक प्रशासन के अन्तर्गत लाया जाये तथा पृथकता को समाप्त किया जाये ।

Shri Ram Charan (Khurja): I do not see any substance in President's address. It appears from the address that the slogan of democracy and socialism is a false slogan.

I do not believe that we will be able to achieve self-sufficiency in foodgrains by 1971. For the last few years our Government is encouraging the utilisation of the fertile land for industrial purposes. If this policy of acquiring more and more land for setting up industries is followed the 25 per cent. of the fertile land will become under the industries and the remaining land will become useless for agriculture purposes. Therefore I would say that this policy is the root cause for our present day food problem. A resolution should be passed to the effect that fertile land and land which can be used for agricultural purposes should not be taken for establishing factories etc. The present policy should be done away with.

There is no improvement in the condition of the Scheduled Castes people. It is almost the same which was in the pre-independence period. Gandhiji used to say that after the attainment of independence a Harijan will be the President. But now neither the opposition nor the Congress seems to be in favour of that.

The posts reserved for the Scheduled Caste people have not been filled. Even now the excesses are being committed on them. If no improvement in the condition of the Scheduled Caste people is made it would take dangerous proportion.

The Government has failed to check the rise in prices. The Government servants are hard hit by the rise in prices. I would request the Government to take immediate steps to halt the rise in prices.

श्री पी० के० घोष (रांची) : समूचे देश के श्रमिक वर्ग तथा विद्यार्थियों में असन्तोष फैला हुआ है । मैं राष्ट्रपति जी से इस बात में सहमत हूं कि इस असंतोष का मूल कारण आर्थिक कठिनाइयां हैं । अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि से निश्चित आय के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ा है । रोजगार की अनिश्चित सम्भावनाओं के कारण विद्यार्थियों में असंतोष तथा निराशा फैली है ।

मेरा दल लोकतंत्र समाजवाद में विश्वास रखता है । परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात अमीर अधिक अमीर तथा गरीब अधिक गरीब हो गये हैं । पूंजीपतियों के कारण ही हम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके हैं । इन्हीं लोगों ने उच्च पदों स्थित लोगों में भ्रष्टाचार फैलाया है । इन्हीं लोगों ने मुनाफाखोरी तथा चोरबाजारी की है ।

यदि वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए कि वे जीवन-निर्वाह के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं को क्रय करने में

समर्थ हो सकें। यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है तो कर-अपवंचन भी समाप्त होगा और इस प्रकार राजस्व की आय दुगुनी हो जायेगी।

मेरे विचार में अनाज को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है अपितु रुपये का मूल्य कम हो गया है। मुद्रास्फीति का मूल कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में जो दो हजार करोड़ धन लगाया गया है उसका लाभ नहीं हुआ है। कुछ समय के लिये नये उद्योग स्थापित नहीं किये जाने चाहिये जो उद्योग स्थापित हो चुके हैं उनसे अत्यधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अनाज के उत्पादन में इतनी कमी नहीं हुई जितनी बताई जाती है। जितनी कमी हुई थी उसको विदेशों से अनाज का आयात करके पूरा कर लिया गया है। मूल्यों में वृद्धि का कारण गलत नीति है। अनाज के वहन में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध, नियन्त्रण, राशन, अनिवार्य वसूली, खुले बाजार से अनाज का गायब हो जाना तथा चोर बाजार में अधिक मूल्यों पर बिकना आदि ही प्रमुख कारण हैं। अनाज की कमी का बहुत अधिक प्रचार किया गया है जिस कारण उपभोक्ता से लेकर व्यापारी तक ने जमाखोरी बढ़ा ली है। जमाखोरी समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए।

रिजर्व बैंक के निदेशों की उपेक्षा कर गैर-सरकारी बैंकों ने जमाखोरों को रुपया दिया है। मेरा सुझाव है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

श्री दंडपाणि (धर्मपुरम) : अध्यक्ष महोदय भाषा के मामले में आपने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सभा के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया है भाषणों के साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था की जानी चाहिए। खर्च का प्रश्न इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए बाधक नहीं होगा।

राष्ट्रपति का अभिभाषण कई पहलुओं से विशेषकर आर्थिक पहलू से बहुत निराशाजनक है। मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावशाली उपाय करने के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और मुझे आशा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात इनमें और वृद्धि हुई है। हमारे देश की समूची अर्थव्यवस्था पर कुछ पूंजीपतियों का नियन्त्रण है। एकाधिकार जांच आयोग ने इस समस्या पर विचार किया था परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि सरकार क्या अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए जोर दूंगा। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर्मचारियों तथा उनमें रुपया जमा कराने वालों के लिए लाभदायक होगा।

सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था पंगु हो गई है तथा जनता की दशा अधिक बिगड़ गई है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक मजूरी कम हो गई है। वर्तमान आर्थिक स्थिति चिन्ता का विषय बन गई है।

सूत के संकट के कारण कई कारखाने सप्ताह में केवल पांच दिन ही कार्य कर रहे हैं। कुछ कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं तथा अन्य मिलें बन्द होने जा रही हैं। कोयम्बटूर में जिसको कि भारत का मानचैस्टर कहा जाता है औद्योगिक अशांति फैली हुई है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि टेक्सयल कम्पनी जो कि एक बड़ा औद्योगिक उपक्रम है गत पन्द्रह दिनों से बन्द कर दिया गया है। 4,500 कर्मचारी बेकार हो गये हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उद्योग (विकास तथा विनियम), अधिनियम, के अन्तर्गत इस कम्पनी को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

स्टेट बैंक का कार्य संतोषजनक नहीं है। इस बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है क्योंकि मैंने दस वर्ष इस बैंक में काम किया है। कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों में अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं क्योंकि कर्मचारियों की मांगों के प्रति प्रबन्धकों ने सहायक रवैया नहीं अपनाया। यद्यपि लम्बे समय से बातचीत चल रही है तथापि समझौते की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय बैंक न्यायाधिकरण ने बैंक कर्मचारियों की उचित मांगों की उपेक्षा की है। उसके निर्णय में उनके साथ न्याय नहीं किया गया है।

सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, तथा कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।

श्रीलंका तथा बर्मा से आये शरणार्थियों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ नहीं किया है। शरणार्थियों की समस्या को एक अखिल भारतीय समस्या समझा जाना चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार को उचित सहायता देनी चाहिए।

मद्रास में मेरे दल डी० एम० के० ने सरकार बनाई है। यह कांग्रेस के कुप्रशासन के विरुद्ध जनता की विजय है।

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि लोक-सभा द्वारा 29 मार्च, 1967 को पास किये गये सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरन्तरता विधेयक, 1967 से राज्य-सभा अपनी 3 अप्रैल की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967

CONSTITUTION (TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL 1967

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी
MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं श्री हनुमंतैया द्वारा प्रस्तुत किये गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौथी पंचवर्षीय योजना अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर बनाई गई है। इस योजना को नई संसद तथा राज्य सरकारों की स्वीकृति मिलने वाली है। इसलिए योजना की अवधि को 1966-71 से 1967-72 किया जाये जिससे कि योजना को उचित रूप से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी वर्तमान संसद तथा नई राज्य सरकारों पर डाली जा सके। दूसरी बात यह है कि इस योजना का मुख्य भाग इस सभा के रहते पूरा हो जायेगा जिससे यह इसकी प्रगति को पूरी जिम्मेदारी से देख सकेगी। तीसरी बात इस योजना के लिए साधन जुटाने की है।

यदि प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए उचित कार्यवाही की जाए तो अनाज में अत्म-निर्भरता शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रति एकड़ उपज बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि हमारे देश में प्रति एकड़ उपज दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। उर्वरक के कारखाने स्थापित करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए। समूचे देश में संकर बीजों के फार्म भी बनाए जाने चाहिए।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों ने देश में उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे अन्य उद्योगों को कच्चा माल, प्लांट, मशीनरी तथा अन्य सामान मिला है। इस प्रकार देश में औद्योगिक विकास हुआ है। परन्तु इन उपक्रमों का कार्य अधिक संतोषजनक नहीं है। इनको व्यापारिक दृष्टिकोण से चलाया जाना चाहिए जिससे हमें उचित लाभ हो सके।

किसी भी परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व उसके प्रशासी तथा तकनीकी कर्मचारियों को सावधानी से पहले ही ले लिया जाना चाहिए और उनका तब तक हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक परियोजना पूरी न हो जाये। इस प्रकार त्रुटियों के लिए उनको उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं यद्यपि मुझे उस समय बोलने का अवसर दिया गया है जबकि केवल पांच मिनट शेष रह गये हैं।

अनाज की समस्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु यह नहीं बताया गया कि देश में प्रति व्यक्ति कितना अनाज उपलब्ध है और कि देश में अनाज की कुल कितनी कमी है। यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सभी को विचार करना है। 1965 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 411.1 ग्राम थी। यदि जनसंख्या में से बच्चों आदि को निकाल दिया जाये तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता और भी बढ़ जायेगी। यह तर्क दिया जाता है क 1951 से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके

बावजूद हमें उपलब्धता का तीन चौथाई ही दिया जाता है । हमें इस बात पर विचार करना है कि शेष अनाज कहां जाता है । मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में अनाज की कमी है परन्तु इतनी कमी नहीं जितनी बताई जाती है । एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जमाखोरी तथा एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने में असफल रहे हैं । हमें जमाखोरों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिए । इससे हमारी खाद्य स्थिति में सुधार होगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 5 अप्रैल, 1967/15 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, 5th April, 1967/Chaitra 15, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—22-6-68—600.